

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

विषयसूची

| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---------|---|-----------|
| 1. | निदेशक मंडल | 1 |
| 2. | अध्यक्ष का संबोधन | 2 |
| 3. | निदेशकों की रिपोर्ट | 5 |
| 4. | प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट | 13 |
| 5. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 40 |
| 6. | सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 45 |
| 7. | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र | 87 |
| 8. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण | 88 |
| 9. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इकिवटी में परिवर्तन का विवरण | 89 |
| 10. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण | 90 |
| 11. | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां | 91 |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

दिनांक 29 दिसंबर 2020 को निदेशक मंडल

श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष

श्रीमती अमृता शरन

श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कैप्टन ए.के. शर्मा

कंपनी सचिव

श्रीमती शशी भदूला

लेखापरीक्षक

मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी,

सनदी लेखाकार, मुंबई

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लि

एक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालय

दूसरा तल, जीएसडी भवन,

एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल-2,

आईजीआई हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110037



अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2019–20 की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड) भारत का एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और यह पेन भारत स्तर पर प्रचालन कर रही है।

कंपनी ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 से अपना स्वायत्त प्रचालन आरंभ किया तथा कंपनी ने अपने स्टैंडेलोन प्रचालन से पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2019–20 के दौरान भी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 662.13 मिलियन रूपए का निवल लाभ अर्जित किया है। यह अत्यधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक रुझान है।

भारत सरकार ने जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की है और यह अपेक्षित था कि इसका भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सैक्टर के आकार एवं संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा और इससे तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का आकार बहुत कम समय में ही काफी बढ़ जाएगा। यह पहला अवसर है कि भारत के पास विमानन क्षेत्र पर एकमात्र दूरदर्शी दस्तावेज है, जो स्वागतयोग्य है।

कंपनी का निष्पादन

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2018–19 के 7050.08 मिलियन रूपए की तुलना में 7088.01 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2018–19 के पुनर्घोषित 5889.19 मिलियन रूपए की तुलना में 5749.44 मिलियन रूपए था। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2018–19 के 1160.89 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में 1338.58 मिलियन रूपए था। वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित 524.82 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 662.13 मिलियन रूपए था।

वित्त वर्ष 2019–20 की चौथी तिमाही में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो भारत में 81 हवाईअड्डों पर प्रचालन कर रही है, ने निस्वार्थ सेवा प्रदान की है और करती रहेगी तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के मिशन लाइफलाइन उड़ान की सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने भारत से विदेशी नागरिकों को वापस भेजने तथा विभिन्न देशों से भारतीय नागरिकों को लाने वाली विशेष यात्री चार्टर उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की है और यह कार्य निरंतर जारी है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने दिनांक 25 मार्च, 2020 के पश्चात राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान दवाओं और राहत सामग्री ले जाने वाली कार्गो उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की हैं और इस प्रकार कंपनी ने न केवल “लाइफलाइन उड़ान” बल्कि विभिन्न विदेशी वाहकों की उड़ानों के लिए खानपान सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को विभिन्न विदेशी वाहक जैसे मलेशिया, अमीरात, सऊदी एयरलाइंस आदि से सराहना मिली है, जिनकी उड़ानों की व्यवस्था एक साथ की गई थी। यहां तक कि भारतीय वायु सेना ने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इस परीक्षा के समय प्रदान की गई अनुकरणीय सेवाओं की सराहना की है क्योंकि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को अत्यंत अल्पावधि सूचना पर प्रदान किया गया था।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए सबसे उत्साहजनक क्षण वह था जब दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के नागर विमानन मंत्रालय के ट्रिवटर हैंडल से ट्रीट प्राप्त हुआ कि “उत्कृष्ट टीमवर्क का उदाहरण”, जिसने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कार्यनिष्ठादन को और अधिक बढ़ा दिया है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने पूरे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ समन्वय में कोविड-19 आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की है, जिसमें विभिन्न ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।



एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड न केवल वर्ष 2014–15 से लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है, बल्कि अब तक कंपनी एक ऋण मुक्त कंपनी भी है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति गठित की है और उच्च प्रभाव, धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान के उद्देश्य से सीएसआर नीति बनाई गई है। कंपनी के लाभ को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019–20 के दौरान 20.74 मिलियन रूपए खर्च किए जाने थे। उक्त राशि को शिक्षा के संवर्धन का कौशल विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। सीएसआर कार्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है और अनुलग्नक— पर संलग्न है।

आभारोक्ति

मैं, इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अत्यधिक समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि हम एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को उंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रगति की ओर लगातार अग्रसर रहेंगे। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता हासिल करने में अपने दल की भावना की शक्ति और निरंतरता को दुनिया के सामने लाने हेतु किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने हर कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की छवि को हमेशा बनाए रखा है।

बोर्ड की ओर से हमेशा की तरह मैं सतत समर्थन की आशा करता हूं।

ह/-
राजीव बंसल
अध्यक्ष



परिकल्पना :

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढ़ाना।

मिशन:

ग्राहक

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुकूल सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाईअड्डों पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

प्रक्रिया

- सुरक्षा एवं सक्षमता के स्तर में निरंतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निरंतर आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

कार्यदल

- समुत्साहन, योग्य एंव लक्ष्यानिमुख कर्मिकों की टीम बनाए रखना।
- कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बनाए रखना।



निदेशकों की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

वित्तीय निष्पादन

(लाख मिलियन में)

| विवरण | 2019.20 | 2018.19 (पुनर्घोषित) |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| कुल राजस्व | 7088.01 | 7050.08 |
| कुल व्यय | 5749.44 | 5889.19 |
| असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (हानि) | 1338.58 | 1160.89 |
| कर पूर्व लाभ (हानि) | 1338.58 | 1160.89 |
| चालू कर | 393.60 | 600.00 |
| कर के लिए अल्प प्रावधान | (27.16) | 186.62 |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | 310.01 | (150.55) |
| कर पूर्व निवल लाभ (हानि) | 662.13 | 524.82 |

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2018–19 के 7050.08 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में 7088.01 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2018–19 के 5889.19 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में 5749.44 मिलियन रूपए था। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2018–19 के 1160.89 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में 1338.58 मिलियन रूपए था। वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित 524.82 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 662.13 मिलियन रूपए था।

अन्य वित्तीय सूचनाएं

शेयर पूँजी:

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹.1000,00,00,000/- (एक हजार करोड़ रुपए) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूँजी ₹. 138,42,42,000/- (प्रत्येक ₹. 10/- के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है।

शेयर पूँजी में परिवर्तन, यदि कोई है

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कर्मचारियों की संख्या

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

| | |
|--|----------|
| मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 01 |
| कंपनी संचिव | 01 |
| उप टर्मिनल प्रबंधक / सहायक टर्मिनल प्रबंधक / टर्मिनल प्रबंधक / ड्यूटी प्रबंधक / अस्थायी मुख्य सुरक्षा अधिकारी / लेखा सहायक / विमान तकनीशियन / उप रैम प्रबंधक / कार्यपालक अधिकारी वाणिज्यिक / अधिकारी—एचआर / अधिकारी लेखा / अधिकारी बी एंड डी / सहायक अधिकारी वाणिज्यिक / अधिकारी प्रशासन | 67 26 |



| | |
|---|--------------|
| प्रबंधक— लागत लेखांकन / वित्त | 2 |
| कनिष्ठ कार्यपाल तकनीकी | 90 |
| कनिष्ठ कार्यपालक—यात्री हैंडलिंग / कनिष्ठ कार्यपालक—ग्राहक सेवा / जेईएचआर | 130 |
| कस्टमर एजेंट | 2871 |
| कनिष्ठ कस्टमर एजेंट | 592 |
| वरिष्ठ कस्टमर एजेंट | 105 |
| आरएसए / आरएसए—आई / आरएसए(एलजी) | 577 |
| वरिष्ठ आरएसए / वरिष्ठ आरएसए—आई / पर्यवेक्षक आरएसए | 128 |
| सुरक्षा एजेंट | 1507 |
| वरिष्ठ सुरक्षा एजेंट / पर्यवेक्षक सुरक्षा एजेंट | 880 |
| अस्थायी एफएफपी स्टाफ / पर्यवेक्षक एफएफपी | 13 |
| उपयोगिता एजेंट | 23 |
| उपयोगिता एजेंट सह रैम्प ड्राइवर | 831 |
| हैंडीमैन / सफाई कामगार | 5362 |
| यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाहित) | 39 |
| कुल | 13245 |

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन:

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग – 31 मार्च, 2020 को कर्मचारियों की संख्या

| कर्मचारियों की कुल संख्या | अनु. जाति कर्मचारियों की कुल संख्या | अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत | अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत | ओ.बी.सी कर्मचारियों की कुल संख्या | ओ.बी.सी कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 13245 | 2756 | 20.81 | 574 | 4.33 | 3056 | 23.07 |

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की गतिविधियाँ

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार 31 दिसम्बर, 2016 से सुरक्षा कारणों से आउटसोर्सिंग की अनुमति न होने के कारण, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने सभी 81 हवाईअड्डों पर, जहां एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है, सरकार के निर्णय को क्रियान्वित किया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड में आज की तारीख को जनशक्ति की आउटसोर्सिंग शून्य है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

यौन उत्पीड़न

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक, प्रतिनिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न प्रतिरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदागत, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी 06 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन 06 शिकायतों में से तीन का समाधान कर लिया गया



है और शेष तीन शिकायतों की रपोर्ट और निष्कर्ष उपयुक्त प्राधिकरण के अंतिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने 18 फरवरी, 2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए अपनी संरचना विकेन्द्रित की है। आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए 8 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 5 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 77 अनुरोध/अपील प्राप्त हुईं और सभी का निपटान किया गया।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लाभांश

कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को बढ़ाने की दृष्टि से निदेशक मंडल किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि

निदेशक मंडल ने वर्ष 2019–20 के लिए 655.69 मिलियन रूपए आरक्षित निधि में रखने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव दिया है।

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों संबंधी सूचना

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं हैं।

वास्तविक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

31 मार्च, 2020 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की तीन बैठकें आयोजित हुईं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है। तथापि, अंतिम तिमाही की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2020 को होने वाली थी और इसके नोटिस को दिनांक 19 मार्च, 2020 को सभी निदेशकों को परिपत्रित कर दिया गया था, यद्यपि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावों और भारत सरकार द्वारा तालाबंदी की आधिकारिक घोषणा के परिणामस्वरूप इस बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका।

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | निदेशक मंडल की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 20 जून, 2019 | 4 | 4 |
| 2 | 06 सितंबर, 2019 | 4 | 4 |
| 3 | 03 दिसंबर, 2019 | 4 | 4 |



| क्र. सं. | बैठक की तिथि | निदेशक मंडल की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 6 | 27, मार्च, 2020 (कोविड-10 के प्रभावों के परिणामस्वरूप रद्द किया गया) | | |

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

- वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।
- चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2020 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- यह कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ज) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा
- निदेशकों ने सभी विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालित थीं।

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति नवंबर 2014 में गठित की गई है:

वर्तमान समय में लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

| निदेशक का नाम | समिति में धारित पद | निदेशक की श्रेणी |
|--|--------------------|-------------------------|
| संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष | सरकारी नामिती निदेशक |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य | सरकारी नामिती निदेशक |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआर इंडिया लिमिटेड | सदस्य | अध्यक्ष (नामिती निदेशक) |
| एआर इंडिया नामिती निदेशक | सदस्य | नामित निदेशक |

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविदि क लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों/अहंताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण/व्याख्या इसके साथ संलग्न है। वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट स्वतः स्पष्ट हैं और इसके लिए किसी और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।



ऋण, प्रतिभूति और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिए गए, गारंटियां नहीं दी गई या निवेश नहीं किए गए हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स हुसैन वाग और कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-एट के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:

| सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन का उत्तर |
|---|--|
| निदेशक मंडल की 76वीं बैठक के आयोजन का नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 को सम्पूर्ण निदेशक मंडल को भेजा गया था, किनतु दिनांक 25 मार्च, 2020 से भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल 3 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं। | मार्च के महीने में बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए थे, जिसके लिए दिनांक 19 मार्च, 2020 को नोटिस भी जारी किया गया था। तथापि, कोविड-19 के कारण देशभर में लॉकडाउन लागू होने और आगे इस वैशिक महामारी के घातक प्रभावों के कारण यह बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। कंपनी आश्वासन देती है कि वह भविष्य में इस संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगी। |
| कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा-149(1) के दूसरे प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। इस मामले में आवश्यक कार्यवाई के लिए इसे नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और तदनुसार श्रीमती अमृता शरण, महिला निदेशक, एआई नामित को कंपनी के बोर्ड में दिनांक 11.09.2020 को नियुक्त किया गया है। |

लागत लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट 13 मई, 2019 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास प्रस्तुत की गई है। यह लागत लेखापरीक्षा वर्ष 2017–18 की है और लागत लेखापरीक्षक मैसर्स मीना गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई थीं। वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के लिए इसी लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

तथापि, कंपनी ने दिल्ली तथा चेन्नई में 50 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली छत पर स्थापित



की है, जो प्रतिदिन औसतन 220 कि.वा. विद्युत उर्जा का निर्माण कर सकती है और यह सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

| | |
|-------|------------------------|
| | मिलियन अमरीकी डालर में |
| अर्जन | 20.42 अमरीकी डालर |
| व्यय | 3.98 अमरीकी डालर |

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए नियमों एवं सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नानुसार किया है। 31 मार्च 2020 को सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| | |
|-------------------------------|---------|
| श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष |
| श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन | सदस्य |
| श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा | सदस्य |
| श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी | सदस्य |

श्री राजीव बंसल को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14 फरवरी, 2020 से श्री अश्वनी लोहानी के स्थान पर नियुक्त किया गया है और तदनुसार उसी तारीख से सीएसआर समिति में श्री अश्वनी लोहानी के स्थान पर श्री राजीव बंसल नियुक्त किए गए हैं।

बोर्ड ने 23 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीएसआर नीति को स्वीकृति प्रदान की है और आगे दिनांक 11 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने सीएसआर नीति को आगे संशोधित किया है। बोर्ड ने कंपनी की लाभप्रददत्ता को ध्यार में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 20.74 मिलियन रूपए का व्यय अनुमोदित किया है।

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त राशि द्वारा कंपनी शिक्षा के संवर्धन और कौशल विकास के प्रति योगदान करेगी।

कॉरपोरेट शासन

कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कॉरपोरेट शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन (गवर्नेंस)) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक रिटर्न का सारांश अनुलग्नक— ।।। में संलग्न किया गया है तथा फॉर्म एमजीटी-7, वार्षिक रिटर्न को कंपनी की वेबसाइट www.aiatsl.com पर प्रदर्शित किया गया है।

कर्मचारियों का विवरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ज) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य घौरे को दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित



सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वैतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

जमाराशि

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के प्रावधान से छूट दी गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में दिनांक 13–07–2017 की जीएसआर 880 (ई) के तहत गैर-सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छूट प्रदान की गई है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को एअर इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यपालक निदेशकों एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों की समीक्षा उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- “जोखिम” संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
- मौजूदा एवं योजनाबद्ध तथा न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ समन्वित रूप से नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।



निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि | सेवा समाप्त होने की तिथि | सेवा समाप्ति का तरीका |
|----------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. | श्री अरुण कुमार | नामिती निदेशक | 24.01.2019 | 10.07.2019 | नामिति निदेशक के रूप में सेवा समाप्त |
| 2. | श्री प्रवीन गर्ग | नामिती निदेशक | 21.08.2019 | 18.02.2020 | नामिति निदेशक के रूप में सेवा समाप्त |
| 3. | श्री अश्विनी लोहानी | अध्यक्ष | 14.02.2019 | 14.02.2020 | अध्यक्ष के रूप में सेवा समाप्त |
| 4. | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष | 14.02.2020 | | |
| 5. | श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन | नामिती निदेशक | 20.03.2020 | | |

संबंधित पक्ष संव्यवहार

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हैं, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 490 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की संविदाएं/व्यवस्थाओं को करने के लिए 6 सितम्बर, 2019 को हुई अपनी 74वीं बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

आभारोक्ति

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
राजीव बंसल
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18.12.2020



प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

- वर्ष 2019–20 के दौरान अर्जित 7050.08 मिलियन रुपए की पुनर्घोषित राशि के राजस्व की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 7088.01 मिलियन रुपए था।

व्यय

- पिछले वर्ष के 5889.19 मिलियन रुपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल खर्च 5749.44 मिलियन रुपए था।

2. भावी परिदृश्य

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी दिनांक 1 फरवरी, 2013 को प्रचालन में आई थी और कंपनी ने अप्रैल, 2014 से स्वतंत्र प्रचालन आरंभ किए। कंपनी वर्तमान में भारत में 81 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। एअर इंडिया एवं इसकी सहायक कंपनियों की उड़ानों की हैंडलिंग के अलावा, 36 विदेशी अनुसूचित एअरलाइनों, 3 घरेलू अनुसूचित एअरलाइनों, 3 क्षेत्रीय एअरलाइनों, 9 सीजनल चार्टर एअरलाइनों, 23 विदेशी एअरलाइनों, जो नाश्वान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड विमान यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) की मरम्मत कार्य के अतिरिक्त केबिन की सफाई और केबिन की ड्रैसिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। वर्ष 2019–20 के दौरान 1,33,668 उड़ानों (एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों) एवं अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित ग्राहक एअरलाइनों की 25,020 उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराई गई।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रचालन वित्तीय स्थिति के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। मुख्य आय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था से होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन, विदेशी प्रापण के लिए उपलब्ध होगी और कंपनी को राजस्व आय में विदेशी मुद्रा कमाने में भी लाभ होगा। पैन इंडिया की उपरिक्ति और अपनी क्षमता से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड देश में बाजार की अगुवा होगी और विदेश में जहां कहीं एअर इंडिया प्रचालन करती है, वहां पर व्यवसाय कर सकेगी।

वर्तमान नीतिगत विनिवेश प्रक्रिया के दौरान, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में सम्पूर्ण इकिवटी स्टेक को एअर इंडिया द्वारा बेचे जाने का प्रस्ताव है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की सुदृढ़ लाभप्रदता के परिणामस्वरूप कंपनी भारत में चालू विमानन परिदृश्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होगी।

3. सतत सरोकार

कंपनी वर्ष 2012–13 से निवल लाभ अर्जित कर रही है, जो 2012–13 में 5.06 मिलियन रुपए से बढ़कर 2019–20 में 662.13 मिलियन रुपए हो गया है।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति –2016 के लागू होने के पश्चात, भारत की ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। भारत में ग्राउंड हैंडलिंग बाजार विमान द्वारा यात्रा की वरियता, बढ़ती जनसंख्या, सरकार की उड़ान योजना तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण विकास के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार के उद्दीपक औद्योगिक वातावरण में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में ग्राउंड हैंडलिंग के लिए व्यापक स्तर पर बड़े बाजार अवसर विद्यमान हैं।



4. मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2020 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संविदा आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या 13245 थी। एअर इंडिया से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए और स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 14 और 1190 थी।

5. जोखिम निवारण नीतियां

कंपनी लगातार जोखिम अवधारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स कारिया एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।



कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

निदेशक मंडल

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से पंद्रह के बीच होनी चाहिए।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल

| | |
|---|---|
| श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई इंडिया लिमिटेड |
| श्री विनोद शंकर हेजमाडी निदेशक (वित्त), एआई इंडिया लिमिटेड | एआई इंडिया नामिती निदेशक |
| श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामिती निदेशक |
| श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामिती निदेशक |

श्री प्रदीप सिंह खरोला के दिनांक 14 फरवरी 2019 को अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री अश्वनी लोहानी, को उनके स्थान पर दिनांक 14 फरवरी, 2019 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 14 फरवरी 2020 से अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त हो गये हैं और इसी तिथि से श्री राजीव बंसल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में श्री अश्वनी लोहानी द्वारा अध्यक्ष के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई। वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई।

निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों द्वारा धारित समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईः

| | |
|-----------------|--|
| 20 जून, 2019 | (73वीं बैठक) |
| 06 सितंबर, 2019 | (74वीं बैठक) |
| 03 दिसंबर, 2019 | (75वीं बैठक) |
| 27 मार्च, 2020 | (76वीं बैठक, जिसे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण रद्द कर दिया गया था) |

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की तीन बैठकों का आयोजन किया गया था। तथापि, अंतिम तिमाही की बैठक दिनांक 27 मार्च 2020 को आयोजित की जानी थी और इसका नोटिस सभी निदेशकों को दिनांक 19 मार्च 2020 को परिपत्रित किया गया था, हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति सहित उनका विवरणः



| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 3 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|--|---|--|--|---|
| श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष (14 फरवरी, 2019 से 14 फरवरी 2020) | मैकेनिकल इंजीनियर एवं फेलो ऑफ चार्टर्ड ¹ इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट | 3 | अध्यक्ष एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड निदेशक एअर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एअर मारिशस लिमिटेड, एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड स्थायी आमंत्रिती: लेखापरीक्षा समिति—एअर इंडिया लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड तथा एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड |
| श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष (14 फरवरी, 2020 से) | आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग, वित्त में डिप्लोमा, आईसीएफएआई, हैदराबारए एक्जीक्यूटिव मास्टर—अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, आईआईएफटी, दिल्ली | 0 | अध्यक्ष एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, एअर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट | अध्यक्ष निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |



| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 3 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|--|--|---|---|
| | | | निदेशक एअर मारिशस लिमिटेड, एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड, भारत यंत्र निगम लिमिटेड | स्थायी आमंत्रिती: लेखापरीक्षा समिति—एअर इंडिया लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड |
| श्री अरुण कुमार, अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (24 जनवरी, 2019 से 10 जुलाई 2019) | कला स्नातक (ऑनर्स) | 1 | निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरआईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई), एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड शेयर आवंटन समिति – एअर इंडिया लिमिटेड सदस्य लेखापरीक्षा समिति,—एअर इंडिया लिमिटेड, सीएसआर समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |
| श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (2 फरवरी, 2017 से) | एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी) | 3 | निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड | सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति—एअर इंडिया लिमिटेड, एचआर समिति— एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड |



| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 3 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|---|-------------------|--|--|---|
| | | | | सीएसआर समिति— एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, नीतिगत समिति : एअर इंडिया लिमिटेड |
| श्री विनोद शंकर हेज़माडी एअर इंडिया नामित निदेशक (7 दिसंबर 2015) | बी.काम, एसीए | 3 | निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लि., एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष एचआर समिति—एअर इंडिया लिमिटेड, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति—एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड, सीएसआर समिति और धारणीय विकास समिति—एअर इंडिया लिमिटेड, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति—एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, शेयर आवंटन समिति : एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति—भारतीय होटल निगम लि., एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, वित्त समिति —एअर इंडिया लिमिटेड। विषेश आमंत्रिती: लेखापरीक्षा समिति—एअर इंडिया लिमिटेड। |



| निदेशक का नाम | शैक्षणिक अर्हताएं | वर्ष के दौरान आयोजित 3 बैठकों में उपस्थिति | अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप | समितियों में धारित सदस्यता |
|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | सहकारी सदस्यः नीतिगत समिति: एआई इंडिया लिमिटेड। |
| श्री प्रवीन गर्ग, अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (21 अगस्त, 2019 से 18 फरवरी 2020) | सनदी लेखाकार | 2 | निदेशक ¹ एआई इंडिया लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरआईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)। | अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड, सदस्य लेखापरीक्षा समिति,—एआई इंडिया लिमिटेड, सीएसआर समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |
| श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन, संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (20 मार्च, 2020 से) | बी कॉम | 0 | निदेशक ¹ एआई इंडिया लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरआईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)। | अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, शेयर आवंटन समिति: एआई इंडिया लिमिटेड। सदस्य लेखापरीक्षा समिति,—एआई इंडिया लिमिटेड, भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) सीएसआर समिति— एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड। पारिश्रमिक समिति – भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)। |



बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

| | |
|--|---------|
| संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | सदस्य |
| एअर इंडिया मनोनीत सदस्य | सदस्य |

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करने हेतु।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करने हेतु।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वयन का सुनिश्चित करना तथा यह भी निर्धारण करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप है।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श कापे हेतु।
- वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करने हेतु।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाने हेतु।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करने हेतु।
- अंतर्निर्गमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करने हेतु।
- कंपनी के उपक्रमों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करने हेतु।
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

| एजीएम संख्या | बैठक की तिथि व समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|----------------|-----------------------------|--|--------------|
| 14वीं | 07 दिसंबर, 2017 को 1745 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 | शून्य |
| 14वीं (स्थगित) | 20 फरवरी, 2018 को 1100 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 | शून्य |



| एजीएम संख्या | बैठक की तिथि व समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---------------|-----------------------------|---|--------------|
| 15वीं | 26 दिसंबर, 2018 को 1600 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—110001 | शून्य |
| 15वीं (रथगित) | 03 जनवरी, 2019 को 1200 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—110001 | शून्य |
| 16वीं | 26 दिसंबर, 2019 को 1130 बजे | दूसरा तल, जीएसडी भवन, उअर इंडिया परिसर, टर्मिनल—2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली—110037 | हां |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

आचार संहिता

घोषणापत्र

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अंगीकृत आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग द्वारा की गई है ।

ह/-

(अश्विनी शर्मा)

सीईओ

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 18.12.2020



अनुलग्नक—।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) सीएसआर नीति

क. पृष्ठभूमि

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना इसका 'अनुपालन' करने तथा इसकी व्याख्या को अनिवार्य बनाने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, को अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना होगा। सीएसआर कार्यकलाप कारोबार की सामान्य कार्यविधि में नहीं की जानी हैं और अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी कार्यकलाप से संबंधित होने चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर कार्यकलापों की रूपरेखा और उसके कार्यविधि निर्धारित की गई हैं।

ख. सीएसआर नीति

I. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एआई एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

(“एआई एपीएस”) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिसमें उच्च क्षमता और धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएपीएस कंपनी के प्रचालन क्षेत्र यथा हवाईअड्डों एवं नगर कार्यालयों में एवं उसके आसपास सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआई एपीएस सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत तक इन स्थानीय कम्युनिटीज के लिए आबंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एआई एपीएस सामाजिक पूँजी का निर्माण करने के लिए समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं सीमांत वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को क्रियान्वित करेगी।

II. सीएसआर संगठन ढांचा

क. सीएसआर समिति

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जिसे इसके बाद सीएसआर समिति कहा जाएगा। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक यदि कोई हो, होगा। सीएसआर समिति की भूमिका / उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य शामिल होगा:

- (i) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों की सिफारिश करना।
- (iii) उपर्युक्त खंड (ii) में संदर्भित कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।
- (iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित राशि खर्च करना।
- (v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय-समय पर मॉनीटरिंग करना।
- (vi) सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मानीटरिंग प्रणाली बनाना।



- (vii) प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलापों को अनुमोदित करना।
 - (viii) किसी भी मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप अनुमोदित करना, जो एआईएटीएसएल के फोकस क्षेत्र के बाहर हों।

ख. सीएसआर कार्य समिति

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यः

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल है:

- (i) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करना।
 - (ii) अनुमोदित आवंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

III. सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र – परियोजनाएं / कार्यक्रम / कार्यकलाप

- (क) एआई एपीएस सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप बाल, महिला एवं समाज के कमज़ोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज/ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित कानूनों से प्रेरणा प्राप्त करती है।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर कार्यकलाप निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का है:

 - शिक्षा
 - कौशल विकास
 - पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
 - पीने का पानी
 - ग्रामीण विकास
 - शिशु देखभाल
 - प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
 - कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
 - जन पुस्तकालय
 - पारंपरिक कला एवं हस्थाशिल्प संवर्धन एवं विकास
 - खेलकूद
 - स्वास्थ्य एवं पोषण

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विस्तृत व्यौरा प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलापों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा ।

(ङ) ये परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप निम्न में से किसी भी स्थान पर की जाएंगी:



- एआईएपीएस प्रचालन क्षेत्र/स्थान के समीप के क्षेत्र में,
 - योजना आयोग द्वारा चिह्नित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में,
 - जहां एआईएपीएस का नीतिगत संबंध है।
- (च) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन भागीदारों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:
- कोई पंजीकृत सोसायटी, द्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की कार्यकलापों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो।
 - किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
- तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता की मांग कर सकता है।

IV. सीएसआर बजट / सीएसआर व्यय

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआई एपीएस पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों केदौरान कंपनी के शब्द लाभ का औसतन कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में अलग रखेगी।
- (ii) बजटीय आवंटन:
- (क) बजट का कम से कम 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में कार्यकलापों के लिए आवंटित किया जाएगा।
 - (ख) क्षमता निर्माण एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5 प्रतिशत तक राशि आवंटित की जाएगी।
 - (ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए होगा।
 - (घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा। सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कारण हुआ कोई अतिरिक्त व्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

V. मानीटरिंग प्रणाली

- (i) मानीटरिंग प्रक्रिया दो स्तरीय तंत्र होगा जो इस प्रकार होगा
- (क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति।
 - (ख) निकायों की सीएसआर कार्य समिति एवं प्रतिनिधि, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के अंत में बहुत परियोजनाओं के तीसरा पक्ष प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

VI- सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषयवस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी और उसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

VII- नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन

समिति अपनी सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपर्युक्त सुधार करेगी तथा उसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।



अनुबंध— ॥

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
सीएसआर कार्यकलापों पर परियोजना रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2019–20

| क्र.सं | विवरण | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 1. | <p>क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं / कार्यक्रमों की रूपरेखा सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेबलिंक का संदर्भ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बाल और महिला स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। कंपनी की नीति उच्च प्रभाव, सतत कार्यक्रमों द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएसआर बजट का कम से कम 60 प्रतिशत परियोजना मोड में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आवंटित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक उत्थान के लिए कमज़ोर, अपेक्षित और सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगी। ■ सीएसआर ध्यानार्थ क्षेत्र परियोजनाएं / कार्यक्रम / कार्यकलाप राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और सीएसआर नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इन कार्यकलापों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा चिह्नित बीआरजीएफ जिलों और जहां कंपनी के रणनीतिक संबंध थे, उन क्षेत्रों में किया जा सकता है। ■ सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / कार्यकलापों का कार्यान्वयन भागीदारों / विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिनका चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। | | | | | | | | |
| 2. | <p>सीएसआर समिति की संरचना</p> <p>हमारी कंपनी में बोर्ड समिति (सीएसआर समिति) है, जो अन्य कार्यों के साथ सीएसआर नीति तैयार करती है, बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश करती है, 50 लाख एवं उससे अधिक के मौद्रिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं को अनुमोदित करती है और सीएसआर नीति की मानीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीएसआर उद्देश्यों को पूरा किया गया है। सीएसआर समिति में निम्न शामिल हैं</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">श्री राजीव बंसल</td> <td style="width: 50%;">अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष | श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन | सदस्य | श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा | सदस्य | श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी | सदस्य |
| श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष | | | | | | | | |
| श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन | सदस्य | | | | | | | | |
| श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा | सदस्य | | | | | | | | |
| श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी | सदस्य | | | | | | | | |
| 3. | <p>पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत शुद्ध लाभ</p> <p>1,037,440,680 रुपए (एक सौ तीन करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ अरसी अरसी रुपए केवल)</p> | | | | | | | | |



| क्र.सं | विवरण |
|--------|--|
| 4. | <p>निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में दर्शाई राशि का दो प्रतिशत)</p> <p>रु. 2,07,48,814 (दो करोड़ सात लाख अडतालीस हजार आठ सौ चौदह रुपए केवल)। हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान रु. 4,35,08,569 की राशि खर्च नहीं की जा सकी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कमशः 5,00,000 रुपए तथा 98,67,000 रुपए पहले ही बी हाइव जूनियर स्कूल / बी हाइव एजुकेशन सोसाइटी और प्रयास–बाल सहायता केन्द्र को प्रदान किए गए हैं। इसलिए, 3,31,41,569 रुपए की राशि बिना खर्च शेष रह गई है, और वर्ष 2019–20 के दौरान 5,38,90,383 रुपए (पांच करोड़ अडतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ तेरास्सी रुपए केवल) खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।</p> |
| 5. | <p>वित्त वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि:</p> <p>(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि रु.5,38,90,383 (पांच करोड़ अडतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ तेरास्सी रुपए केवल)</p> <p>वर्ष 2019–20 में रु. 2,07,48,814 तथा रु. 3,31,41,569 पिछले कुछ वर्षों से अव्यय हैं।</p> <p>(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई रु.5,38,90,383 (पांच करोड़ अडतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ तेरास्सी रुपए केवल)</p> <p>(ग) वित्त वर्ष के दौरान किस प्रकार राशि व्यय की गई¹ संलग्न अनुलग्नक देखें।</p> |
| 6. | <p>यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय नहीं करती, तो कंपनी को अपनी बोर्ड बैठक में व्यय न की गई राशि के कारण उपलब्ध कराने होंगे</p> <p>कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 5,38,90,383 रुपए खर्च करना अपेक्षित था(वर्ष 2019–20 के 2,07,48,814 और पिछले कुछ वर्षों में अव्यय केके 3,31,41,569 रुपए शामिल हैं)। कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान बी हाइव जूनियर स्कूल / बी हाइव एजुकेशनल सोसाइटी में 5,00,000 रुपए का अंशदान किया और प्रयास: बाल सुधार केन्द्र में 98,67,000 रुपए का अंशदान किया है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए सीएसआर बजट का वांछित स्तर पर खर्च नहीं किया जा सका। दिनांक 03 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर बजट अनुमोदन के साथ इस मुद्दे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि खर्च न की गई सम्पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रेषित किया जाए।</p> |
| 7. | <p>सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग, सीएसआर उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुपालन में है।</p> <p>हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और हमारे सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं एवं कार्यकलापों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करती है।</p> |

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

ह/-
राजीव बंसल
अध्यक्ष—सीएसआर समिति

ह/-
अश्विनी शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



अनुलग्नक

(राशि रूपए में)

| क्र.सं (1) | सीएसआर परियोजना या गतिविधि (2) | जिस सैक्टर में परियोजना है (3) | परियोजना या कार्यक्रम का स्थान (4) | राशि परिव्यय (बजट) (5) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (6) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|

(प) परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर व्यय

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|---|-----------------|
| क. | भिन्न रूप से सक्षम बच्चों और झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए बी हाइव जूनियर स्कूल, 2019 द्वारा आयोजित समर कैम्प। | स्कूल / शिक्षा | दिल्ली | रु.2,07,48,814/- (2019–20) जमा रु.3,31,41,569/- (पिछले कुछ वर्षों के लिए खर्च न की गई राशि) कुल रु 5,38,90,383/- | रु. 5,00,000/- |
| ख. | प्रयास जेएसी सोसाइटी में स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूली शिक्षा प्राप्त न करने वाले बच्चों और कमज़ोर युवाओं के लिए जीविका संवर्धन हेतु शिक्षा और कौशल निर्माण पर एकीकृत कार्यक्रम। | स्कूल / शिक्षा | | | रु. 98,67,000/- |

(ii) उप-परिव्यय

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

ह/-
राजीव बंसल
अध्यक्ष—सीएसआर समिति

ह/-
अश्विनी शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



अनुलग्नक— III

**वर्ष 2019–20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
फॉर्म संख्या एमजीटी 9 – वार्षिक विवरणी से उद्धरण
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(3) के अनुसरण में**

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणीरु

| | | |
|----|--|--|
| 1. | सीआईएन | यू63090डीएल2003पीएलसी120790 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 9 जून, 2003 |
| 3. | कंपनी का नाम | एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) |
| 4. | कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी | सरकारी कंपनी |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण | दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल-2, आईजीआई हवाईअड़ड़ा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110037, भारत |
| 6. | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | जी, नहीं |
| 7. | पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण | लिंक इंनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली(वेस्ट), मुंबई -400083 91 22 49186000 |

**II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी
व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)**

| क्र. सं. | मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम तथा विवरण | उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का % |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|
| I. | वायु परिवहन की नैमेतिक सेवा गतिविधियां | 522 | 100 |

III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम एवं पता | सीआईएन / जीआईएन | होल्डिंग / सहायक / सहयोजित | शेयरों का % | लागू धारा |
|----------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 1 | एअर इंडिया लिमिटेड एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली — 110001. | यू62200डीएल2007जीओ आई161431 | होल्डिंग | 100% | 2 (46) |

IV. शेयर धारिता का पैटर्न(कुल इकिवटी के प्रतिशत के रूप में इकिवटी शेयर पूँजी का व्यौरा)



| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 को) | | | | वर्ष के दौरान % में परिवर्तन |
|-------------------------------------|--|-----------|-----|-----------------|---|----------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| क. प्रवर्तक | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) वैयक्तिक / हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| (ख) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (ग) राज्य सरकार (ँ) | | | | | | | | | |
| (घ) निगमित निकाय | 138424200 | 138424200 | 100 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |
| (ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (च) कोई अन्य | | | | | | | | | |
| प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता | 138424200 | 138424200 | 100 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | लागू नहीं | | |
| 1. संस्थाएं | | | | | | | | | |
| (क) म्युचुअल फंड / यूटीआई | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक / वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| (ङ) वैचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |
| (छ) वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ज) विदेशी वैचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक | | | | | | | | | |
| उप—जोड़ (ख) (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | |

श्रेणीवार शेयरधारिता

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 को) | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 को) | | | | वर्ष के दौरान % में परिवर्तन |
|--|--|----------|-----|-----------------|---|----------|-----|-----------------|------------------------------|
| | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | डिमैट | वास्तविक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| 2. गैर—संस्थाएं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| (क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर, एलएलपी) | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) विदेशी | | | | | | | | | |
| ख) वैयक्तिक | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|-----------|---|-----------|-----|---|
| ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| i) अनिवासी भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित | | | | | | | | | |
| iii) कार्यालय पदधारक | | | | | | | | | |
| iv) निदेशकगण | | | | | | | | | |
| v) हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| vi) विदेशी निगमित निकाय | | | | | | | | | |
| vii) विदेशी नागरिक | | | | | | | | | |
| viii) क्लीयरिंग सदस्य | | | | | | | | | |
| ix) न्यास | | | | | | | | | |
| X) विदेशी निकाय – डी आर | | | | | | | | | |
| उप-जोड़ (ख) (2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1).(ख)(2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| कुल योग (क+ख+ग) | | 138424200 | 138424200 | 100 | 138424191 | 9 | 138424200 | 100 | |

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता

| क्र सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन |
|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|--|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर / भारग्रस्त शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | गिरवी रखे गए शेयर / भारग्रस्त शेयरों का % | |
| 1. | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | शून्य | 138424200 | 100 | शून्य | 0.00 |

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

| क्र सं. | विवरण | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता | |
|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | वर्ष के आरंभ में | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |



| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| | वर्ष के अंत में | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):

| क्र. सं. | 10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत |
| 1 | लागू नहीं | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

ड) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

| क्र. सं. | प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता | वर्ष के आरंभ में धारित शेयर | | वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | श्री अश्विनी लोहानी (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | श्री विनोद हेज़माडी (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | कुल | 2 | 0 | 2 | 0 |

V. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता



(करोड़ रुपए में)

| | जमा को छोड़कर रक्षित ऋण | अरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|----------------------------|------------|-----|----------------|
| वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल ;पपपपपद्ध | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * परिवर्धन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * कमी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निवल परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(आंकड़े रूपयों में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम | कुल राशि |
|---------|---|--|-------------|
| 1 | सकल वेतन | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलक्षियों का मूल्य | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | | |
| 3 | स्वेट इविवटी | | |
| 4 | अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें | | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्कस टैक्स आदि) | | |
| | कुल (क) | | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | |

*कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं।



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों के नाम | | | | | कुल राशि |
|----------|--|-----------------|---|---|---|---|----------|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | | | | |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | | | | | | |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (1) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | अन्य गैर अधिशासी निदेशक | - | - | - | - | - | - |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | - | - | - | - | - | - |
| | कमीशन | - | - | - | - | - | - |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (2) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (ख) त्र (1, 2) | - | - | - | - | - | - |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | - | - | - | - | - | - |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा | - | - | - | - | - | - |

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े रूपए में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|----------|---|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | | मुख्य अधिशासी अधिकारी | कंपनी सचिव | मुख्य वित्त अधिकारी | मुख्य अधिशासी अधिकारी |
| 1 | <u>सकल वेतन</u> | 0.967 | * | * | 0.967 |
| | (क)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | - | - | |
| | (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | - | - | - | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | - | - | - | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - | |
| 4 | कमीशन | - | - | - | |
| | लाभ के : के रूप में | - | - | - | |
| | अन्य स्पष्ट करें | - | - | - | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्कस टैक्स आदि) | | | | |
| | कुल | | | | |

* सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केवल मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव तथा



मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

मुख्य वित्त अधिकारी एअर इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधकःवित्त के रूप में अपने दायित्वों के अतिरिक्त मुख्य वित्त अधिकारी का कार्य देख रहे हैं।

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | दंड/सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण | प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट) | अपील, यदि की गई है (विवरण दें) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| क. कंपनी | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| ख. निदेशकगण | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |
| ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी | | | | | |
| दंड | - | - | - | - | - |
| सजा | - | - | - | - | - |
| कंपाउंडिंग | - | - | - | - | - |



फॉर्म सं एमआर-3

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्य,

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
सीआईएन—यू63090डीएल2003पीएलसी120790
दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर,
टर्मिनल-2, आईजीआई हवाईअडडा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली,
नई दिल्ली—110037

मैंने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) (सीआईएन यू63090डीएल2003पीएलसी120790) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका ।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए ('लेखापरीक्षा अवधि') इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद हैं :

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों)य
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियांय
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);



- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इकिवटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) एवं;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।
- (vi) कंपनी की अभिभावी अनुपालन प्रणाली पर ध्यान देते हुए और कंपनी के पदनामित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण-पत्रों/प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र के आधार पर कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्न विधियों का अनुपालन किया है :
- (क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- (ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- (ग) कार्यस्थल पर (रोक, प्रतिषेध और निवारण) महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
- (घ) नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विनियमन, परिपत्र, अपेक्षाएं, आदेश, अधिसूचनाएं।
- (ङ.) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्रतिनिधित्व के आधार पर, मेरी राय में, कंपनी में मॉनीटरिंग एवं श्रम कानून सहित लागू सामान्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों के रखरखाव जैसे लागू वित्तीय कानून का कंपनी द्वारा अनुपालन करने की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा-परीक्षा एवं अन्य नामांकित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन है।

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

- (i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।
- (ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ किए गए इकिवटी लिस्टिंग करार एवं ऋण लिस्टिंग करार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (कंपनी पर लागू नहीं)।

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है :

- i. निदेशक मंडल की 76वीं बैठक आयोजित करने की सूचना सभी निदेशकों को दिनांक 19 मार्च, 2020 को भेजी गई थी,



लेकिन दिनांक 25 मार्च, 2020 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल 03 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

- ii. कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 साथ पठित धारा 149 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

मैं/हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि:-

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकों के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए और बैठक के पहले और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

प्रबंधन द्वारा जैसा प्रतिनिधित्व किया गया, बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

जैसाकि हमें अभ्यावेदन मिला और हमें स्पष्ट किया गया, मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर भारी प्रभाव पड़े।

ह/-

हुसैन वाई. वाघ

व्यवसायिक कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिक कोड स2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996

व्यवसाय प्रमाण—पत्र संख्या – 12153

यूडीआईएन: ए032996बी001561963

मुंबई

19 दिसंबर , 2020

यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'परिशिष्ट क' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।



'परिशिष्ट क'

सेवा में

सदस्यगण,

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
सीआईएन—यू63090डीएल2003पीएलसी120790
दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर,
टर्मिनल-2, आईजीआई हवाईअड़डा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली,
नई दिल्ली—110037

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंబित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

ह/-

हुसैन वाई. वाघ

व्यवसायिक कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिक कोड स2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996

व्यवसाय प्रमाण—पत्र संख्या — 12153

यूडीआईएन: ए032996बी001561963

मुंबई

19 दिसंबर , 2020



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 दिसंबर 2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बहतर ज्ञान हेतु आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

वर्तमान देनदारियां

व्यापार देय — 84.62 करोड़ रुपए (नोट 17)

उपरोक्त में कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष की एयरलाइनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आईएटीए) बिलिंग हेतु कंपनी द्वारा अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मैसर्स एकेली काले के बिलों के प्रति ₹0.88 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं। कंपनी उपरोक्त राशि {वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट का पैरा 22 ए 2 (ii)} को दायित्व के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित कर रही है।

इसलिए, उपर्युक्त के परिणामवरूप व्यापार प्राप्य और व्यय में ₹0.88 करोड़ रुपए का न्यूनकथन हुआ है और समान रूप पर आकस्मिक देयताओं के रूप में लाभ का अतिकथन हुआ है।

ख. रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियाँ

- कंपनी के पास 589877.22 अमरीकी डॉलर का बैंक शेष है। तथापि, इंड एएस-7 के अनुपालन में, विदेशी मुद्रा में ₹0.14 करोड़ रुपए की राशि के बैंक शेष पर विनियम दर में परिवर्तन का प्रभाव रोकड़ प्रवाह विवरण में अलग से नहीं दिखाया गया है।
- रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में ₹0.17 करोड़ रुपए की राशि में तीन सावधि जमा राशि शामिल हैं, जो ग्रहणाधिकार के तहत हैं और इसलिए, कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इंड एएस-7 के अनुपालन में, रोकड़ प्रवाह विवरण में इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया है।
- 135.82 करोड़ की राशि की स्थिर परिसंपत्तियां खरीदी गई हैं, हालांकि, वेंडरों को केवल ₹47.97 करोड़ का भुगतान किया गया है और वित्तीय देनदारियों के तहत 87.85 करोड़ का भुगतान दर्शाया गया है। कंपनी ने प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करते समय व्यापार प्राप्यों में वृद्धि/कमी के अंतर्गत 87.85 करोड़ के प्रभाव को स्वीकार किया है और



निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करते हुए 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद' के तहत ₹135.82 करोड़ की कुल क्य राशि को दर्शाया है। चूंकि, यह एक प्रचालन गतिविधि नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह के तहत नहीं लिया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त, अचल संपत्तियों की खरीद को ₹135.82 करोड़ रूपए के पूर्ण क्य मूल्य में दर्शाने के स्थान पर शुद्ध रोकड़ बहिर्वाह आधार पर यथा ₹47.97 करोड़ रूपए के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, उपरोक्त उपचार से प्रचालन गतिविधियों से सृजित रोकड़ का अतिकथन हुआ है और निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में ₹ 87.85 करोड़ रूपए का न्यूनकथन हुआ और इसके परिणामस्वरूप, इंड एएस-7 का गैर-अनुपालन भी हुआ है जो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /—

(रीना अकोइजम)

प्रधान निदेशक—वाणिज्यिक लेखापरीक्षा नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.02.2021



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 दिसंबर 2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बहतर ज्ञान हेतु आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

वर्तमान देनदारियां

व्यापार देय — 84.62 करोड़ रुपए (नोट 17)

उपरोक्त में कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष की एयरलाइनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आईएटीए) बिलिंग हेतु कंपनी द्वारा अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मैसर्स काले के बिलों के प्रति ₹0.88 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं। कंपनी उपरोक्त राशि [वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट का पैरा 22 ए 2 (ii)] को दायित्व के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित कर रही है।

इसलिए, उपर्युक्त के परिणामवरूप व्यापार प्राप्य और व्यय में ₹0.88 करोड़ रुपए का न्यूनकथन हुआ है और समान रूप पर आकस्मिक देयताओं के रूप में लाभ का अतिकथन हुआ है।

प्रबंधन का उत्तर:

ग्राउंड हैंडलिंग सहायक कंपनी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के प्रचालनीकरण के समय, अक्टूबर 2004 में, मैसर्स काले द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि कंपनी प्रति प्रचालित उड़ान के लिए 100 रुपए की दर से बिल प्रस्तुत करेगी और यह प्रस्ताव केवल विशिष्ट रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए है। इस समझौते को औपचारिक रूप नहीं दिया गया था और इस संबंध में कोई ठोस समझौता/अनुबंध नहीं किया गया था और यह व्यवस्था जारी है और कंपनी द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

चूंकि, इस संबंध में कोई औपचारिक समझौता नहीं था, कंपनी ने इसे आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया है है और बीजकों को लेखांकित नहीं किया गया है। वर्ष 2015 से इन पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अभाव में, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने दिनांक 31 मार्च 2019 से मैसर्स काले द्वारा प्रस्तुत बिल राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित करना आरंभ किया था।



पक्ष द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बकाया राशि और उसके बिल के विवरण संलग्न हैं:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| एआईएटीएसएल के नाम में प्रस्तुत बिल | 103,69,540 |
| घटा : इस संबंध में प्राप्त भुगतान | 16,00,000 |
| ----- | ----- |
| आकस्मिक देयता के रूप में शेष | 87,69,540 |
| ----- | ----- |

हमने सरकार के लेखापरीक्षा दल द्वारा परम्परागत दृष्टिकोण अपनाने और इसे लेखांकित करने के संबंधी टिप्पणियों को नोट किया है, जिसे आकस्मिक देयता के तहत प्रदान करने के स्थान पर अपनाया जाना चाहिए था।

कंपनी वर्ष 2020–21 के दौरान समझौते में शामिल होने के दीर्घकालीन लंबित मुद्दे के समाधान के प्रयास कर रही है और इनके लेखांकन की व्यवस्था कर रही है जैसा कि सीएजी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एचएम और पीसी को उत्तर दिया गया है।

ख. रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियाँ

1. कंपनी के पास 589877.22 अमरीकी डॉलर का बैंक शेष है। तथापि, इंड एएस-7 के अनुपालन में, विदेशी मुद्रा में 0.14 करोड़ रुपए की राशि के बैंक शेष पर विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव रोकड़ प्रवाह विवरण में अलग से नहीं दिखाया गया है।

प्रबंधन का उत्तर

589877.22 अमरीकी डालर के रोकड़ और रोकड़ समतुल्य पर विनिमय दरों का प्रभाव 4,31,87,700.10 रुपये है, हालांकि, एफईडीएआई में परिवर्तित विनिमय दर 589877.22 अमरीकी डालर के रूपांतरण में 446,33,059.85 रुपये है, जिसके कारण 14,45,359.75 रुपए का अंतर प्राप्त होता है, जो लाभ और हानि विवरण के अन्य आय के अंतर्गत लेखांकित 275.07 मिलियन रुपए के कुल गैर-वसूली लाभ में भी शामिल है।

जैसा कि लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्धारित किया गया है कि 589877.22 अमरीकी डालर के रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के विनिमय लाभ की राशि 14,45,359.75 रुपए को अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में 0.17 करोड़ रुपए की राशि में तीन सावधि जमा राशि शामिल हैं, जो ग्रहणाधिकार के तहत हैं और इसलिए, कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इंड एएस-7 के अनुपालन में, रोकड़ प्रवाह विवरण में इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर

सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार का ब्लोरा तुलन पत्र के भाग का सृजन करने वाले नोटों (नोट संख्या 9 और 10) में दर्शाया दिया गया है। हालांकि, इसका रोकड़ प्रवाह विवरण में नोट के रूप में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रभावी प्रकटन किए जाएंगे।

3. 135.82 करोड़ की राशि की स्थिर परिसंपत्तियाँ खरीदी गई हैं, हालांकि, वेंडरों को केवल ₹47.97 करोड़ का भुगतान किया गया है और वित्तीय देनदारियों के तहत ₹87.85 करोड़ का भुगतान दर्शाया गया है। कंपनी ने प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करते समय व्यापार प्राप्तों में वृद्धि/कमी के अंतर्गत ₹87.85 करोड़ के प्रभाव को स्वीकार किया है और निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करते हुए 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद' के तहत ₹135.82 करोड़ की कुल क्य राशि को दर्शाया है। चूंकि, यह एक प्रचालन गतिविधि नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह के तहत नहीं लिया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त, अचल संपत्तियों की खरीद को ₹135.82 करोड़ रुपए के पूर्ण क्य मूल्य में दर्शाने के स्थान पर शुद्ध रोकड़ बहिर्वाह आधार पर यथा ₹47.97 करोड़ रुपए के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।



इस प्रकार, उपरोक्त उपचार से प्रचालन गतिविधियों से सृजित रोकड़ का अतिकथन हुआ है और निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में ₹87.85 करोड़ रुपए का न्यूनकथन हुआ और इसके परिणामस्वरूप, इंड एस-7 का गैर-अनुपालन भी हुआ है जो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है।

प्रबंधन का उत्तर

रोकड़ प्रवाह विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के घटकों के साथ-साथ प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा वर्गीकृत रोकड़ प्रवाह को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। एक निकाय को 'प्रत्यक्ष विधि' या 'अप्रत्यक्ष विधि' का उपयोग करके प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रत्यक्ष विधि के तहत, सकल रोकड़ प्राप्तियों और भुगतान के प्रमुख वर्गों को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, अप्रत्यक्ष विधि के तहत, लाभ या हानि को गैर-रोकड़ प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, पिछले या भविष्य के प्रचालन रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के आक्षेप या संचयन और नकदी प्रवाह में निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की वस्तुएं को शामिल किया जाता है, इसकी तर्ज पर प्रचालन से रोकड़ प्रवाह और/या बहिर्वाह हेतु समायोजन किया गया है। एक लेखांकन अवधि से अगली लेखांकन अवधि में प्राप्त या देय राशि में किसी परिवर्तन को रोकड़ प्रवाह में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किसी भी खाते में यदि प्राप्त कम हो जाता है तो इसका अर्थ है कि कंपनी में अधिक रोकड़ आ गई है या यदि कोई देय खाता बढ़ता है तो यह माना जाएगा कि कंपनी ने उन सभी खर्चों के लिए भुगतान नहीं किया गया था जो वर्तमान अवधि के आय विवरण में शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के रोकड़ शेष की राशि में शुद्ध आय की उल्लिखित राशि से अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी।

कई निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों का वर्तमान रोकड़ प्रवाह पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि वे निकाय की पूँजी और संपत्ति संरचना को प्रभावित करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण से गैर-रोकड़ संव्यवहारों को शामिल न किया जाना रोकड़ प्रवाहों के विवरण के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि ये मद्दें चालू अवधि में रोकड़ प्रवाह में शामिल नहीं हैं। गैर-नकद लेनदेन के उदाहरण हैं: (क) सीधे संबंधित देनदारियों या वित्तीय पट्टे के माध्यम से संपत्ति का अधिग्रहण, (ख) इकिवटी इश्यु के माध्यम से निकाय का अधिग्रहण, और 12(ग), ऋण का इकिवटी में रूपांतरण।

प्रचालन गतिविधियाँ वे गतिविधियों हैं जिनमें एक उपक्रम की प्राथमिक या मुख्य गतिविधियां शामिल हैं। प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में सामान और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को रोकड़ भुगतान, कर्मचारियों को रोकड़ भुगतान और प्रीमियम और दावों, वार्षिकी और अन्य पॉलिसी लाभों के लिए बीमा कंपनी को रोकड़ भुगतान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का निर्धारण करने की अप्रत्यक्ष विधि, शुद्ध लाभ/हानि की राशि से आरंभ होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाभ और हानि का विवरण उद्यम की सभी प्रचालनिक गतिविधियों के प्रभावों को शामिल करता है। हालांकि, लाभ और हानि विवरण आकस्मिक आधार पर तैयार किया जाता है (और नकद आधार पर नहीं)। इसके अतिरिक्त, इसमें कुछ गैर-प्रचालनिक मद्दें भी शामिल हैं, जैसे कि व्याज का भुगतान, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, आदि) और गैर-नकद मद्दें (जैसे मूल्यव्यापार, साख आदि), इसलिए, प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का निर्धारण करने के लिए लाभ और हानि विवरण द्वारा दर्शाएं अनुसार शुद्ध लाभ/हानि की मात्रा को समायोजित करना आवश्यक है।

- ₹135.82 करोड़ रुपये की राशि अचल संपत्तियों की खरीद के प्रति परिलक्षित हुई है, जिसके प्रति विक्रेता को ₹47.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पूँजी लेनदारों को देय के रूप में अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत ₹87.85 करोड़ की राशि का प्रकटन किया गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय, इसे स्वतः ही व्यापार के भुगतान में वृद्धि/कमी के तहत स्वीकार किया जाता है और इसे निवेश गतिविधियों से सृजित रोकड़ के प्रति प्रचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह के रूप में परिलक्षित किया जाता है।
- प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल रोकड़ और प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

हम आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रस्तुतीकरण या प्रकटन में किसी प्रकार के विचलन, यदि कोई हो, को वर्ष 2020–21 में ठीक किया जाएगा।



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) के सदस्यों हेतु स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2020 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

मत का अर्हक आधार

1. कंपनी ने निम्नलिखित लेखा शेषों को अग्रेषित किया है जो 31 मार्च 2020 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लंबित हैं।
 - (क) कंपनी ने स्टशनों से प्राप्त भौतिक सेवा अभिलेखों के आधार पर आयटा प्लेटफार्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व हेतु लेखांकन किया है और विविध बिलिंग प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से इसे बुक किया है। यह राजस्व ग्राहक से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देजनर है। ऐसी सभी अस्वीकृतियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 तक प्रावधान किया गया है। कंपनी ग्राहाकों के पुनःबिलिंग की प्रक्रिया में है और बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2020 को बकाया शेष राशि 504.69 मिलियन रूपए है, जिसके प्रति कंपनी ने 233.08 मिलियन रूपए का संभावित ऋण घाटा भत्ते का प्रावधान किया है। हम ऐसी शेष राशियों की वसूली के लिए प्रबंधन के मद पर आश्रित हैं, कम से कम रिपोर्टिंग मूल्य के समान और इसलिए, इसमें आगे किसी प्रकार के समायोजनों की आवश्यकता नहीं है।
 - (ख) कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक गैरअनुपान देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ संबंधी खातों में प्रतिकूल शेष रिपोर्ट किया गया है, जिनका संबंधित सांविधिक रिपोर्ट के साथ समाधान किया जा रहा है। कंपनी उक्त शेषों के समाधान और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। हम प्रबंधन के तर्क पर विश्वास करते हैं कि ऐसी शेष राशियों के समाधान से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष हेतु किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
 - (ग) कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों से इतर पक्षों को उपलब्ध कराई गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। 31 मार्च 2020 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में ऐसे कर से एकत्र संचित राशि को अन्य वित्तीय देयता और व्यापार प्राप्तों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस राशि का भुगतान अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किया जाना है। ऐसे करों के समायोजनों के लंबित होने के कारण प्रबंधन



वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभवों की आशा नहीं कर रहा है।

- (घ) (i) कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक परिसरों/वाहनों आदि के लिए पट्टों में प्रवेश किया है (खरीद/नवीकरण के विकल्प सहित किन्तु उसके शीर्षक को अंत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है) जो विभिन्न स्थानों / स्टेशनों / क्षेत्रों में फैले हुए हैं और कंपनी इंड एएस-116-पट्टों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी को समेकित करने की प्रक्रिया में है।
- (ii) कंपनी धारक कंपनी द्वारा प्रदान की गई पट्टा सेवाओं, बिजली, बीमा, स्टाफ यात्रा, सामग्री प्रबंधन सेवाओं, आईटी सेवाओं आदि सहित सभी सेवाओं के विवरण को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी इंड एएस 116 – पट्टा लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पट्टा दायित्वों की पहचान करने में असमर्थ।

उपर्युक्त मामलों का संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व, वस्तुओं और सेवाकर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ तथा प्राप्य, देय, शेयरधारक निधियों के संबंध में, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना के निर्धारण और प्रकटन पर परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं।

हमने अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि हमारा अर्हक मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 51 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के लिए प्रबंधन मूल्यांकन को प्रकट करता है। वैशिक महामारी से भावी आर्थिक परिस्थितिया से जुड़ी अत्यधिक अनिश्चिता के मद्देनजर, आगामी समय में वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव अत्यधिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है।
2. हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 48(प) पर आपका आकर्षित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस-109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 521.93 मिलियन रूपए की राशि के समूह कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2020 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभाव का परिकलन किया है।
3. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 25 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस -8, "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन" के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को पुनःप्रस्तुत किया है। पूर्व अवधि के समायोजन में राजस्व/व्यय की रिकॉर्डिंग और प्राप्य / देय सामंजस्य के प्रभाव में त्रुटियों / चूक शामिल हैं। तदनुसार, संबंधित संपत्ति / देनदारियों में संबंधित प्रभाव के साथ पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में 133.31 मिलियन रूपए का शुद्ध प्रभाव स्वीकार किया गया है। इससे कर और अन्य व्यापक आय से पूर्व लाभ में कमी आई है और पिछले वर्ष के लिए 133.31 मिलियन रूपए की अन्य इकिवटी की अनुवर्ती कमी के साथ क्रमशः 133.31 मिलियन रूपए और शून्य रूपए का वृहत आय हुई है।
4. कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं प्रदान करके अपने राजस्व का अधिकांश भाग अर्जित करती है। जैसा



कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी दोनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के ब्यौरे को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित दर चार्ट के आधार पर अपने लेनदेन को रिकॉर्ड किया है। हमने प्रबंधन मत पर विश्वास किया है कि मास्टर सेवा समझौते का प्रभाव भौतिक नहीं होगा और उस वर्ष पर विचार किया जाएगा जिसमें समझौता यह हस्ताक्षर किया जाएगा।

5. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं 31 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 269.41 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष रु. 148.19 मिलियन रूपए) को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
6. हम वित्तीय विवरणों में नोट 29 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जी सहित 86.77 मिलियन रूपए राशि की इन्वेंटरी उपलब्ध है। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
7. हम वित्तीय विवरणों के नोट 27 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, व्यापार देय और व्यापार प्राप्त की शेष राशि (समूह कंपनियों के मामले को छोड़कर) संतुलन की पुष्टि और सामंजस्य के अध्यधीन है। इस प्रकार से समायोजन के लंबित होने के कारण वपार प्राप्त ऋण शेष के निवल का 38.86 मिलियन रूपए और व्यापार प्राप्त निवल शेष राशि रु 100.48 मिलियन की प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त समायोजन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार के समायोजनों का अनुमान लगाने में असर्मर्थ हैं। कंपनी कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्याम में रखते हुए प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इस तरह के विश्लेषण के लंबित होने पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 के प्रभाव को इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

कम्पनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। निदेशक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध होने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, जब वह हमें उपलब्ध हो जाए तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद-133, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के



अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य वृहत आय, रोकड प्रवाह, इविवटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुर्विवरण से मुक्त हैं, कश्स, जालसाजी अथवा चूक ये मुक्त हैं, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे मत को प्रस्तुत करे। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान लेना तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ-गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (प) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार



की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों के दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (प) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र का नियोजन और (पप) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम, अन्य मामलों के साथ—साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध—क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप—अनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारे मतानुसार, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुददे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखाबहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुददों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक से संगत हैं।
 - (ङ.) हमाने मतानुसार उपुर्यक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुददे का निष्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - (च) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध—ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।



- (ज) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है— वित्तीय विवरण के नोट सं. 22 का संदर्भ लें;
 - कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।
 - ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।
3. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप—अनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एआई एअरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:
- (क) क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।
- कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक बौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (प) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – अनुबंध ख पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें।
- (ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कंपनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कर्ज नहीं लिए हैं।
- (ग) क्या विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्त निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 109574डब्ल्यू

(विपुल के चौकसी)

साझेदार

सदस्यता संख्या : 037606

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18 दिसंबर 2020

इस अभिलेख हेतु विशिष्ट अभिलेख पहचान संख्या (यूडीआईएन) : 20037606एएएडीएम6320



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"

(समसंख्यक तिथि की एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

- i) (क) कंपनी ने लेखा बहियों में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति को नहीं दर्शाता है।
(ख) वर्ष 2018 के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और अगस्त 2019 के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चालू वर्ष के दौरान कमी और अतिरिक्त देयता के संबंध में आवश्यक लेखा कार्रवाई आवश्यक है। वर्तमान वर्ष के दौरान एजेंसी द्वारा चिह्नित 20.08 मिलियन रुपए की कमी को पूरी तरह से कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान चिह्नित 1427 संख्या में अधिशेष संपत्ति की चालू वर्ष में लेखाबहियों प्रति 1 रुपए पर पूँजीकृत किया गया है।
- कंपनी की नीति के अनुसार, दो वर्ष में एक बार पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उक्त नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया था, तथापि, वर्ष के दौरान इसे पूरा नहीं किया जा सका। प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पुष्टि, अनुपयोगी भौतिक सत्यापन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी है।
- (ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेश का पैरा 3 (प) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।
- ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकार्डों के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां की लेखाबहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है, केवल इसकी समूह कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा धारित इंवेंटरी को छोड़कर, जिनका समाधान किया जा रहा है और अंतिम समाधान के पश्चात इनका लेखांकन किया जाएगा।
- iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (पपप) (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कंपनी पर लागू नहीं होती।
- iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (पअ) के अधीन अपेक्षाएँ कंपनी पर लागू नहीं होती।
- v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (अ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती।
- vi) कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद 148 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।
- vii) क- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकार, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है, केवल भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देयराशियों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित



सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है।

| नियम का नाम | देय राशियों की प्रकत्रिति | राशि (मिलियन रूपए में) | अवधि जिससे यह राशि संबंधित है |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | भविष्य निधि | 14.40 | समाधान किया जा रहा है |
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राशियां | 13.80 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 7.60 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 0.91 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड 51) | निर्धारित नहीं किया जा सकता है | समाधान किया जा रहा है |

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, बिक्रीकर, प्रवेश कर, मूल्य संवर्धन कर के संबंध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं, जिन्हें विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

| नियम का नाम | देय राशि की प्रकत्रिति | राशि (मिलियन रूपए में) | अवधि जिससे यह राशि संबंधित है | न्यायालय जहां विवाद लंबित है |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 0.15 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 13.34 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयकर आयुक्त (अपील) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 6.60 | वित्तीय वर्ष 2017–18 | आयकर आयुक्त (अपील) |

(viii) दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचरधारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (अपप) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ix) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगले पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (पग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी और उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई भी भौतिक धोखाधड़ी देखा या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस आदेश का पैरा 3 (पग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (गप) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें द्वारा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, एक सरकारी कंपनी होने



के कारण कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की शर्तों के अनुसार अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन के तहत अन्य सरकारी कंपनियों के साथ संव्यवहार की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार के संव्यवहारों को लागू वित्तीय मानकों द्वारा आवश्यक रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लागू स्तर तक अधिनियम की धारा 177 अधिनियम के अनुपालन में, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों, निम्नलिखित संव्यवहारों का छोड़कर, की आगामी लेखापरीक्षा समिति में पुष्टि की गई थी।

| संबंधित पक्ष संबंधित पक्षों की प्रकृति | किए गए संव्यवहार | शामिल राशि (मिलियन रुपए में) | टिप्पणियां (गैर-अनुपालन) |
|--|---|------------------------------|--|
| धारक कंपनी | व्यय संव्यवहार जैसे सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार, सामग्री प्रबंधन सेवाएं, पट्टा/किराया व्यय, बीमी की वसूली, व्यय/बिजली प्रभार, स्टाफ यात्रा और कल्याण व्यय | 205.73 | वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रविष्ट ऐसे व्यय संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया। |
| सहायक कंपनी | हैंडलिंग प्रभार | 13.91 | |
| सहायक कंपनी | स्टाफ यात्रा व्यय | 1.08 | |

हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने संबंधित पक्ष संव्यवहारों के अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक में अपेक्षित है।

- (xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रूप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस आदेश के खंड 3 (गपअ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xv) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (गअप) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 109574डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18 दिसंबर 2020

(विपुल के चौक्सी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 037606
संख्या (यूडीआईएन) : 20037606एएएडीएम6320



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “ख”

अधिनियम के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्विक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत व्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के



अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संबंधित रूपों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2020 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

- (क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की खामियां:
- (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्दो नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं।
 - (ii) लेखांकन साफ्टवेयर में प्राधिकार नियंत्रण जैसे मेकर / चैकर नियंत्रण कियात्मक नहीं हैं।
 - (iii) महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर कार्यों के के विभाजन का अभाव या अनुपयुक्तता।
 - (iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का अनुपयुक्त डिजाइन जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और चालू आवश्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।
 - (v) समय के आधार पर निकाय की आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनिक कुशलता पर पहुंच का प्रयोग करने के लिए मॉनीटरिंग नियंत्रणों का अनुपयुक्त डिजाइन।
 - (vi) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं हैं और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।
- (ख) परिसंपत्तियों को हानि, क्षति या दुर्विनियोजन से सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित नियंत्रणों की विफलता। कंपनी के पास लेखा बहियों से भौतिक इन्वेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं।
- (ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।
- (घ) आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण खामियों के संकेतक और महत्वपूर्ण कमियों को कड़े संकेतक निम्नानुसार हैं:
- (i) महत्वपूर्ण दुर्विवरण में शुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व में जारी वित्तीय विवरणों का पुनर्निर्धारण। यह दर्शाता है कि समापन के समय कटऑफ प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं।



(ii) स्वतंत्र निदेशक की रिपोर्ट के अनुंध —क के बिंदु अपप के संदर्भ में निकाय द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसरण के गैर—अनुपालन की घटनाएं देखी गई हैं। यह कुशल विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को दर्शाता है।

“सामग्रीगत खामी” वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपर्युक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और इन सामग्रीगत खामियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर अर्हक मत जारी किया है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम — 109574डब्ल्यू

(विपुल के चौकसी)

साझेदार

सदस्यता संख्या : 037606

संख्या (यूडीआईएन) : 20037606एएएडीएम6320

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18 दिसंबर 2020



31 मार्च 2020 को कंपनी के विरुद्ध लंबित कानूनी मामले अनुमानित वित्तीय प्रभाव 13.9647 मिलियन रुपए

| क्र. सं | स्थेशन | याचिका का वर्गीकरण | मामला संख्या | वाचिकाकर्ता | के विरुद्ध दायर याचिका | प्रतिवादी | समक्ष दायर याचिका | दायर की तिथि | वकील का नाम | संक्षिप्त विवरण | संधि रुपर. मिलियन में | वर्तमान स्थिति | वित्तीय प्रभाव |
|---------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 1 | बीओएम | आपराधिक | रिट याचिका 4295 - 2015 | एआईएटीएसएल के वरिष्ठ कार्यपालक | श्री के जे थोके | वरिष्ठपुलिस इस्पेक्टर, सहारा पुलिस रेटेन | बम्बई न्यायालय | उच्च 03.03.2015 | मैसर्स किनी एंड कंपनी ,। व 2 - याचिका को जोड़ दिया गया हैद | बम्बई से एटीक्यू में आने वाचिका को अवाननना के लिए सोना से निरत किया जाने के कारण वर्ष 2015 में एआईएटीएसएल के कार्यपालकों के विरुद्ध श्री थोके वरिष्ठ एजीएम क्षरा एफआईआर दायर की गई। वर्षानन याचिका एटीसीटी अधिकारीम 1969 के अंतर्गत श्री थोके द्वारा दायर एफआईआर को समाप्त करने हेतु वर्षानन | 0.450 | सुनवाई हेतु लघित | उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए वरिष्ठ एसोसिएट के सहयोग सहित मैसर्स किनी एंड कंपनी के संबंध में उपरिथित पुल्क। अवानत में प्रत्येक उपरिथित के लिए पुल्क 4 लाख प्रयास हजार रुपए होगा। |
| 2 | बीओएम | आपराधिक | रिट याचिका 4772 वि 2015 | एआईएटीएसएल के वरिष्ठ कार्यपालक | श्री एम डी मोकल | वरिष्ठपुलिस इस्पेक्टर, सहारा पुलिस रेटेन | बम्बई न्यायालय | उच्च 03.03.2015 | | | | | |
| 3 | बीओएम | सिविल | अवहेलना याचिका रट 1730 / 2015 | श्री के जे थोके | एवर इंडिया एवं अन्य | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-5,6,7, | बम्बई न्यायालय | उच्च 09.03.2018 | मैसर्स किनी एंड कंपनी | बम्बई-डिस्ट्रिक्ट-कोर्ट के लिए जारी नहीं करने के लिए है क्योंकि याचिकानां जाति जाच समिति द्वारा सत्यापित आने जनजाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में विफल रहा है। | 0.200 | सुनवाई हेतु लघित | उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए वरिष्ठ एसोसिएट के सहयोग सहित मैसर्स किनी एंड कंपनी के संबंध में उपरिथित पुल्क। अवानत में प्रत्येक उपरिथित के लिए पुल्क 4 लाख प्रयास हजार रुपए होगा। |
| 4 | बीओएम | सिविल | रिट याचिका - 25 / 2018 | श्री एस एस होकर | एवर इंडिया एवं अन्य | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-2,3,5,6 | बम्बई न्यायालय | उच्च 11.04.2018 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | यह याचिका सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं करने के लिए है क्योंकि याचिकानां जाति जाच समिति द्वारा सत्यापित आने जनजाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में विफल रहा है। | 0.100 | सुनवाई हेतु एड्वोकेट लैंसी डिसूसा के संबंध में 1 लाख रुपए को छाड़कर कोई प्रभाव नहीं। | |
| 5 | बीओएम | रिट याचिका | रिट 2018 | याचिका, कर्मचारी गिल्ड | एवर इंडिया एवं अन्य | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-5,6,7, | बम्बई न्यायालय | उच्च 06.12.2018 | मैसर्स किनी एंड कंपनी | एआईएटीएसएल द्वारा नियुक्त एवर इंडिया में वरिष्ठ सुरक्षा एंजेंटों और सुखा एंजेंटों के आमेलन के संबंध में याचिका दायर की है। | 0.200 | सुनवाई हेतु लैंसी की एंड कंपनी की उपरिथित हेतु 2 लाख को छाड़कर बून्ह रुपए। | |
| 6 | बीओएम | रेफ-सीजीआईटी | रिट 2018 | बहुजन कामगार यूनियन | एवर इंडिया | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-2 | ऑफिशियल इकरण | अधि 11.06.2007 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | आकरिक्षण मजदूरों के नियन्त्रितीकरण के लिए। यह मामला बहुजन कामगार संघ और मैसर्स एवर इंडिया के बीच है बहसाल, एआईएटीएसएल को भी इसमें पक्ष बनाया गया है। | 0.050 | सुनवाई हेतु एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिथित हेतु 50000 रुपए को छाड़कर बून्ह रुपए। | |
| 7 | बीओएम | रेफ-सीजीआईटी | रेफ सी जी आई टी १५१५ २००७ | एम एल बेट्टी | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑफिशियल इकरण | अधि 22.12.2016 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | यह कंपनी के लिए व्यापार के नुकसान से संबंधित कानून के खिलाफ की सज्जा के खिलाफ है। उसने अपनी सामाजिक सेवानिवृत्ति याच 31. 12.2016 तक सेवाओं में वापस परिव्रामिक के साथ पुकार बहाल करने को कहा गया है। | 0.225 | सुनवाई हेतु एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिथित हेतु 25000 रुपए के अतिरिक्त 2 लाख रुपए। | |
| 8 | बीओएम | रेफ-सीजीआईटी | रेफ सी जी आई टी २६१३ २०१७ | श्री एम डी मोकल | एवर इंडिया | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-2 | सीजीआईटी सं.२ | 13.01.2017 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | ए आई ए टी ए स ए ल कार्यपालक आधिकारीयों की मालाहनि से संबंधित सेवाओं से उनके नियन्त्रित के संबंध में 01.03.2016 के आदेश को चुनौती दे रहा है। वह पूर्ण बेतन के साथ सेवाओं में पुनर्बहाली की मांग कर रहा है। | 0.050 | सुनवाई हेतु एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिथित हेतु 50000 रुपए को छाड़कर लगभग 14 लाख रुपए। | |
| 9 | बीओएम | रेफ-सीजीआईटी | रेफ सी जी आई टी २४१३ २०१७ | श्री एस टी कटकर | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल -प्रतिवादी-2 | ऑफिशियल इकरण | अधि 23.02.2017 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | ए आई ए टी ए स ए ल कार्यपालक आधिकारीयों की मालाहनि से संबंधित सेवाओं से उनके नियन्त्रित के संबंध में 01.03.2016 के आदेश को चुनौती दे रहा है। वह पूर्ण बेतन के साथ सेवाओं में पुनर्बहाली की मांग कर रहा है। | 1.450 | सुनवाई हेतु एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिथित हेतु 50000 रुपए को छाड़कर लगभग 14 लाख रुपए। | |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|--|---|------------|----------------------------|--|---------|-----------------|---|--|
| 10 | बीओएम | रेफ— सीजीआईटी | रेफ सीजीआईटी २४३, २०१६ | सं श्री पी एन घोवार | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑफोगिक प्रकरण | अदि | 13.07.2017 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | यह अपने वरिष्ठ अदि कारियों की जानकारी अवहेलन करने अंतर्काल आदेषों का अंतर्पाली न करने तथा कार्य में सेवा से निरत किए जाने के दड के विरुद्ध है। वह पूर्ण वेतन एवं अन्य लाभों के साथ पुनर्बहाली की मांग कर रहा है। | □ 1.450 | सुनवाई लिखित | देतु | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 50000 रुपए के पुल्क के अतिरिक्त 14 लाख रुपए। |
| 11 | बीओएम | स्पॉष्ट | रेफ सीजीआईटी २५५, २०१७ | सं श्री एस वी अवव | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑफोगिक प्रकरण | अदि | 26.11.2017 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | यह सदर्म कदाचार हेतु सविदा को समाप्त करने के विरुद्ध है। वह सविदा समाप्ति की विधि यथा 17.10.17 से पूर्ण वेतन के साथ पुनर्बहाली का दावा कर रहा है। | □ 0.250 | 7.8.19 | को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु 50000 रुपए के पुल्क के अतिरिक्त 2 लाख रुपए। | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 50000 रुपए के पुल्क के अतिरिक्त 2 लाख रुपए। |
| 12 | बीओएम | रेफ— सीजीआईटी | रेफ सीजीआईटी २ २७८ २०१८ | सं श्रीकेश/ भारतीय कामगार सेना | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑफोगिक प्रकरण | अदि | 01.08.2018 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | एकप्रतिवेदी कर्मचारियों को उत्तराने और 19.01. 2018 को शीकेएस द्वारा आयोजित अधैत मीटी में भाग लेने, जिससे एआईएटीएसएल परिसरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खत्ता उत्पन्न हो गया था और कानूनी की छवि धृष्टिल हुई थी, के लिए दिनांक 30.01.2018 से शीकेएस प्रेसार और अमोल कम की रेवाएं समाप्त की गई थीं। | □ 0.050 | सुनवाई लिखित | देतु | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 50000 रुपए को छाड़कर पूर्ण रुपए। |
| 13 | बीओएम | उपदान दावे का भुगतान | रेफ सीजीआईटी २ २७८ २०१८ | सं श्री पी मुख्तु | एवर इंडिया | एआईएटीएसएल —प्रतिवादी—२ | पीजी अधिनियम १९७२ के अंतर्गत नियन्त्रण प्राधिकरण | पीजी | 11.03.2014 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | एआईएटीएसएल ने वहले ही एआईएटीएसएल में उनकी सेवाओं के रखिए उपदान का भुगतान कर दिया है। तथापि, वह एअर इंडिया में टेलीकॉर के मायाम से अपनी सेवा के लिए उपदान की मांग कर रहा है। यह मायाम एअर इंडिया से संबंधित है, हालाकि एआईएटीएसएल को उक्त मायाम में एक पक्ष बनाया गया है। प्रबंधन के साक्ष के लिए इस मायाम को 26.07.2018 तक स्थगित कर दिया गया। | □ 0.015 | सुनवाई लिखित | देतु | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 15000 रुपए को छाड़कर पूर्ण रुपए। |
| 14 | बीओएम | उपदान दावे का भुगतान | अपील ६१३६,२९६६ २०१४ | सं श्री एस जी गवाली | एवर इंडिया | एआईएटीएसएल —प्रतिवादी—२ | पीजी अधिनियम १९७२ के अंतर्गत नियन्त्रण प्राधिकरण | पीजी | 23.09.2014 | एड्वोकेट श्री लैंसी डिसूसा | एआईएटीएसएल को वहले ही एआईएटीएसएल में उनकी सेवाओं के रखिए उपदान का भुगतान कर दिया है। तथापि, वह एअर इंडिया में टेलीकॉर के मायाम से अपनी सेवा के लिए उपदान की मांग कर रहा है। यह मायाम एअर इंडिया से संबंधित है, हालाकि एआईएटीएसएल को उक्त मायाम में एक पक्ष बनाया गया है। प्रबंधन के साक्ष के लिए इस मायाम को 26.07.2018 तक स्थगित कर दिया गया। | □ 0.015 | सुनवाई लिखित | देतु | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 15000 रुपए को छाड़कर पूर्ण रुपए। |
| 15 | एएमडी | रेफ— सीजीआईटी | अ प १ ल सीजीआईटी २३६२३६६ २०१४ | श्री अजनान खान पठान, ग्राहक एजेंट/अस्थायी | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | सीजीआईटी सह श्रमिक न्यायालय, अहमदाबाद | सीजीआईटी सह श्रमिक न्यायालय, अहमदाबाद | 18.07.2018 | एड्वोकेट किनी एंड कंपनी | दिनांक 04.06.2018 को आयोजित हड्डतान में अधैत भागीदारी, जिससे अहमदाबाद में उडान संचालन नियंत्रिति के सुधार संचालन को प्रभावित किया गया, के लिए सेवा समाप्ति की गई, | □ 0.020 | सुनवाई लिखित | देतु | एड्वोकेट लैंसी डिसूसा की उपरिधि हेतु 15000 रुपए को छाड़कर पूर्ण रुपए। |
| 16 | एएमडी | रेफ— सीजीआईटी | र १ सीजीआईटी ८८ २०१८ | सुश्री बालू माटिशा, ग्राहक एजेंट/अस्थायी | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | सीजीआईटी सह श्रमिक न्यायालय, अहमदाबाद | सीजीआईटी सह श्रमिक न्यायालय, अहमदाबाद | 18.07.2018 | एड्वोकेट किनी एंड कंपनी | दिनांक 04.06.2018 को आयोजित हड्डतान में अधैत भागीदारी, जिससे अहमदाबाद में उडान संचालन नियंत्रिति के सुधार संचालन को प्रभावित किया गया, के लिए सेवा समाप्ति की गई, | □ 0.020 | सुनवाई लिखित | देतु | मैसर्स की-१ एंड कंपनी की उपरिधि हेतु 20000 रुपए को छाड़कर पूर्ण रुपए। |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| 37 | मुन्हई | रेफ | रेफ 113६२०१८ | श्री अजीत सालके | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ओटोगिक फ्लाई- मुन्हई | अदि. प्रतिवारी- ५.६.७ | 02.०५.२०१९ | एड्डोकेट श्री लैंसी डिसूगा | संविदागत नियुक्ति के सम्बन्ध में विरुद्ध | □ ०.०० | सुनवाई लिपि | हेतु | पूऱ्य | |
|----|---------|---|--|--|---|--|---|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------|--|--|
| 38 | मुन्हई | सिविल | सौजीआईटी २८११ | विमानन उद्योग कर्मचारी गिल्ड | एअर इंडिया एवं अन्य | एआईएटीएसएल -प्रतिवारी-५.६.७, | मुन्हई उच्च न्यायालय | 25.10.2019 | मेसर्स किनी एंड कंपनी | ३ वर्ष के सीन पर ६ माह के लिए नियुक्ति के नवीकरण हेतु एअर इंडिया प्रबंधन और अन्यों के विरुद्ध मुकदमा | | □ ०.३० | अगली सुनवाई को | 16.०२.२०२० | उच्च न्यायालय के राम्भ सुनवाई के लिए विरुद्ध एसोसिएट के सहयोग सहित मैसर्स किनी एंड कंपनी के सर्वे में उपरिख्यत पुल्क। अदालत में प्रत्यक्ष उपायोगीता के लिए भुतक ६००० रुपए। | |
| 39 | सोसीयू | श्री सुरजीत दास, हैंडीमैन, रस्टाफ सा. ५२३३८ | श्री सुरजीत दास ने दिनांक १ नवंबर, २०१८ से १३ अप्रैल २०१९ तक १६ दिनों के लिए उपरिख्यत रजिस्टर पर हरराइटर किए, जबकि डिपार्टमेंट रोस्टर से यह पता चला था कि वह उक्त दिनों में जूटी से अनुभित थे। उसे उसकी ओर से घोषणाओं की गतिविधि के उपरोक्त कार्य के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताये गये नहीं जारी किया गया था। जैसा कि उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके अनुबंध की पत्ते के अनुमान दिनांक ७ जून २०१९ को निलंबित कर दिया गया था। | १३०८०२०१९ | अगली संयुक्त चर्चा/समायोजन एएनसी/सेंटर, कालेक्टर के समक्ष दिनांक २० नवंबर २०१९ को निर्धारित की गई है। | १३ अगस्त २०१९ और २२ अक्टूबर २०१९ | कोई अनुमान लागत नहीं है। | | | | | □ ०.०० | | | | |
| 40 | रायपुर | | संदर्भ सं.आरपी- २६.५३८८२०१८. एनडीओ.प. | अम प्रवनन अदि ताकारी, रायपुर, श्री प्रवत जे विरुद्ध, दिनांक ०९ जुलाई २०१८ को नोटिस सं. आरपी. २६.५३८८२०१८. एनडीओ.प के संदर्भ में | श्री प्रशांत जे.विपुरे | | | ०९.८४५६२०१८ | एआईएटीएसएल एक संविदाकार है इसलिए फार्म ट.कड़ के रूप में एआईएटीएसएल का संविदा श्रमिक प्रत्यक्ष किया जाना है। एअर इंडिया का प्र गान नियोजित पंजीकरण योग्य/अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हैं। | लवित | □ ०.१० | १३०९१९ | २०,००० रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरिख्यत होने के लिए मुगलान को छोड़कर पूऱ्य रुपए। | | | |
| 41 | दिल्ली | सिविल | कॉम्पैक्ट८२४६१३ | एलजी. नई दिल्ली | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | पटियाला हाउज विल्सन, के सम्बन्ध | ०१.०७.२०१८ | मेसर्स किनी एंड कंपनी सोसिएटर वकील -सुशी संविदा | सुनवाई हेतु लवित | □ ०.१० | | २०,००० रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरिख्यत होने के लिए किनी एंड सास को मुगलान को छोड़कर पूऱ्य रुपए। | | | |
| 42 | लखनऊ | रिट याचिका | रिट याचिका सं. १३०६४२०१८ ५८८ | सुनिल कुमार पाठेय | १. केन्द्रीय सरकार, सचिव नामर विमानन २. मुख्य प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया ३. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एआईएटीएसएल ४. जीएमपीजीएच /एनवार एआईएटीएसएल / कार्यपालक-एवरेच, एआईएटीएसएल ५. वरि.एपी-जीएच, एआईएटीएसएल, लखनऊ ६. अधिकारी आईआर/विविक, एआईएटीएसएल | १. केन्द्रीय सरकार, सचिव नामर विमानन २. मुख्य प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया ३. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एआईएटीएसएल ४. जीएमपीजीएच /एनवार एआईएटीएसएल / कार्यपालक-एवरेच, एआईएटीएसएल ५. वरि.एपी-जीएच, एआईएटीएसएल, लखनऊ ६. अधिकारी आईआर/विविक, एआईएटीएसएल | उप-रजिस्ट्रेशन उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पैठ, लखनऊ | २.५.२०१८ | पत्र सं. एआईएटीएसएल /प्रक्लॉड/९००३/६१४ दिनांक १०.४.२०१८ के तहत निलंबन को बुनाई | १५.०७.२०१९ को सुनवाई होनी थी। सुनवाई के लिए सुशीघ्र। सुनवाई विधि प्रतीक्षाधीन। | १०.०० | अभी तक सूचिये नहीं किया गया | २०,००० रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरिख्यत होने के लिए किनी एंड सास को मुगलान को छोड़कर पूऱ्य रुपए। | | | |
| 43 | श्रीनगर | रिट याचिका | | श्री चक्रीराज नर्जीर खान | एअर इंडिया लिमिटेड एआईएटीएसएल, | एआईएटीएसएल | जम्मू और कश्मीर न्यायालय | | उसकी निलंबित सेवा को पुनर्बहाल करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया | सुनवाई हेतु लवित | □ ०.१० | ३०.०८.२०१९ | २०,००० रुपए में प्रत्येक सुनवाई के पचास, सुनवाई की अगली विधि प्रतीक्षाधीन है छोड़कर पूऱ्य रुपए। | | | |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------------------------|--|---------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|------------------------------------|---|--|
| 44 | अमृतसर | रिट याचिका | | सोनू सिंह | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | अमृतसर उच्च न्यायालय | | माननीय अधिक विवाद | श्री सोन, जो एर्लन एविएशन में कार्यरत थे, को 6 माह की परीक्षाप्रोग्राम अवधि को संबलातारुक पूर्ण करने के अवश्यक एकटीसी में एआईएटीएसएल में हड्डीमें केक रूप में नियुक्ति प्रस्तव दिया गया था। यूकि इस परीक्षाप्रोग्राम अवधि में उसका कार्य संतोषजनक नहीं था, उसे एकटीसी स्टाफ के रूप में एआईएटीएसएल में समानोदात नहीं किया गया। उसने आरएलसी अमृतसर में मामला दायर किया है। | <input type="checkbox"/> 0.100 | | 20,000 रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरित्त होने के लिए भुगतान को छोड़कर पूँछ रूपए। |
| 45 | जयपुर | | | श्रमिक प्रवासन अधिकारी, जयपुर | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | जयपुर उच्च न्यायालय | | | | <input type="checkbox"/> 0.100 | | 20,000 रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरित्त होने के लिए भुगतान को छोड़कर पूँछ रूपए। |
| 46 | दिल्ली | रिट याचिका | | मानसी कौशि | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | दिल्ली | | | | <input type="checkbox"/> 0.075 | | 15,000 रुपए में प्रत्येक सुनवाई हेतु विधि आविष्ट में उपरित्त होने के लिए भुगतान को छोड़कर पूँछ रूपए। |
| 47 | सीओके | रिट याचिका | ठद्यूपीसी 15734 – 2011 | सीएस रवींद्रन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य | एअर इंडिया और प्रतिवादी 2 | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | 10.06.2011 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | नियमितीकरण का मामला, सेवा और समान लाभों में नियमितीकरण/ अवधोशण के लिए दावा। काउंटर एफिलिएट दायर किया। | <input type="checkbox"/> 0.268 | सुनवाई अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं है | मामले के लिए वरिश्ल काउंसिल के सहयोग में सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी |
| 48 | सीओके | रिट याचिका | ठद्यूपीसी 23157 . 2011 | केजी सुखें कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | एअर इंडिया और अन्य | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | 24.08.2011 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | नियमितीकरण का मामला, आरोप है कि याचिकाकर्ताओं के रूप में कुछ उत्तर रिप्टिं में अवधोशण किया गया था। सेवा और समान लाभों में नियमितीकरण/ अवधोशण के लिए प्रार्थना काउंटर एफिलिएट 22.02.2017 को दायर किया गया। | <input type="checkbox"/> 014034919 | सुनवाई अगली सुनवाई हेतु सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी | मामले के लिए वरिश्ल काउंसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी |
| 49 | सीओके | रिट याचिका | ठद्यूपीसी 27989 . 2011 | नारायण राघवकृष्ण पिल्लर्स और 109 अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य। | एअर इंडिया और अन्य | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | 20.10.2011 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | सेवा और समान लाभों में नियमितीकरण/ अवधोशण के लिए दावा। काउंटर एफिलिएट 22.02.2017 को दायर किया गया। | <input type="checkbox"/> 0.268 | सुनवाई अगली निर्धारित नहीं है | मामले के लिए वरिश्ल काउंसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी |
| 50 | सीओके | रिट याचिका | ठद्यूपीसी 15186 . 2012 | बिनेथ थलपिल्ले एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | एअर इंडिया और अन्य | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | 28.06.2012 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | सेवा और समान लाभों में नियमितीकरण / अवधोशण के लिए दावा। काउंटर एफिलिएट 22.02.2017 को दायर किया गया। | <input type="checkbox"/> 0.268 | 014034919 को अतिम सुनवाई हेतु सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी | मामले के लिए वरिश्ल काउंसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी |
| 51 | सीओके | रिट याचिका | ठद्यूपीसी 12501 . 2013 | वीषी अंगी और अन्य बनाम भारत संघ | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | 20.05.2013 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | सीनियर आरएस ली भर्ती। बयान दर्ज किया। अंतिम आरोप कि नियुक्तियों को रिट याचिका के परिमान के अधीन किया जाएगा। | <input type="checkbox"/> 0.268 | 014034919 को अतिम सुनवाई हेतु सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी | मामले के लिए वरिश्ल काउंसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपरित्त होने के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीरस्टी |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|-----------------------------|--|------------|------------|--------------------|------|------------|----------------------|---|-------|--------------------------------|--|
| 52 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 23727 . 2016 | अलीमुद्दी बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 15.07.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | रैप सेवा एजेंट के रूप में याचिकाकर्ता अलीमुद्दी के अनुबंध का गैर—नवीकरण ।।। दिनांक 09.08.2016 को बयान दर्ज किया गया। बहाल करने के लिए अंतरिम आदेश। पुनर्बाटा किया। उसके बाद 6 महीने के लिए काम पर नहीं आया और दिनांक 27.06.18 को उपका अनुबंध समाप्त हो गया। उसके बाद एआईएटीएसएल द्वारा उसका अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया। | 0.268 | 01403ग19 | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग सुनवाई हेतु सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपस्थित होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 53 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 32923 . 2016 | वीपी सोनी बनाम भारतीय संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 13.10.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | रैप सेवा एजेंट के रूप में याचिकाकर्ता के अनुबंध अग्रसर 2016 का नवीकरण नहीं किया गया। काउंटर एफिलेट 22.03.2017 को दायर किया गया। | 0.268 | कंजम वर्दमगज मंत्रपद्ध दर्ज | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपस्थित होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 54 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 32450 . 2016 | राजीव एस.वी. बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 05.10.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | काउंटर एफिलेट 22. 02.2017 को दायर किया गया। बहाल करने के लिए अंतरिम आदेश। 28.12.2016 से प्राप्ती। 01.03.19 को अंतरिम सुनवाई हेतु लिखित। | 0.268 | कंजम वर्दमगज मंत्रपद्ध दर्ज | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पर्स को न्यायालय में उपस्थित होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 55 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 38381 . 2016 | निषात टीजी बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 30.11.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | विज्ञान में रैप सेवा एजेंट अनुबंध और पोर्टिय को चुनौती। काउंटर एफिलेट 13.12.2016 को दायर किया गया। कोई अंतरिम आदेश नहीं। 01.03.19 को अंतरिम सुनवाई। सुनवाई हेतु लिखित। | 0.268 | सुनवाई | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग अभी निर्धारित नहीं है। |
| 56 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 37068 . 2016 | निषात टीजी बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 17.11.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | सीनियर रैप सेवा एजेंटों की भर्ती को चुनौती। काउंटर एफिलेट 01. 07.2017 को दायर किया गया। अंतरिम आदेश कि अदालत की अनुमति लेने के बाद अंतरिम नियुक्तियों की जाए। 01.03.19 को अंतरिम सुनवाई। सुनवाई हेतु लिखित। | 0.268 | सुनवाई | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग अभी निर्धारित नहीं है। |
| 57 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 36627 . 2016 | वीपी सोनी बनाम बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 14.11.2016 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | हैंडीमैन की नियुक्ति को चुनौती। काउंटर हलमाना अभी तक दाखिल नहीं किया गया। 01.03.19 को अंतरिम सुनवाई। सुनवाई हेतु लिखित। | 0.268 | सुनवाई | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग अभी निर्धारित नहीं है। |
| 58 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 41351 . 2017 | सानू. ए.वी. और 16 अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 20.12.2017 | मैसर्स मेनन एंड पर्स | एआईएटीएसएल में नियुक्ति। काउंटर हलमाना दाखिल किया। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एआईएटीएसएल को अंतरिम निर्वैष के लिए याचिका दायर की ताके चल रहे हज उड़ान संचालन के अद्यनपर अंतिम आदेश पर उनकी समाइ पर विचार किया जा सके। हमने अदालत को सुचित किया कि एआईएटीएसएल उनके अनुबंध पर विचार नहीं कर सकता है। 23.01. 19 को अंतिम सुनवाई। सुनवाई हेतु लिखित। | 0.268 | सुनवाई | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिस्ट के सहयोग अभी निर्धारित नहीं है। |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|-------|----------------------|---|
| 59 | सीओके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 6766 , 2018 | एप्रलाइन कैंजुअल एस्लाइज एसोसिएशन और 54 अन्य वानाम भारत संघ और 6 अन्य। | एटर इंडिगा | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 27.02.2018 | मैसर्स मेनन एंड पई | अंतर्सम आदेश याचिकाकर्ताओं को समाज के सेवाओं को बढ़ावा देने का नियंत्रण दें। दूसरे पारिए किए गया, जब वे एआईएटीएसएल को हस्तांतरण खोकर करते हैं। वे एआईएटीएसएल में शामिल हुए। व्यक्तिगतानन पर हस्ताक्षर किए गए। एड्डकेट ने बताया कि मामला आई और कैंजुअल के बीच है और एआईएटीएसएल की भूमिका इस मामले में बहुत सीधी है। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख में सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 60 | सीओके | रेफ | आईडी 372014 | सं. | एप्रिल इंडिगा कौट्रीबुल कम्बिशी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑटोग्राफ नकरण—कोच्ची | अ० 2014 | मैसर्स मेनन एंड पई | वया आटाटोसीरिंग के मायाम से ए आई इंडीएस ए स ए ल में 7 रैप पर्याप्ताकों को न्यायालय के बीच करने में एआईएटीएसएल प्रबंधन की कार्रवाई और विसर्से करनी के नीतियां योग्य और अनुभवी वारिश रैप एजेंटों को पदोन्नति से इकाकर करना सही है? किस राहत के लिए संविधि त कामकार हक्कदार हैं? | 0.268 | 15 प्र० 11 प्र० 2019 | मामले के लिए वरिश्ल काउरिसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 61 | सीओके | रेफ | आईडी 852016 | सं. | एप्रिल इंडिगा कौट्रीबुल कम्बिशी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑटोग्राफ नकरण—कोच्ची | अ० 2016 | मैसर्स मेनन एंड पई | वया एआईएटीएसएल प्रबंधन ने सेवा द्वारा कर्तित रूप से अपने संविधि कर्मचारियों के हक्कदार लाभों से इकाकर किया है? किस लाभ के लिए वे हक्कदार हैं? 10. 12.19 को रीवोयरन देतु मामला खण्डित | 0.268 | 10 प्र० 12 प्र० 2019 | मामले के लिए वरिश्ल काउरिसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 62 | सीओके | रेफ | आईडी 952016 | सं. | एप्रिल इंडिगा कौट्रीबुल कम्बिशी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑटोग्राफ नकरण—कोच्ची | अ० 2016 | मैसर्स मेनन एंड पई | वया एसीआईएल की कार्रवाई एआईसीई के सार्वजनिक सेवाको हेतु साक्षात्कार में भाग लेने के अवसर को लेने हेतु है, जबकि उनके पास अधिकत अहंता और अनुभव है जो न्यायिकता है। संघ/कामकार के राहत के लिए पात्र हैं। 10.12.19 को सीजोयरन देतु मामला खण्डित | 0.268 | 6 प्र० 11 प्र० 2019 | मामले के लिए वरिश्ल काउरिसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 63 | सीओके | रेफ | आईडी 1052016 | सं. | एप्रिल इंडिगा कौट्रीबुल कम्बिशी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑटोग्राफ नकरण—कोच्ची | अ० 2016 | मैसर्स मेनन एंड पई | वया संविधि कर्मचारियों को दिए गए विवरण लाभों से संबंधित एआईएटीएसएल प्रबंधन की कार्रवाई एकाकरता है और यह न्यायिकता है। किस राहत के लिए संघ/कामगार हक्कदार हैं 20.5.19 को संघ ने दावा विवरण दायर किया। मामला 12.7.19 को एआईएटीएसएल से काउंटर विवरण प्रस्तुत करने हेतु खण्डित | 0.268 | 10 प्र० 12 प्र० 2019 | मामले के लिए वरिश्ल काउरिसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 64 | सीओके | रेफ | आईडी 2342016 | सं. | एप्रिल इंडिगा कौट्रीबुल कम्बिशी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | ऑटोग्राफ नकरण—कोच्ची | अ० 2016 | मैसर्स मेनन एंड पई | छ दिनों की पात्री षेटर्न को लागू करने में एआईएटीएसएल मूँह के प्रबंधन की कार्रवाई उचित है या नहीं? यदि नहीं, तो संविधि कार्यकर्ता किस राहत के हक्कदार हैं? 30.08. 17 को अंतिम सुनवाई। | 0.268 | 22 प्र० 11 प्र० 2019 | मामले के लिए वरिश्ल काउरिसिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |
| 65 | सीओके | आपराधिक | नामला सं. 269 | ६ 2017 | एआईएटीएसएल मामला सं. 269 / 2017 केरल पुलिस अधिकारी वानाम मैसर्स खुल्लर खायटी और एआईएटीएसएल | मैसर्स खुल्लर हॉस्पिटलिटी | एआईएटीएसएल | जोएम — न्यायालय | 2017 | मैसर्स मेनन एंड पई | खुल्लर हॉस्पिटलिटी के कर्मचारियों के लिए पीपीए और ईएसआई योगादान के बुगान का डिकोर्न। मैसर्स मेनन एंड पई, सीओके इस मामले को नहीं देख रहे हैं। सीओके रटेन्शन को इस मामले की अदान जानकारी नहीं है। अदान का व्याप्र हेतु पूर्व ईंजी-पी से संपर्क करें। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख में सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपस्थित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लायू जीएसटी |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------------------------------------|---|------------|--------------------|----------------------------|------|------------|-----------------------------|---|-------|----------|---|
| 66 | सौरीजे | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 22317 2017 | गोहम्मद साहीर और 3 अन्य | एआईएटीएसएल | एअर इंडिया और अन्य | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 05.07.2017 | मैसर्स मेनन एंड पई | यह घोषित करने के लिए दायर रिट याचिका कि याचिकाकर्ता का प्रस्तावित निलंबन आवध है और आईडी अधि नियम- 1947 की धारा 25-एफ का उल्लंघन है। काउंटर हलफनामा 24.08.17 को दायर किया गया। मैसर्स मेनन एंड पई, सौरीजे इन मामले को नहीं देख रहे हैं। सौरीजे के रेपोर्ट को इस मामले की आदान जानकारी नहीं है। अदि कि व्यापर होने पूर्व ई-डी-पी से संबंधित करें। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 67 | सौओंके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 3474 . 2018 | निवांत टी.जी. और 4 अन्य | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 31.01.2018 | मैसर्स मेनन एंड पई | जाच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की गई और एआईएटीएसएल प्रबन्ध को 4 दिनों के लंबित वेन के साथ त करने का नियम दिया गया। 4 दिन के निलंबन आवध और परिणाम पर रोक लगाने की प्रार्थना की। 01.03.19 को अंतिम सुनवाई सुनवाई हेतु लंबित। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 68 | सौओंके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 41871 . 2018 | श्रीमानिकंददास के | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 19.12.2018 | मैसर्स मेनन एंड पई | पुलिस गलीरेस सर्टिफिकेट की अनुमतक तर के कारण हैंडीमैन के लाई में उत्तरक नियुक्ति प्रमाणित नहीं हो सकी जिसके लिए उत्तरके एआईएटीएसएल में अपनी नियुक्ति के लिए याचिका दायर की थी। 21.01.2019 को उच्च न्यायालय के आवध ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के प्रति निवारक कार्रवाई नहीं करने का नियम दिया। काउंटर हलफनामा 05.03.2019 को दायर किया गया। 01.03.19 को अंतिम सुनवाई हेतु लंबित। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 69 | सौओंके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 9421 . 2019 | अनुलाल बनाम भारत संघ | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 26.03.2019 | मैसर्स मेनन एंड पई | उन्हें दुराचार के कारण 01.02.19 से डी-रेटर किया गया, जिसके विलाप याचिका दायर की गई है। काउंटर हलफनामा 08.04.2019 को दायर किया गया। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख 27/05/2019 की अगली तारीख सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 70 | सौओंके | | आईडी 11/2018 सं. | एविएशन इंडस्ट्री कॉर्डबुल कर्मचारी एसोसिएशन | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | आंदोगक प्रकरण-कोच्ची | उच्च | 19.02.2019 | मैसर्स मेनन एंड पई | एआईएटीएसएल में संविधा कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने की मांग। | 0.268 | 13.11.19 | सुनवाई की मामले के लिए वरिश्ल काउंटरिल के सहयोग सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 71 | सौरीजे | | धारा 438, 91/द्व सौआरपीसी 269/2017 | श्री जिषें, उत्तर कर्मचारी विजयन द्वारा करियूर पुल स्टेन्ड में दायर मामला, 3 केएपीएल अधिकारी आर-1-आर२ और श्री अब्दू सद बाबू श्रीजोर्ज-जीएस. आर-4, ई-सरकाई एंड ईपीएफ के गैर बगान हेतु। | एआईएटीएसएल | एआईएटीएसएल | संपन न्यायालय, मौजीरी केरल | उच्च | 2017 | मैसर्स मेनन एंड एडब्ल्यूकेट | तलकालपीन जीएच, मैसर्स केएपीएल के नियमित कर्मचारी शरा करियूर पुलिस स्टेन्ड में विकार के आधार पर एआईआर दायर की गई, मामला दायर किया गया, 3 केएपीएल अधि कारी आर१ से आर३ और श्री अब्दू सद बाबू श्रीजोर्ज-जीएस. आर४, ई-सरकाई एंड ईपीएफ के गैर बगान हेतु। | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख अगली नियारित एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 72 | सौओंके | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 10844 . 2019 | श्रीनाथ द्वेषल एवेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और 5 अन्य | केरल राज्य | एआईएटीएसएल | कोच्ची न्यायालय | उच्च | 03.04.2019 | मैसर्स मेनन एंड पई | श्रीआईएल परिसर के अदाव (श्रीनाथ के व्यापार वाले) दायरों के लिए भोल्ड वान कर की मांग से संतुक्त अट्टीओ के रोकना। अंतम सुनवाई 3.5.19 के लिए लंबित। सुनवाई लंबित | 0.268 | सुनवाई | की अगली तारीख सहित मैसर्स मेनन एंड पई को न्यायालय में उपरिषित होने के बुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 45,500 रुपए जमा लागू जीएसटी |



एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---|----------|--|---|
| 73 | सीएनएन | रिट याचिका | डब्ल्यूपीसी 33350 . 2019 | केरल राज्य, केरल ईएसएल और अन्य | एआईएटीएसएल द्वारा केआईएसएल | केरल न्यायालय | उच्च 2019 | मैरसं वैनी थेमस | एआईएटीएसएल के साथ हस्ताक्षर किए गए मिनट का उल्लंघन में बीआईएसएल द्वारा शीघ्रते पक्ष की कार्रा हैंडलिंग प्रदान करने के लिए | □ 0.150 | अवकाष पद्धति | के विधिक परिणाम लगभग 1,50,000 |
| 74 | एमएए | रिट याचिका | डब्ल्यूपी . 2012 | श्रीमान-सुन्दर राज | एआईएटीएसएल | मद्रास न्यायालय | उच्च ebZ 17 | मैरसं एनजीआर प्रसाद | अनुसारणिक कार्यवाही से उपर्यन् श्री झी शोदर राज, स्टेपन सं.21651 को निम्न पत पर अवनति का दंड दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने रिट याचिका- 29563 / 2012 दायर की थी और मद्रास उच्च न्यायालय ने इस निवेद्य के साथ मामले का निपटान किया कि अपील प्राधिकारण के समक्ष प्रमाणित मानक आदेष के खड 24 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को दो सत्रों के भीतर आदेष आवधित करने का अवकर दिया जाए। दिनोंक 31 अगस्त 2012 के पत्र सं जीएसडी/ जीएच / 06-01 / 2 / 46 को आवधित आदेष जारी किया गया, जिसके विरुद्ध श्री झी शोदर राज ने रिट याचिका सं. 29563 / 2012 दायर की जिसमें आरएम-जीस द्वारा पारित रिकार्ड की मांग की गई। अगली सुनवाई तिथि निर्धारित नहीं | □ 0.295 | सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित नहीं है | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिल के सहयोग सहित एन जी आर प्रसाद को न्यायालय में उपरिषत होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 50,000 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 75 | एमएए | रिट याचिका | डब्ल्यूपी . 2012 | श्रीमान-सुन्दर राज | एआईएटीएसएल | मद्रास न्यायालय | उच्च ebZ 17 | मैरसं एनजीआर प्रसाद | अनुसारणिक कार्यवाही से उपर्यन् श्री झी शोदर राज, स्टेपन सं.21651 को निम्न पत पर अवनति का दंड दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने रिट याचिका- 29563 / 2012 दायर की थी और मद्रास उच्च न्यायालय ने इस निवेद्य के साथ मामले का निपटान किया कि अपील प्राधिकारण के समक्ष प्रमाणित मानक आदेष के खड 24 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को दो सत्रों के भीतर आदेष आवधित करने का अवकर दिया जाए। दिनोंक 31 अगस्त 2012 के पत्र सं जीएसडी/ जीएच / 06-01 / 2 / 46 को आवधित आदेष जारी किया गया, जिसके विरुद्ध श्री झी शोदर राज ने रिट याचिका सं. 29563 / 2012 दायर की जिसमें आरएम-जीस द्वारा पारित रिकार्ड की मांग की गई। अगली सुनवाई तिथि निर्धारित नहीं | □ 0.295 | सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित नहीं है | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिल के सहयोग सहित एन जी आर प्रसाद को न्यायालय में उपरिषत होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 50,000 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| 76 | एमएए | रिट याचिका | डब्ल्यूपी 2901 . 2019 | श्री उदय शंकर - एर कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज बनाम उत्तर इंडिया लिमिटेड | एआईएटीएसएल | मद्रास न्यायालय | उच्च ebZ 17 | मैरसं एनजीआर प्रसाद | यह मुद्दा एसआर क्षेत्र में एसेंटी की पदोन्नति से साबित है। अगली सुनवाई तिथि निर्धारित नहीं | □ 0.295 | सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित नहीं है | मामले के लिए वरिष्ठ काउरिल के सहयोग सहित एन जी आर प्रसाद को न्यायालय में उपरिषत होने के पुल्क के लिए प्रति मामला लगभग 50,000 रुपए जमा लागू जीएसटी |
| | | | | | | | | | | □ 13.965 | | |



**वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर**

| क्र.सं | स्वतंत्र लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | प्रबंधन की टिप्पणियां |
|--------|--|---|
| | <p>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट</p> <p>एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड) के सदस्यों हेतु</p> | |
| | <p>अर्हक मत</p> <p>हमने एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का नोट, तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)शामिल है।</p> <p>हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विशय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2020 को इसके लाभ सहित, इस तिथि से समाप्त वर्ष हेतु अन्य वृहत आय, इसका रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन की स्थिति प्रस्तुत होती है।</p> | |
| | मत का अर्हक आधार | |
| 1. | कंपनी ने निम्नलिखित लेखा षेशों को अग्रेशित किया है, जो दिनांक 31 मार्च 2020 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो)के लिए लंबित हैं। | |
| (क) | <p>कंपनी ने रेटेबनों से प्राप्त भौतिक सेवा अभिलेखों के आधार पर आयटा प्लेटफार्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व को लेखांकित किया है और विविध बिलिंग प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से इसे बुक किया है। यह राजस्व ग्राहक से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देनजर है। ऐसी सभी अस्वीकृतियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 तक प्रावधान किया गया है। कंपनी ग्राहकों के पुनःबिलिंग की प्रक्रिया को कियान्वित कर रही है और बकाया राषि की वसूली के लिए प्रयास कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2020 को बकाया षेश राषि 504.69 मिलियन रुपए है, जिसके प्रति कंपनी ने 233.08मिलियन रुपए का संभावित ऋण घाटे का प्रावधान किया है। हम ऐसी षेश राषियों की वसूली के लिए प्रबंधन के मत पर आश्रित है, कम से कम रिपोर्टिंग मूल्य के समान और इसलिए, इसमें आगे किसी प्रकार के समायोजनों की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>आयटा विलयरेंस हाउस (आईसीएच) के माध्यम से अन्य एयरलाइनों की बिलिंग स्वचालित प्रणाली (एमबीएस) के द्वारा की जाती है, तथापि, बिलिंग का आधार रैम्प सहायता फॉर्म (आरएएफ) के अनुसार होता है, जो मानवीय रूप से क्रमानुसार नियंत्रित होता है और इसके रिकार्डों का उचित अनुरक्षण किया जाता है।</p> <p>आईसीएच के माध्यम से बिलिंग एक सुस्थापित निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका अनुसरण विष्वभर में अधिकतर एयरलाइनों द्वारा किया जाता</p> |



| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>है। आईसीएच द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, एयरलाइनें प्रोटोकॉल का अनुसरण करने के पश्चात रीचार्ज का अधिकार रखती हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। मामले के गुण-दोषों के आधार पर, कंपनी रीचार्ज की समीक्षा करती है और या तो रीचार्ज को स्वीकार करती है या एयरलाइन को पुनःबिल प्रस्तुत करती है।</p> <p>इंड एएस-109 द्वारा यथापेक्षित, ईसीएल मॉडल के तहत संदिग्ध वसूलियों का प्रावधान किया गया है। 233.08 मिलियन रुपये का प्रावधान जो कि वित्तीयवर्ष 2016-17 तक देय राष्ट्र का 100 प्रतिष्ठत और वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 8.73 प्रतिष्ठत को दर्शाती है।</p> <p>हम एयरलाइनों से बकाया राष्ट्र के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और बकाए के सामंजस्य और प्राप्ति के बारे में आष्टस्त हैं क्योंकि वे प्रदान की गई सेवाओं के लिए थे।</p> |
| (ख) | <p>कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविश्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक अनुपालनों में विलंब देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ संबंधी खातों में प्रतिकूल षेश रिपोर्ट किया गया है, जिनका समायोजन किया जा रहा है और जिन्हें निवल आधार पर रिपोर्ट किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे षेशों के प्रभाव का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। वस्तु एंव सेवाकर, आयकर परिसंपत्तियों और स्रोत पर कर कटौती के षेशों को संबंधित सांविधिक रिटर्नों के साथ समायोजित किया जा रहा है। कंपनी उक्त षेशों के समायोजन तथा वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे षेशों के प्रभाव का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। हम प्रबंधन के तर्क पर विष्वास करते हैं कि ऐसी षेश राष्ट्रियों के समाधान से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष हेतु किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>हालांकि, पे-रोल को एसएपी के एचआर मॉडयुल में इनपुटके आधार पर तैयार किया जाता है।</p> <p>कर्मचारियों की उपस्थिति का अनुरक्षण मानवीय आधार पर किया जाता है और तदनुसार सेप रिकार्डों को अद्यतन किया जाता है।</p> <p>भविश्य निधि, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस की सांविधिक कटौतियों का भुगतान कर दिया गया है, तथापि, ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं (जैसे पेन/आधार कार्ड की अनुपलब्धता, कर्मचारियों के केवाईसी अभिलेखन में नामों तथा का मिलान न होना। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी जिनका यूएएन डाटा सृजित नहीं हुआ है, वहां यूएएन संख्या की अनुपस्थिति में भी भुगतान किया जा सकता है।</p> <p>हमारे पास धारक/समूह कंपनियों और अन्य ग्राहकों से निधियों की गैर-प्राप्ति केकारण रोकड़ प्रवाह समस्याएं भी हैं। हम इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और त्वरित भुगतानों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।</p> |



| | | |
|-------------|---|--|
| (ग) | <p>कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों से इतर पक्षों को उपलब्ध कराई गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए ऐसे कर को अन्य वित्तीय देयता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस राष्ट्रीय का समायोजन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किया जा रहा है। ऐसे करों के समायोजनों के लंबित होने के कारण प्रबंधन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभवों की आषा नहीं कर रहा है।</p> | <p>कंपनी ने अपनी बहियों में देयता के लिए प्रावधान प्रदान किया है, हालांकि देयता के रूप में दर्शाई गई राष्ट्रीय और एएआई के साथ सामंजस्य के तहत बुक किए गए वास्तविक चालान के बीच अंतर है और हमें आषा है कि वर्ष 2020–21 में इसे पूरा कर लिया जाएगा, जैसा कि हमने स्थानीय एएआई कार्यालय से संपर्क करके, चालान प्राप्त करने और उसके लेखांकन की प्रक्रिया आरंभ की है।</p> <p>हमने वर्ष 2020–21 के दौरान कुछ हवाइअड्डों के लिए समायोजन पूरा कर लिया है और ऐसे समायोजन का कार्य प्रगति पर है और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में किसी भी कमी/ अधिकता को समायोजित किया जाएगा।</p> |
| (घ) (इ) | <p>कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक परिसरों/वाहनों आदि के लिए पट्टों में प्रवेष किया है (खरीद/ नवीकरण के विकल्प सहित किन्तु उसके षीर्शक को अंत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है) जो विभिन्न स्थानों/स्टेषनों/ क्षेत्रों में फैले हुए हैं और कंपनी इंड एएस–116–पट्टों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी को समेकित करने की प्रक्रिया में है।</p> | <p>कंपनी ने पट्टे पर लिए गए वाहनों के संबंध में इंड एएस–116 के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की है और इसे लेखांकित किया है।</p> <p>विभिन्न व्यावसायिक परिसरों के लिए अन्य पट्टों के संबंध में (खरीद/ नवीनीकरण के विकल्प सहित किन्तु उसके टाइटल को अंततः हस्तांतरित किया या नहीं किया जा सकता है), जो विभिन्न स्टेषनों/ क्षेत्रों में फैले हुए हैं, प्रबंधन पट्टा मानक की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक जानकारी को एकत्र करने की प्रक्रिया में है। मूल्यांकन के लंबित होने के कारण इंड एएस– 116 के अंतर्गत इन्हें आरओयू नहीं माना गया है और इसके किराए को पट्टा अवधि के लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित रूप से प्रभारित किया गया है। प्रबंधन का विचार है कि इस के प्रभाव से राजस्व के प्रतिष्ठत कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p> |
| (घ) (पप) | <p>कंपनी धारक कंपनी द्वारा प्रदान की गई पट्टा सेवाओं, बिजली, बीमा, स्टाफ यात्रा, सामग्री प्रबंधन सेवाओं, आईटी सेवाओं आदि सहित सभी सेवाओं के विवरण को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेष करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी इंड एएस 116 –पट्टा लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पट्टा दायित्वों की पहचान करने में असमर्थ।</p> | <p>कंपनी एमएसए की षट्टौं के अनुसार साझा की गई सेवाओं के संबंध में भुगतान करने के लिए सहमत है।</p> <p>एमएसए का निश्पादन प्रगति पर है।</p> |



| विषय पर बल | |
|---|---|
| 1. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 51 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के लिए प्रबंधन मूल्यांकन को प्रकट करता है। वैश्विक महामारी से भावी आर्थिक परिस्थितिया से जुड़ी अत्यधिक अनिष्टितता के मद्देनजर, आगामी अवधियों में वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव अत्यधिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है। | इस कोविड वैष्णव महामारी ने सभी उद्योगों और प्रमुख रूप से विमानन उद्योग को प्रभावित किया है। आने वाले समय में वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव आगामी स्थिति और परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है और हमेआषा हैं कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद स्थिति में सुधार होगा। |
| 2. हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 48(प)पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस-109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्तों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्श के दौरान, कंपनी ने 521.93 मिलियन रूपए की राष्ट्रीय के समूहकंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्त व्यापर और अन्य संविदागत प्राप्त राष्ट्रीयों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2020 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभाव का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्तों के संबंध में संभावित ऋण घाटे के प्रति धून्य रूप पर विचार किया है। | कंपनी ने चालू वर्श के दौरान सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करना जारी रखा है। कंपनी समूह की कंपनियों के बकाया के संबंध में किसी भी तरह के ऋण हानि की उम्मीद नहीं करती है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। |
| 3. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 25 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्श के लिए इंड एएस-8, "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन" के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को पुनःप्रस्तुत किया है। पूर्व अवधि के समायोजन में राजस्व/व्यय की रिकॉर्डिंग और प्राप्त/देय सामंजस्य के प्रभाव में त्रुटियां/चूक घामिल हैं। तदनुसार, संबंधित संपत्ति/देनदारियों हेतु संबंधित प्रभाव के साथ पिछले वर्श के लाभ और हानि के विवरण में 133.31 मिलियन रूपए का धुन्द प्रभाव स्वीकार किया गया है। इससे कर पूर्व लाभ और अन्य वृहत आय में 133.31 मिलियन रूपए की कमी आई है और पिछले वर्श के लिए 133.31 मिलियन रूपए की अन्य इक्विटी में शन्त्य रूपए की अनुवर्ती कमी हुई है। | कंपनी ने आरंभ में चालू वर्श में पिछले वर्श से संबंधित व्यय के लिए थ्रेषहोल्ड सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था, जिसमें टर्नओवर के 1 प्रतिशत की कुल सीमा के साथ प्रति लेनदेन 1 मिलियन रुपये थी। हालांकि, पूर्व अवधि की आय और व्यय प्रस्तावित थ्रेषहोल्ड सीमा से अधिक होने के कारण कंपनी को इंड एएस-8 द्वारा यथापेक्षित बहियों को पुनःनिर्धारित किया था और उसी के अनुसार इसे वित्तीय विवरणों में परिलक्षित किया गया है। |
| 4. कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं प्रदान करके अपने राजस्व का अधिकांश भाग अर्जित करती है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी दोनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के ब्यौरे को रेखांकित करते हुए एक व्यापक व्यवस्था में प्रवेष करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित मास्टर सेवा समझौते की अनुपस्थिति में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित दर चार्ट के आधार पर अपने लेनदेन को रिकॉर्ड किया है। हमने प्रबंधन के मत पर विष्वास किया है कि मास्टर सेवा समझौते का प्रभाव भौतिक नहीं होगा और इसपर उस वर्श में विचार किया जाएगा जिसमेंहस्ताक्षर किए जाएंगे। | कंपनी एअर इंडिया, धारक कंपनी को सहमत षर्टों के आधार पर सेवाएं प्रदान कर रही है, जिन्हें मास्टर सेवा समझौते में निर्धारित किया गया था, हालांकि ये निश्पादन हेतु लंबित हैं। कंपनी अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा एअर इंडिया उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करके अर्जित करती है और एअर इंडिया द्वारा इसकी स्वीकृति और पुश्टि की गई है। |



| | | |
|----|---|---|
| | <p>5. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं.-31 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी, समूह कंपनियों यथा, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय बेश राष्ट्रि पर 9 प्रतिष्ठत प्रतिवर्श की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्श के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 269.41 मिलियन रूपए (पिछले वर्श रु. 148.19 मिलियन रूपए) को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विष्वास किया है कि इस तरह की राष्ट्रि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्श के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>कंपनी ने सभी अतिदेय बेश राष्ट्रि पर 9 प्रतिष्ठत की दर से ब्याज लगाया है और पक्षों के बीच एमएसए की बत्ती के अनुसार लेखा नोटों के नोट सं-31 में भी परिलक्षित किया गया है। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने वर्श 2020-21 के दौरान दिनांक 31.03.2020 तक ब्याज सहित सभी बेश राष्ट्रि का पूर्ण भुगतान किया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, हम एअर इंडिया इंजीनियरिंग और एलायंस एयर से भी वर्श 2020-21 के दौरान इसके एकत्रण की आषा हैं। सभी समूह कंपनियों को ब्याज सहित बेश राष्ट्रि की पुश्टि की गई है और उनके खाता बहियों में इसे परिलक्षित किया गया है।</p> |
| 6. | <p>हम वित्तीय विवरणों में नोट 29 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 86.77 मिलियन रूपए राष्ट्रि की इन्वेंटरी उपलब्ध हैं। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्शों से अद्य तक के लिए नहीं किया जाता है। हमने प्रबंधन के मत पर विष्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है और इसलिए, वर्तमान वर्श के लिए और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।</p> | <p>कंपनी ने दिनांक 31.03.2020 तक उपलब्ध भंडार और कलपुर्जों हेतु 86.77 मिलियन रूपए की राष्ट्रि के ब्योरे की पुश्टि की है। एअर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित इन्वेंटरी की कुछ मदें हैं, जिन्हें चिह्नित किया गया है और वित्तीय वर्श 2020-21 के दौरान इनमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p> |
| 7. | <p>व्यापार देय और व्यापार प्राप्त की शेष राष्ट्रि संतुलन की पुष्टि और सामंजस्य के अध्यधीन है। इस प्रकार से समायोजन के लंबित होने के कारण व्यापार प्राप्त ऋण शेष के निवल का 38.86 मिलियन रूपए और व्यापार प्राप्त निवल शेष राष्ट्रि रु. 100.48 मिलियन की प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त समायोजन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इस प्रकार के समायोजनों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं।</p> | <p>कुल व्यापार प्राप्तियों में समूह की कंपनियों से 3,855.08 मिलियन रूपए बामिल हैं जिनकी पुश्टि संबंधित समूह की कंपनी द्वारा की गई है, जिसमें लगभग 70 प्रतिष्ठत व्यापार प्राप्त हैं।</p> <p>जहां तक, तीसरे पक्षों के बेश का संबंध है पुश्टिकरण भेजी गई हैं और हमें कुछ पुश्टियां भी मिली हैं। डेटा प्रविश्टियों में की गई लिपिकीय त्रुटियों के कारण कुछ अनलिंक डेबिट और क्रेडिट हैं, जिन पर ध्यान दिया जा रहा है और उसी को पूर्ण रूप से समेकित करने की कार्रवाई आरंभ की गई है।</p> <p>जहां तक व्यापार प्राप्तियों का संबंध है, हमने सभी लेनदारों को बेश पुश्टि पत्र भेज दिया है और इन्हें समायोजित किया जा रहा है।</p> |
| | इन विशयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है। | |



| | |
|---|---|
| <p>वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना।</p> <p>कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होने की संभावना है।</p> <p>वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आष्वासन निश्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।</p> | <p>निदेशक की रिपोर्ट को बोर्ड से अनुमोदित किए जाने के पश्चात लेखापरीक्षकों को भेजा जाएगा।</p> |
| <p>वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है। यदि, हमारे द्वारा निश्पादित कार्य के आधार पर, हम निश्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन है तो हमें ऐसे तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इसके संबंध में रिपोर्ट किए जाने हेतु कुछ उपलब्ध नहीं है।</p> | |
| <p>वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व</p> <p>कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम के अनुच्छेद-133, समय-समय पर यथासंघोषित, के अंतर्गत निर्दिश्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निश्पादन, इकिवटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद-134 के उपअनुच्छेद(5) में उल्लिखित विशयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिषुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिष्ठित करने के लिए कुषलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।</p> | |



| | | |
|--|---|-----------------------------|
| | <p>इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।</p> <p>कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।</p> | |
| | <p>वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व</p> | <p>प्रबंधन उत्तर</p> |
| | <p>हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारणों से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आषासन प्राप्त करना है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। युक्तिसंगत आषासन को आषासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखापरीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखापरीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निष्प्रत तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।</p> <p>एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हमें व्यावसायिक तौर पर संषयात्मक दृश्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे :-</p> <ul style="list-style-type: none">■ वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक, अभिकल्प के कारण हों, का चिह्नन तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। जालसाजी के कारण किसी तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाना, किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ-गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं। | |



- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद-143 के उपअनुच्छेद (3)(प) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्त करना भी है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणालीप्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न आधार पर तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निष्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिष्टितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आषंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिष्टितता को षामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संघोषित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निष्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संब्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों के दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (प) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र का नियोजन और (पप) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ षासन व्यवस्था का अनुरक्षण करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षण के निश्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए



| | | |
|------|---|---------------------------|
| | <p>लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।</p> <p>हमारे द्वारा धासन व्यवस्था का अनुरक्षण करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेशण भी उन्हें किया गया है।</p> | |
| | अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट | |
| 1 | कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेष, 2016 ("आदेष") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेष के पैरा-3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिश्ट विशयों पर एक विवरण हम अनुबंध-क के रूप में दे रहे हैं। | |
| 2 | अधिनियम के अनुच्छेद-143 के उपअनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि : | |
| (क) | हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विष्यास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं। | |
| (ख) | हमारे मतानुसार, उपर्युक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। | |
| (ग) | इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण, अन्य वृहत आय सहित तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इविवटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (घ) | अर्हता मत के उपर्युक्त पैरा के आधार पर वर्णित मुद्दों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत विनिर्दिश्ट लेखांकन मानक से संगत हैं। | |
| (ङ.) | हमाने मतानुसार उपर्युक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुद्दे का निश्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (च) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर-463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा-164 की उपरागा(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (छ) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर-463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में निदेशकों की गैर अरहता संबंधित अधिनियम की धारा-164 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | |
| (ज) | कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध-ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है। | |



| | | |
|--------|--|--|
| (झ) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर-463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधित अधिनियम की धारा-197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | |
| (ट) | हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पश्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2015 के नियम (11) के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विशयों के संबंध में: | |
| (i) | कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरण के नोट का संदर्भ लें; | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ii) | कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे। | |
| (iii) | ऐसी कोई राष्ट्रियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेषक षिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| 3. | अधिनियम के अनुच्छेद-143 के उपअनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि: | |
| (क) | क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने हेतु व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें। कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक ब्यौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद-143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (प) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – “अनुबंध ख” पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें। | कंपनी सेप प्लेटफॉर्म पर लेखों का अनुरक्षण करती है और वित्तीय सूचना तथा रिपोर्ट इसी के अनुरूप तैयार की जाती है। |
| | (ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कंपनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बहु किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। वर्ष के दौरान कंपनी का कोई कर्ज नहीं है। | कंपनी के कोई कर्ज नहीं है, इसलिए किसी पुनर्संरचना की आवश्यकता नहीं है। |



| | | |
|------|--|---|
| | <p>(ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखांकन किया गया है/नियमों एवं षट्ठी के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।</p> <p>कंपनी ने वर्श के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विषिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।</p> | कंपनी केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों की किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है और इसलिए, इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। |
| | <p>स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध—“क” (समसंख्यक तिथि की एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट’ खंड के अंतर्गत पैरा-1 का संदर्भ ले)</p> | |
| | <p>(क) कम्पनी लेखा बहियों में उपलब्ध व्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक व्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति को नहीं दर्शाता है।</p> | |
| | <p>वर्श 2018 के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और अगस्त, 2019 के दौरान उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चालू वर्श के दौरान कमी और अतिरिक्त देयता के संबंध में आवष्यक लेखा कार्रवाई आवष्यक है। वर्तमान वर्श के दौरान एजेंसी द्वारा चिह्नित 20.08 मिलियन रुपए की कमी को पूरी तरह से कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान चिह्नित 1427 संख्या में अधिषेश संपत्ति की चालू वर्श में लेखाबहियों प्रति 01 रुपए पर पूँजीकृत किया गया है।</p> | कंपनी द्वारा वर्श 2019 में तीसरे पक्ष द्वारा चिह्नित परिसंपत्तियों के संबंध में कमी और अतिरेक के लिए आवष्यक लेखांकन कार्रवाई की गई है। अतिरेक संपत्तियों को वापस बहियों में लाया गया है ताकि परिसंपत्तियों पर नजर रखी जा सके। |
| (i) | <p>कंपनी की नीति के अनुसार, दो वर्श में एक बार पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उक्त नीति के अनुसार, वित्तीय वर्श 2020 के लिए भौतिक सत्यापन किया जाने हतु देय था, तथापि, वर्श के दौरान इसे पूरा नहीं किया जा सका। प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पुश्टि, अनुपयोगी भौतिक सत्यापन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी है।</p> | कंपनी में वर्श में दो बार भौतिक सत्यापन की नीति विद्यमान हैं। कोविड स्थिति के दृष्टिगत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्श 2019–20 के दौरान नहीं किया जा सका। |
| | <p>कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेष का पैरा 3 (प) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।</p> | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ii) | <p>उपर्युक्त अर्हता के आधार में हमारी टिप्पणियों के अध्याधीन, वर्श के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता को और सुदृढ़ किए जाने की आवष्यकता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकार्ड के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों की लेखाबहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है, केवल इसकी समूह कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा धारित दरसूची को छोड़कर, जिनका समाधान किया जा रहा है और अंतिम समाधान के पश्चात इनका लेखांकन किया जाएगा।</p> | लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। |



| | | |
|-------|--|---|
| (iii) | हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा—189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेष के पैरा 3 (पपप)(क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iv) | हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार, कोई ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूतिप्रदान नहीं की गई है जिनपर अधिनियम के खंड—185 तथा 186 के प्रावधान लागू हैं। इसलिए, आदेष के पैरा—3(v) के अधीन रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (v) | हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराषि प्राप्त नहीं की है। इसलिए, आदेष के पैरा—3(अ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (vi) | कंपनी ने अधिनियम की धारा—148 में विनिर्दिश्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद—148 के उप अनुच्छेद—(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकार्डों को तैयार और अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं कि है कि क्या ये सही या पूर्ण हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (vii) | क. हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविश्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राप्तिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। भविश्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देय राशियों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है। | कंपनी व्यापक स्तर पर सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर रही है, कुछ मामलों को छोड़कर, जहां कुछ गैर—अनुपालन हुआ है, और इसके निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संज्ञान में आए हैं तथा इन्हें तीव्रता के साथ पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। |



| <u>नियम का नाम</u> | <u>देय राशियों की प्रकृति</u> | <u>राशि (मिलियन रूपए में)</u> | <u>अवधि जिससे यह राशि संबंधित है</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952 | भविश्य निधि | 14.40 | समाधान किया जा रहा है |
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राष्ट्रियां | 13.80 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 7.60 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 0.91 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड-51) | निर्धारित नहीं किया जा सकता है | समाधान किया जा रहा है |

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर, और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों के संबंध में ऐसी कोई देय राष्ट्रियों नहीं हैं, जिन्हें विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

| <u>नियम का नाम</u> | <u>देय राशि की प्रकृति</u> | <u>राशि (मिलियन रूपए में)</u> | <u>अवधि जिससे यह राशि संबंधित है</u> | <u>न्यायालय जहां विवाद लंबित है</u> |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 0.15 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 13.34 | वित्तीय वर्ष 2013–14 | आयुक्त (अपील) |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 6.60 | वित्तीय वर्ष 2017–18 | आयुक्त (अपील) |

(viii) दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचरधारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश के पैरा-3(viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

यह एक तथ्यात्मक विवरण है।



| | | |
|--------|---|--|
| (ix) | हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगली पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेष के पैरा-3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (x) | स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों के सही और निश्चिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, और प्रबंध नान द्वारा दी गई जानकारी और स्पश्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी और उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई भी भौतिक धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xi) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर-463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा-197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस आदेष का पैरा-3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xii) | हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेष का खंड-3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (xiii) | <p>हमें दी गई सूचना और स्पश्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अनुच्छेद-177 के अनुपालन में हैं और एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 की घर्ती के अनुसार अधिनियम की धारा-188 के अनुपालन के तहत अन्य सरकारी कंपनियों के साथ संव्यवहार की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार के संव्यवहारों को लागू वित्तीय मानकों द्वारा आवधक रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।</p> <p>हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने लागू स्तर तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 तथा 188 के अनुपालन में, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों, निम्नलिखित संव्यवहारों को छोड़कर, आगामी लेखापरीक्षा समिति में पुश्ट की गई थी।</p> | <p>संबंधित पक्षों के ब्यौरे को उपयुक्त रूप से प्रकट किया गया है।</p> <p>बिंदु को नोट कर लिया गया है और पूर्व में हमने राजस्व संबंधी संव्यवहारों हेतु अनुमोदन प्राप्त किया था। हम लेखापरीक्षा समिति से व्यय संबंधी संव्यवहारों के षुद्धिकरण की प्रक्रिया में हैं।</p> |



| <u>संबंधित पक्ष के संबंधों की प्रकृति</u> | <u>किए गए संव्यवहार</u> | <u>शामिल राशि (मिलियन रुपए में)</u> | <u>टिप्पणियां (गैर-अनुपालन का ब्यौरा)</u> | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| धारक कंपनी | व्यय संव्यवहार जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभार, सामग्री प्रबंधन सेवाएं, पट्टा/किराया व्यय, बीमी की वसूली, व्यय/बिजली प्रभार, स्टाफ यात्रा और कल्याण व्यय | 205.73 | वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रविश्ट ऐसे व्यय संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया। | | |
| सहायक कंपनी | हैंडलिंग प्रभार | 13.91 | | | |
| सहायक कंपनी | स्टाफ यात्रा व्यय | 1.08 | | | |
| हमारे मतानुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने संबंधित पक्ष संव्यवहारों के अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक में अपेक्षित है। | | | | | |
| (xiiiv) | कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के बेयरों के पूर्ण या आं॒षिक रूप से निजी प्लेसमेट हेतु कोई प्रेफरेंसियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए, इस आदेष के खंड-3(गपअ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। | | | |
| (xv) | वित्तीय विवरणों के सही और निश्चिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निवेषकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। | | | |
| (xvi) | कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेष के पैरा-3(xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। | | | |
| स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “ख” | | | | | |
| अधिनियम के खंड-143 के उपखंड-3 के खंड-(प) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट। | | | | | |
| | हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में दिनांक 31 मार्च, 2020 को एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। | | | | |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व</p> <p>कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (मार्गदर्शी नोट)की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विष्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुषल संचालन को सुनिष्ठित करने के लिए कुषल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, कियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।</p> | |
| | <p>लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व</p> <p>हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने यह लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसार और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड-143 के उपखंड-(10) के अंतर्गत निर्धारित की है। इन मानक तथा दिषानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आष्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।</p> | |
| | <p>हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निशादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।</p> <p>हम विष्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।</p> | |



| | | |
|--|--|--|
| | इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ। | |
| | <p>वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विष्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आषासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:(1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं,</p> <p>(2)युक्तिसंगत आषासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथाआवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के</p> | |
| | <p>प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं,</p> <p>(3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आषासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> | |
| | <p><u>इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं</u></p> <p>चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।</p> | |
| | <p>अर्हत मत</p> <p>हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षा के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2020 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:</p> | |
| | (क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की खामियां: | |



| | | |
|--|--|--|
| | वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं। | महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए मानक प्रचालनिक प्रणाली का अभिलेखन नहीं किया गया है, तथापि, विगत में मूल कंपनी द्वारा निर्धारित एसओपी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है और इसके मूल सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। हमने महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए भी नोट तैयार किए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। |
| | (ii) लेखांकन साफ्टवेयर में मेकर और चैकर नियंत्रणों के प्राधिकरण नियंत्रणों को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। | कंपनी में पर्याप्त श्रमसंकेत के अभाव में, इसे बांधित रूप में कियान्वित नहीं किया जा सका है, तथापि हमने अवलोकनों को नोट कर लिया है तथा प्रणाली में मेकर चैकर नियंत्रणों को निर्धारित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि कार्यबल में संवर्धन किया जा सके। |
| | (iii) दायित्वों के विभाजन का अभाव या अनुपयुक्तता (महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर उत्तरदायित्व चार्ट)। | विभागों में पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षी और प्रचालनिक कर्मचारियों की अनुपस्थिति में, महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर दायित्वों का विभाजन और कार्य के विवरण को प्रभावपूर्ण रूप से कियान्वित नहीं किया जा सका है। |
| | | तथापि, इस बिंदु को नोट कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। |
| | (iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का अनुपयुक्त डिजाइन, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और चालू आवध्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। | कंपनी में सेप प्रणाली विद्यमान है और कुछ माड्युलों को कियान्वित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण सीधे प्रणाली से पूर्ण एवं निरंतर सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप और सूचना के प्रस्तुतीकरण की आवध्यकता पड़ती है। |
| | (v) समय आधार पर प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण में खानियों की सूचना प्रदान करने की आंतरिक प्रक्रिया का अभाव। | बिंदु को नोट कर लिया गया है। |



| | | |
|--|--|---|
| | <p>(vi) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते हैं—रोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाष रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं हैं और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।</p> <p>पे—रोल को एसएपी में संसाधित किया जाता है, हालांकि केवल उपस्थिति को स्वचालित नहीं किया जाता है और इसे 70 स्टेषनों से प्राप्त अधिकृत डेटा के आधार पर मानवीय रूप से दर्ज किया जाता है।</p> <p>सेप में एचआर मॉड्यूल में डेटा को अपडेट करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि पे—रोन में सटीक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए नए आने वाले कार्मिकों और त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के एचआर डेटा को अपडेट किया जा सके।</p> <p>कंपनी ने लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को नोट कर लिया है और इन क्षेत्रों के संबंध में समास्याओं को दूर की के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।</p> | |
| | <p>(ख) परिसंपत्तियों को हानि, क्षति या दुर्विनियोजन से सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित नियंत्रणों की विफलता। कंपनी के पास लेखा बहियों से भौतिक इच्छेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है।</p> <p>कंपनी की परिसंपत्तियाँ मुख्य रूप से ग्राउंड सपोर्ट उपकरण हैं और हवाईअड्डे के टरमैक साइड पर सुरक्षित वातावरण में स्थित हैं और इन्हें हवाईअड्डे के क्षेत्र में प्रचालित करने के लिए विषिष्ट पास जारी किए जाते हैं। केवल अनुरक्षण संबंधी किसी गतिविधि की स्थिति में इसे रिकार्ड किया जाता है। इसलिए परिसंपत्तियाँ नुकसान या क्षति से सुरक्षित हैं।</p> <p>परिसंपत्तियों को वर्ष 2018 में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और तत्पश्चात चालू वर्ष के दौरान तीसरे पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन द्वारा बहियों में लेखांकन कार्रवाई</p> | |
| | | <p>की गई है और साथ ही साथ इन्हें विधिवत रूप से सत्यापित भी किया गया है।</p> <p>भंडारण और कलपुर्जों की भौतिक सूची को प्रत्येक वर्ष के अंत में आंतरिक रूप से सत्यापित किया जाता है और विधिवत हस्ताक्षरित विवरण प्रदान किए जाते हैं।</p> |



| | | |
|--|---|---|
| | <p>(ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निश्पादन में विफलता तथा पे—रोल षेश को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।</p> | <p>समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। जहां तक प्राप्तियों का संबंध हैं समूह की कंपनियों के बाकाया पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इन्हें लेखापरीक्षकों के साथ साझा किए गए हैं। व्यापार प्राप्तों के समायोजन को सुनिष्चित करने के लिए कई अवसरों पर सभी ग्राहकों को षेश पुश्ट पत्र भेजे गए हैं और इनवॉइस की रसीदों में समायोजन के रूप में एक निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा ग्राहकों के पूर्ण विवरण के अभाव में प्राप्तियों में बाधा आ रही है।</p> <p>हमने कई अवसरों पर वेंडरों को खाते में षेश पुश्ट और इनके समायोजन हेतु पत्र भेजे हैं और इसके संबंधित तथ्यों को लेखा नोटों में प्रकट किया गया है।</p> <p>पे—रोल खातों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है और हम इस कार्य को वर्ष 2020–21 में पूरा कर लेंगे।</p> |
| | <p>(घ) आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण खामियों के संकेतक और महत्वपूर्ण कमियों को कड़े संकेतक निम्नानुसार हैं:</p> <p>(i) महत्वपूर्ण दुर्विवरण में शुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व में जारी वित्तीय विवरणों का पुनर्निर्धारण। यह दर्शाता है कि समापन के समय कट—ऑफ प्रक्रियाएं कुषलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं।</p> | <p>हमने वर्तमान अवधि के लेनदेन के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान मौजूदा लेन—देन के लेखांकन हेतु 1 मिलियन रुपये प्रति लेनदेन और टर्नओवर की 1 प्रतिष्ठत की समग्र सीमा का प्रस्ताव किया था।</p> <p>तथापि, जब से हमे धारक कंपनी द्वारा चालू वर्श में पिछले वर्षों के खर्चों के लिए बिल भेजा गया है और साथ ही नई कंपनी यथा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के नाम से खाता खोला गया था, जिसका प्रकटन अंतर कंपनी समायोजन के दौरान हुआ था। हमें पिछले वर्श के आंकड़ों को तदनुसार पुनःवर्णित करना पड़ा था।</p> |
| | <p>(ii) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध—क के बिंदु—अपप में संदर्भित अनुसार निकाय द्वारा कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में गैर—अनुपालन देखा गया है। यह अकुशल विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को दर्शाता है।</p> | <p>जैसा कि अवलोकन किया गया है कि कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण अनुपालन में कुछ देरी अनुभव की गई है। हमने सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन को नोट कर लिया है और कंपनी अनुपालन विभाग में भर्ती की प्रक्रिया व उसके सुदृढीकरण का कार्य कर रही है ताकि नियामक अनुपालन को पूर्ण रूप से सुनिष्चित किया जा सके।</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>“सामग्रीगत खामी” वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिषानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपर्युक्त औरकृष्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।</p> | |
| | <p>हमने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और इन सामग्रीगत खामियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर अर्हक मत जारी किया है।</p> | |



31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र

रूपए मिलियन में

| विवरण | संदर्भ | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को (पुनःवर्णित)* |
|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| I परिसंपत्ति | | | |
| 1 गैर वर्तमान परिसंपत्तियां | 2 | 3,564.54 | 2,541.66 |
| (i) संपत्ति, संयत्र और उपकरण | 3 | 160.37 | - |
| (ii) परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार | 4 | 261.46 | 150.75 |
| (iii) आयकर परिसंपत्तियां (निवल) | 5 | 769.82 | 1,077.65 |
| (iv) आखण्गित कर परसंपत्तियां (निवल) | 6 | 0.65 | 0.52 |
| (v) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | | 4,756.84 | 3,770.58 |
| कुल गैर चालू परिसंपत्तियां | | | |
| 2 चालू परिसंपत्तियां | 7 | 86.77 | 89.81 |
| (i) दरसूचियां | 8 | 5,713.96 | 3,987.15 |
| (ii) वित्तीय परिसंपत्तियां | 9 | 161.02 | 139.37 |
| (क) व्यापार प्राप्त राशियां (निवल) | 10 | 1.50 | 0.17 |
| (ख) नकद और नकदी समतुल्य | 11 | 76.85 | 118.03 |
| (ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | | - | - |
| (घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 6 | 138.73 | 111.50 |
| (iii) चालू परिसंपत्तियां | | 6,178.82 | 4,446.04 |
| (iv) अन्य चालू परिसंपत्तियां | | 10,935.66 | 8,216.63 |
| कुल चालू परिसंपत्तियां | | | |
| कुल इकिवटी और देयताएं | | | |
| II कुल इकिवटी और देयताएं | | | |
| 1 इकिवटी | 12 | 1,384.24 | 1,384.24 |
| (क) कुल इकिवटी शेयर | 13 | 2,647.53 | 1,991.84 |
| (ख) अन्य इकिवटी | | 4,031.77 | 3,376.08 |
| कुल इकिवटी | | | |
| 2 देयताएं | | | |
| (i) गैर वर्तमान देयताएं | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | 3 | 34.78 | - |
| (i) पटटा देयता देयताएं | 14 | 0.11 | 1.44 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 15 | 2,568.00 | 2,480.13 |
| (ख) प्रावधान | 16 | 20.88 | 9.42 |
| (ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | | 2,623.76 | 2,490.99 |
| कुल गैर चालू देयताएं | | | |
| (ii) चालू देयताएं | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | 3 | 131.46 | - |
| (i) पटटा देयताएं | 17 | 0.26 | 0.10 |
| (ii) व्यापार प्राप्त | | 845.94 | 526.50 |
| (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | | 2,153.82 | 1,147.85 |
| (ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय | 14 | 526.29 | 296.81 |
| (iii) अन्य वर्तमान देयताएं | 15 | 622.35 | 378.30 |
| (ख) प्रावधान | 18 | 4,280.13 | 2,349.56 |
| (ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | | 10,935.66 | 8,216.63 |
| कुल चालू देयताएं | | | |
| कुल इकिवटी और देयताएं | | | |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें

* नुट्रि/लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में व्यौरे हेतु नोट 25 का संदर्भ लें

हमारी समसंचयक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता / -

विपुल के. चौकसी

साझेदार

स.सं 37606

यूडीआईएन : 20037606एएएडीएम6320

स्थान : दिल्ली/मुंबई

दिनांक : 18 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के नियित और उनकी ओर से

हस्ता / -

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डिन 00245460

हस्ता / -

जे.वी.रविकुमार

मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता / -

श्रीमती शशि बडोला

कंपनी सचिव

हस्ता / -

विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन

निदेशक

डिन 08701559

हस्ता / -

केष्टन ए.क.शर्मा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

रुपए मिलियन में

| विवरण नोट | संदर्भ | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को (पुनःवर्णित)* |
|---|----------|------------------|--------------------------------|
| I प्रचलन से राजस्व | 19 | 6,221.30 | 6,607.58 |
| II अन्य आय | 20 | 866.71 | 442.50 |
| III कुल राजस्व (I+II) | | 7,088.01 | 7,050.08 |
| IV व्यय : | | | |
| a कर्मचारी लाभ व्यय | 20ए | 4,396.35 | 4,162.32 |
| b वित्तीय लागत | 20बी | 62.93 | - |
| c मूल्यहास व्यय | 2 एवं 3 | 383.28 | 305.81 |
| d अन्य व्यय | 20सी | 906.88 | 1,421.06 |
| V कुल व्यय | | 5,749.44 | 5,889.19 |
| VI कर पूर्व लाभ (III-IV) | | 1338.58 | 1,160.89 |
| VII कर व्यय | | | |
| 1. चालू कर | | 393.60 | 600.00 |
| 2. पूर्व वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान | | (27.16) | 186.62 |
| 3. आस्थगित कर (देयता) / परिसंपत्ति | | 310.01 | -150.55 |
| VIII वर्ष के लिए लाभ (IX-X) | | 662.13 | 524.82 |
| IX अन्य वृहत आय/ (घाटा) | | | |
| (i) मद्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| क. निर्धारित लाभ योजनाओं के लाभ/ (हानि) का पुनर्मापन | | (8.61) | 51.64 |
| (ii) मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 2.17 | (18.04) |
| कुल अन्य वृहत आय | | (6.45) | 33.60 |
| X वर्ष के लिए कुल वृहत आय | | 655.69 | 558.42 |
| XI प्रति 10 रुपए के इकिवटी शेयरों पर आमदनी | 20 डी/38 | | |
| मूल (रुपए) | | 4.78 | 3.79 |
| विलयित (रुपए) | | 4.78 | 3.79 |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें

'त्रुटि/ लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में ब्यौरे हेतु नोट 25 का संदर्भ लें

कर्मचारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/—

विपुल के. चौकसी

साझेदार

स.सं 37606

यूडीआईएन : 20037606एएएडीएम6320

निदेशक मडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता/—

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डिन 00245460

हस्ता/—

जे.वी.रविकुमार

मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/—

श्रीमती शशि बडोला

कंपनी सचिव

हस्ता/—

विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन

निदेशक

डिन 08701559

हस्ता/—

केष्टन ए.क.शर्मा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : दिल्ली/मुंबई

दिनांक : 18 दिसंबर, 2020



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इकिवटी में परिवर्तनों का विवरण

(रूपए मिलियन में)

| क. इकिवटी शेयर पूँजी | 31 मार्च 2020 को राशि | 31 मार्च 2019 को राशि |
|---|-----------------------|-----------------------|
| रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में शेष वर्ष के दौरान संचलन | 1,384,242,000 | 1,384,242,000 |
| रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में शेष | 1,384,242,000 | 1,384,242,000 |

ख. अन्य इकिवटी

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | आरक्षित निधि एवं अतिरेक प्रतिधारण आमदनियां | कंपनी के इकिवटी शेयरधारकों के प्रति कुल इकिवटी |
|---|--|--|
| 1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष | 494.05 | 494.05 |
| पूर्व में घोषित अनुसार वर्ष हेतु लाभ वर्ष के लिए लाभ | 939.39 | 939.39 |
| गलतियों और लोप का शुद्धिकरण (नोट 25 का संदर्भ लें) | 638.11 | 638.11 |
| अन्य वृहत आय / (घाटा) | (113.31) | (113.31) |
| 31 मार्च 2019 को शेष | 33.60 | 33.60 |
| पूर्ववर्ती वर्षों की आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का प्रभाव वर्ष के लिए लाभ / (हानि) | 1,991.84 | 1,991.84 |
| अन्य वृहत आय / (घाटा) | 662.13 | 662.13 |
| 31 मार्च 2020 को शेष | (6.45) | (6.45) |
| | 2,647.53 | 2,647.53 |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता /—
विपुल के. चौकरी
साझेदार
स.सं. 37606
यूटीआईएन : 20037606एएएडीएम6320

स्थान : दिल्ली / मुंबई
दिनांक : 18 दिसंबर, 2020

निदेशक मंडल के नियमित और उनकी ओर से

| | |
|---------------------|--------------------------|
| हस्ता /— | हस्ता /— |
| राजीव बंसल | विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन |
| अध्यक्ष | निदेशक |
| डिन 00245460 | डिन 08701559 |
| हस्ता /— | हस्ता /— |
| जे.वी.रविकुमार | केप्टन ए.क.शर्मा |
| मुख्य वित्त अधिकारी | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| हस्ता /— | |
| श्रीमती शशि बडोला | |
| कंपनी सचिव | |



दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

नोट 1

क. कार्पोरेट सूचना :

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक सहायक कम्पनी) का भारत में सार्वजनिक लिलिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है औद सका सीआईएन यू63090डीएल2003पीएलसी120790 है। कंपनी ने अपन नाम एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड से बदल कर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया है। कम्पनी मुख्यतः भारतीय हवाईअड्डों पर भारतीय प्रचालकों को रथल संचलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, टर्मिनल-2, आईजीआई हवाईअड्ड, नई दिल्ली-110037 में स्थित है।

ख. वित्तीय विवरणों के निर्माण का आधार:

कम्पनी द्वारा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है जिसमें 31 मार्च, 2020 को वर्ष के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वर्ष में समाप्त तिथि के अनुसार इकिवटी परिवर्तन विवरण तथा लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल की गई है (यहां एकसाथ “वित्तीय विवरणों” के नाम से संदर्भित)।

1. निर्माण का आधार तथा प्रस्तुति:

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है, केवल रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कुछ वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किए जाने को छोड़कर, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तिथि को किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त किया गया हो अथवा जो बाजार प्रतिभागियों के साथ कमबद्ध संव्यवहार के लिए किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया गया हो तथा इसके लिए ऐसे मूल्य के संबंध अन्य मूल्यांकन तकनीकी के उपयोग से सम्बद्ध प्रत्यक्ष स्पष्टता एवं अनुमान विचार में नहीं लिए जाते हैं। किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पति अथवा देयता की विशिष्टताओं को इस आशय से विचार में लिया जाता है कि क्या मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागी ऐसी परिसम्पति अथवा देयता के मूल्य निर्धारण के लिए इन विशिष्टताओं को विचार में लेंगे अथवा नहीं लेंगे।

इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/अथवा प्रकटीकरण उद्देश्यों से उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया गया है, जो इंड एएस 17 की व्यापकता के दायरे में आने वाले पट्टा संव्यवहारों के अलावा हैं, तथा उनका मापन उचित मूल्य की कुछ ऐसी समानताओं के अनुसार किया गया जो उचित मूल्य नहीं हैं, जेसे कि इंड एएस 2 में शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा इंड एएस 36 में प्रयुक्त मूल्य।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उचित मूल्य मापन को उनकी डिग्री के आधार पर 1,2 तथा 3 के स्तर में उस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उचित मूल्य मापन की इनपुट प्रत्यक्ष हैं तथा उचित मूल्य मापन पर ऐसी इनपुट की सार्थकता सम्पूर्ण है, जो निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं:-

- स्तर 1 इनपुट उन समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन तक कोई इकाई मापन की तिथि को पहुंच स्थापित कर सकती है;
- स्तर 2 की इनपुट मूल्य उद्धृत उन इनपुटों के अलावा हैं जो स्तर 1 में शामिल की गई हैं तथा जो परिसम्पति अथवा देयता के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष स्वरूप में, देखी जा सकती हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसम्पति अथवा देयता की वे इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हैं।

तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर स्वीकृत की गई परिसम्पतियों तथा देयताओं के बारे में कम्पनी द्वारा ये निर्धारण किए जाते हैं कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर की इनपुट पर आधारित जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) के पुनःमूल्यांकन द्वारा स्तरों के मध्य तारतम्यता में अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।



उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की प्रकृति, विशिष्टता एवं परिसम्पत्ति अथवा देयता से सम्बद्ध जोखिम के आधार पर तथा पर किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर के अनुसार उनके वर्गों का निर्धारण किया गया है।

2. कार्यात्मक मुद्रा :

कम्पनी जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में अपने प्रचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है वह भारतीय रूपए (₹.) है, जिसकी प्रमुख उत्पत्ति कम्पनी द्वारा करके रोकड़ के रूप में प्रसारित की जाती है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा भारतीय रूपए (₹.) को अपनी कार्यात्मक मुद्रा रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अपनी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए) में की गई है तथा वित्तीय विवरणों तथा नोटों में सभी राशियों के प्रकटीकरण कार्यात्मक मुद्रा में करते हुए उन्हीं निकटतम मिलियन (एक दशमलव तक), यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तक राउंड आफ किया गया है।

3. चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पत्ति चालू परिसम्पत्ति तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :—

- वह सामान्य प्रचालन क्रम में विकी के लिए नियत हो। वह मुख्यतः सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर विक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :—

- जिसका सामान्य प्रचालन क्रम में निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः सेवाओं के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो। जिसकी देयता के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपक्ष के विकल्प के अनुसार, समाधान के तौर पर इकिवटी उपकरण में परिणत होने से इसके वर्गीकरण प्रभावित न होते हों।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

कम्पनी सेवा सेक्टर में कार्य करती है जिससे इसका कोई प्रचालन क्रम नहीं है; तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- ।।। के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए "प्रचालन क्रम" के तौर पर 12 माह की अवधि को अंगीकार किया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं और चालू परिसम्पत्तियों में गैर-चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का चालू भाग शामिल किया गया है।

ग. मानक जारी किए गए किन्तु अभी प्रभावी नहीं हैं:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

घ. अनुमान और निर्णय का उपयोग:

इंड एएस के रूप में उपयोग की जाने वाली कई लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में निहित प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमानों



और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है, जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का प्रकटन करती है और राजस्व तथा व्यय की मात्रा को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णयों, आकलनों और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्ति और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकता है, मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मूल्यहास / परिशोधन, कर्मचारी लाभ दायित्वों, प्रावधान, आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देयताएं आदि के निर्धारण के संबंध में।

ड. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई):

क) किसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में परिसम्पत्तियों की प्राप्ति की ऋण लागतों तथा इनकी डिकमीशनिंग की संभावित लागतों सहित व्यावसायिक छूट तथा रियायतें, आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकरणों से बाद में धनवापसी योग्य के अलावा), सम्पत्ति को आशित उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यय शामिल हैं। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के दौरान मरम्मत तथा अनुरक्षण जैसे व्यय वहन किए जाने के वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पत्ति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सेवाओं, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों से उपयोग के लिए धारित फ़ीहोल्ड भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उल्लेख तुलन पत्र में संचित मूल्यहास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया गया है।

कम्पनी द्वारा अपनी प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के वहन मूल्य को इंड एएस में पारगमन पर वित्तीय विवरण में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया गया था तथा इसके लिए पारगमन की तिथि को उनकी मानित लागत को उपयोग में लाया गया है।

परिसम्पत्तियों की मूल्यहास की राशि परिसम्पत्ति की लागत अथवा लागत की प्रतिपूरक राशि है जिसमें से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची—।। में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के उपयोग से परिसम्पत्ति का मूल्यहास परिसम्पत्ति की लागत में से उसके उपयोज्यता काल पर अवशिष्ट मूल्य घटाकर किया गया है। 5000 रुपए से कम मूल्य की परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक मामले में क्य के वर्ष में पूर्णतः स्वीकृत कर लिया जाता है।

ख) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है जिससे प्रत्येक भौतिक परिसम्पत्ति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं रिपोर्ट किए जाने के वर्ष में किया जा सके।

ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी मूर्त परिसम्पत्तियों की वहन लागत के संबंध में ऐसी परिसम्पत्तियों द्वारा किसी प्रकार की अक्षमता हानि का वहन करने के संकेत ज्ञात करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत



विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति से संबंधित वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाकर अक्षमता हानि(यदि कोई हो) के विस्तार का निर्धारण किया जाता है। जब किसी एक परिसम्पति की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिसम्पति से सम्बद्ध रोकड़ उत्पत्ति करने वाली यूनिट के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। जब निर्धारण के लिए किसी प्रकार का औचित्यपरक अथवा संगत आधार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनका विनियोजन रोकड़ उत्पत्ति यूनिटों के सबसे छोटे समूह में कर दिया जाता है जिससे औचित्यपरक एवं संगत निर्धारण को ज्ञात किया जा सके।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के कर पूर्व छूट दर के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले धन के समय मूल्यों तथा परिसम्पति, जिनके संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमानों के समायोजन नहीं किए गए हैं, से सम्बद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है।

यदि किसी परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट) के अनुमान उसकी वहन राशि से कम होते हैं तो परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में से घटा दिया जाता है। ऐसा करके लाभ एवं हानि विवरण में अक्षमता हानि की स्वीकृति शीघ्र कर ली जाती है।

घ. मालसूचियाँ

विभिन्न भंडारों एवं कलपुर्जों से युक्त मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के अनुसार किया जाता है। मालसूचियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर आंके जाते हैं।

इ राजस्व स्वीकृति

इंड एएस-115 : ग्राहक करारों से प्राप्त राजस्व तथा ऐसे राजस्व की राशियों एवं समय की स्वीकृति से संबंधित है। इसके मानक में राजस्व स्वीकृति के लिए पांच चरण की एप्रोच व्यवस्थित की गई है:-

- करार का अभिनिर्धारण करना;
- करार के निष्पादन दायित्वों का अभिनिर्धारण करना;
- संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करना
- संव्यवहार मूल्य के साथ निष्पादन दायित्व का निर्धारण करना; तथा
- अततः उन निष्पादन दायित्वों के प्रति राजस्व प्राप्ति का सुनिश्चय करना।

इंड एएस 115 में पारगमन करके कम्पनी द्वारा संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच को अंगीकार किया गया है तथा तदनुसार इस वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ पूर्व वर्ष की तुलनात्मकता का वर्णन नहीं किया गया है। इंड एएस 115 में पारगमन का मूल्यांकन प्रभाव निष्पादित किया गया है।

सेवाओं की प्रस्तुति

कम्पनी अपने राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रदर्शित मूल्य पर प्रतिबद्ध सेवाओं की प्रस्तुति करके उस राशि के लिए करती है जिसके प्रति कम्पनी की हकदारी की प्रत्याशा ऐसी सेवाओं की प्रस्तुति के प्रति की गई है।

कम्पनी द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति स्वीकृति उस समय के बिन्दु पर की जाती है जब ग्राहक को सेवाओं की प्राप्ति जाती है।

- क) स्थल संचलन सेवाओं के प्रति स्वीकृति सेवाएं प्रदान करने के पश्चात की जाती है। वित्त वर्ष के अंत में बिल न की गई सेवाओं के अनुमान, उपलब्ध डेटा के आधार पर, आंक कर राजस्व स्वीकृति की जाती है।



ख) ब्याज से प्राप्त आय की स्वीकृति समय पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व की स्वीकृति वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के प्रति की जाती है।

विविध निष्पादन दायित्वों की राजस्व व्यवस्था के लिए कम्पनी द्वारा एकल प्रकार की सेवाओं, यदि वे विशिष्ट प्रकार की हैं, को अलग अलग लेखाबद्ध किया जाता है अर्थात् यदि कोई सेवा व्यवस्थित की गई मदों से अलग प्रकार की है तथा यदि ग्राहक को इससे लाभ प्राप्त होते हों। इस प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण उनके स्टैंडेलोन बिक्री मूल्य पर आधारित व्यवस्थाओं में अलग सेवाओं के लिए किया जाता है।

संविदा संतुलन

i) संविदा परिसम्पत्ति

संविदा परिसम्पत्ति ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकार स्वरूप प्राप्त प्रतिफल है। यदि कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिफल प्राप्त करने अथवा भुगतान देय होने से पूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो व्यवसाय प्राप्त सहित उपार्जित प्रतिफल को संविदा प्रतिफल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii) संविदा देयताएं

संविदा देयताएं ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के वे दायित्व हैं जिनके लिए कम्पनी ने ग्राहक से प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) प्राप्त किया है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व ग्राहक प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा देयता के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब भुगतान देय (जो भी पहले हो) होता है। राजस्व में संविदा देयता की स्वीकृति तब होती है जब कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के अंतर्गत निष्पादन किया जाता है।

iii) धनवापसी देयताएं

धनवापसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल के कुछ अथवा पूर्ण भाग (अथवा प्राप्त) की धनवापसी का दायित्व है तथा इसका मापन उस राशि पर किया जाता है जिसकी धनवापसी अंतः ग्राहक को किए जाने के लिए कम्पनी से प्रत्याशित होती है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी धनवापसी देयताओं के अनुमान अद्यतन किए जाते हैं।

च. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्रमुख आर्थिक परिवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करती है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (मानक भारतीय रूपया) है।

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रति निम्नलिखित दरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- क) आईएटीए (आयटा) क्लीयरिंग हाउस के साथ बिलों के समाधान के लिए किए गए इंटरलाइन समझौते के आधार पर इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसेसिएशन (आयटा) द्वारा संबंधित माह के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर।
- ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों का अंतरण फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसेसिएशन आफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा वितरित विनिमय दरों पर किया जाता है तथा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप हुए लाभ / हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।
- ग) गैर-मौद्रिक मदों का मापन अंतरित न की गई विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है।

छ. पटटे

कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस-116 पटे की लेखांकन प्रणाली को स्वीकार किया है। इंड एएस-116 के रूप में इंड एएस "पट्टों" में पट्टों के लिए एकल और तुलन पत्र लेखांकन मॉडल को स्वीकार किया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग करने के लिए प्रयोग अद्यतन किया जाता है।



आकाशी परिसंपत्तियों को स्वीकृति प्रदान करती है और पट्टा भुगतान के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा देनदारियों का उपयोग करती है। प्रारंभिक अनुप्रयोग पर, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी का प्रयोग किए बिना, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को प्रतिधारण आमदनियों के आरंभिक शेष को समायाजित करके मानकों को लागू करने हेतु आरंभ में संचयी प्रभाव को पहचानकर, संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण को अपनाने का विकल्प चयन किया है।

निम्नलिखित प्रारंभिक अनुप्रयोग पर व्यावहारिक समीक्षा का सार निम्नानुसार है:

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान संपत्ति के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर को लागू किया गया है।
- ख. 12 महीने से कम अवधि के पट्टों, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों और पट्टा संविदाओं वाले पट्टों के लिए प्रयोग अद्य आकाशी परिसंपत्तियों और देयताओं को स्वीकार न करने के लिए छूट हेतु आवेदन, जिसमें पट्टेदार और पट्टादाता प्रत्येक को पट्टे के आरंभिक स्वीकृति की तिथि को गैर महत्वपूर्ण दंड सहित अन्य पक्ष से अनुमति लिए बिना इसे समाप्त करने का अधिकारी होगा।
- ग. प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग अधिकारी के मापन से आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को हटाना।
- घ. आकलन की विधि के व्यवहारिक समीक्षा का अनुप्रयाग, जिसके संबंधित अनुबंधों पट्टे हैं। तदनुसार, इंड एएस-116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस-17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था।

पट्टाधारक के रूप में कम्पनी

कंपनी संविदा की आरंभिक अवस्था में इसका आकलन करती है कि क्या किसी संविदा में पट्टा है या इसमें पट्टा समाविष्ट है। इसका अर्थ है कि यदि संविदा में किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है और विधि ने पट्टों के रूप में लेनदेन के मूल्यांकन के लिए “पूर्ववर्ती दृष्टिकोण” हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण को लागू किया। तदनुसार, इंड एएस 116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस-17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था। पट्टों के रूप में पट्टों (पट्टे पर ली गई संपत्ति) को कंपनी सभी पट्टों के लिए समान मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है, केवल अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे और पट्टे के अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार को प्रत्येक को बिना किसी दंड के साथ किसी अन्य पक्ष से अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि:

- संविदा में चिह्नित संपत्ति का उपयोग शामिल है
- कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ विद्यमान हैं।
- कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्धारित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य के पट्टों और पट्टा संविदाओं, जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार को प्रत्येक पक्ष को बिना किसी अतिरिक्त दंड के किसी अन्य पक्ष से अनुमति लिए बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है और कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी-रेखा आधार पर प्रचालनिक व्यय पर स्वीकार करती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि के अंत से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प शामिल हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टे की भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टा भुगतान की प्रारंभिक तिथि के साथ या उससे पहले ली गई भुगतान की राशि जमा कोई प्रत्यक्ष लागत घटा कोई पट्टा प्रोत्साहन पर समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, उन्हें कम संचित मूल्यव्यापास और हानि के नुकसान पर मापा जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा आधार



पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहासित किया जाता है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलते हैं कि उनकी वहन मात्रा पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो आरओयू परिसंपत्तियों की वसूली के लिए मूल्यांकन किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात् बेचने के लिए उचित मूल्य घटा लागत और उच्च मूल्य का उपयोग) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों से भिन्न है। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिसके पास संपत्ति विद्यमान है।

पट्टा देयता को आरंभ में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन पट्टों के अद्वायास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है तो रियायती विधि का उपयोग किया जाता है। पट्टे की देनदारियों को संबंधित आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ हटा दिया जाता है, यदि कंपनी अपना आकलन परिवर्तित करता है कि क्या वह समय विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

तुलन पत्र में पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्तियों को अलग—अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ज. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों के लिए तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है जब तक कम्पनी द्वारा ऐसे अनुदान के साथ सम्बद्ध शर्तों का अनुसरण किए जाने तथा अनुदान की प्राप्ति के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन नहीं होता है।

सरकारी अनुदानों को प्रक्रियाबद्ध आधार पर उन वर्षों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिन वर्षों में कम्पनी द्वारा उन सम्बद्ध लागतों को व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनके व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुदान आंशित है अथवा जब निष्पादन दायित्व पूर कर लिए जाते हैं।

परिसम्पत्तियों से सम्बद्ध सरकारी अनुदानों की तुलन पत्र में प्रस्तुति आस्थगित आय के रूप में की जाती है तथा लाभ एवं व्यय में इसकी स्वीकृति प्रक्रियाबद्ध आधार पर सम्बद्ध परिसम्पत्ति के संभावित उपयोज्यता के अनुसार की जाती है।

झ. कर्मचारी हितलाभ :

सेवानिवृत्ति हितलाभ लागतें तथा सेवा समाप्ति हितलाभ

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के संबंध में व्यय की स्वीकृति कर्मचारियों द्वारा अंशदानों की योग्यता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने पर की जाती है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाषित अंशदायी योजनाएं तथा परिभाषित हितलाभ योजनाएं शामिल हैं।

क) परिभाषित अंशदायी योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान शामिल है। मूल कम्पनी में भविष्य निधि अंशदान के प्रशासन के लिए अलग ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं जिसमें नियमित रूप से अंशदान किए जाते हैं। नियत कालिक संविदा कर्मचारियों (एफटीसी) के मामले में कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में देयताएं जमा करवाई जाती हैं। सरकारी प्राधिकरणों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) की देयताओं का भुगतान नियमित रूप से चुकता किया जाता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान को वर्ष के दौरान व्यय के रूप में उस अवधि के दौरान स्वीकृति दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा ऐसे भुगतान के सेवा निष्पादन किए जाते हैं।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ योजना है जिनका निधियन नहीं है तथा इनमें उपादान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभ शामिल हैं। परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के लिए हितलाभ प्रदान किए जाने की



लागतों का निर्धारण परियोजना यूनिट केंडिट विधि के उपयोग बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

दायित्वों का मापन अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र तिथि को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधियां सम्बद्ध दायित्वों के काल के लगभग अनुरूप होती हैं। समायोजनों के व्यवहारों तथा बीमांकित अनुमानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों का पुनःमापन को सीधे अन्य व्यापक आय में इनके घटित होने की अवधि में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन में “अन्य इक्विटी” के अंतर्गत तथा तुलन पत्र में शामिल किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में समाधान अथवा कटौतियों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण का लेखांकन किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी के शुद्ध दायित्व हितलाभों की उस राशि के लिए होते हैं जिनका समाधान कर्मचारियों द्वारा चालू एवं पूर्व वर्षों में सेवा के दौरान अर्जित लाभों के लिए भविष्य में किया जाना है। विद्यमान मूल्य ज्ञात करने के लिए ये लाभ घटा दिए जाते हैं। दायित्व का मापन प्रक्षेपित यूनिट केंडिट विधि के उपयोग से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनःमापन को लाभ एवं हानि विवरण में उस वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है जिस वर्ष में ये उत्पन्न हुए होते हैं।

अल्प कालिक हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ का लेखांकन उन वर्षों के लिए किया जाता है जिन वर्षों में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

अल्प कालिक एवं अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारियों को वर्ष के दौरान मजदूरी तथा वेतन, वार्षिक छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रति देयता की स्वीकृति प्रदान की गई सेवाओं के विनियम में चुक्ता किए जाने वाले संभावित लाभों

अल्प-कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन बट्टा न की गई राशि पर सम्बद्ध सेवाओं के विनियम में चुक्ता किए जाने वाले संभावित लाभों के लिए देयताएं स्वीकृत की गई हैं।

अन्य अल्प-कालिक कर्मचारी हितलाभों की देयता की स्वीकृति अनुमानित भावी रोकड़ बर्हिप्रवाह के अनुसार की गई है जो कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को रिपोर्टिंग तिथि तक के लिए सेवाएं के संबंध में प्रदान जानी है।

ए. आय पर कर

आय कर व्यय से वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग की प्रस्तुति होती है।

चालू कर

चालू कर वह राशि है जो लागू कर दरों तथा आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर संभावित कर का भुगतान के योग्य है।

आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर की स्वीकृति परिसम्पत्ति एवं देयताओं के मध्य अस्थाई अंतरों तथा कर योग्य लाभ के आकलन के लिए प्रयुक्त अनुवर्ती कर आधारों के लिए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति कटौति योग्य सभी अस्थाई अंतरों के लिए की जाती है जिनमें कर योग्य लाभ की प्राप्ति की ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों जिनके प्रति कटौति योग्य अस्थाई अंतरों को उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को तब स्वीकृति नहीं दी जाती है जब ऐसे अस्थाई अंतर परिसम्पत्ति तथा देयता के संव्यवहार में प्रारंभिक स्वीकृति (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से



उत्पन्न हुए हों जिनका प्रभाव न तो कर योग्य पर और न ही लेखांकन लाभ पर पड़ा हो। इसके अलावा, साथ की प्रारंभिक स्वीकृति से उत्पन्न अस्थाई अंतरों के लिए भी आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। अस्थाई कर परिसम्पत्तियों की वहन राशि की समीक्षा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है तथा इन्हें उस सीमा तक न्यून कर दिया जाता है जिस सीमा तक परिसम्पत्ति के प्रत्येक अथवा किसी भाग में पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना शेष नहीं रहती है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर कानूनों के अंतर्गत किया जाता है जिनसे भावी आय कर देयता, जो कम्पनी द्वारा सामान्य आय कर चुकता किए जाने के स्वीकार्य प्रमाण के साथ आस्थगित कर सम्पत्ति मानी गई है, के समायोजन के स्वरूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तदनुसार, न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिसम्पत्ति के रूप में तुलन पत्र में स्वीकृति कम्पनी को इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ की संभावना होने पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का मापन, प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मूलतः प्रवर्तित कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर, उन कर दरों पर किया जाता है जो उस वर्ष में उपयोग में लाए जाने संभावित थे जिस वर्ष में देयता का समाधान अथवा परिसम्पत्ति उपार्जित की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पत्तियों को चालू कर देयताओं के साथ समंजन करने के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हों तथा आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई तथा समान कर योग्य प्राधिकरण से सम्बद्ध हों।

आस्थगित कर की स्वीकृति तथा उनका अग्रेशण तब किया जाता है जब प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना, राजस्व उत्पत्ति एवं कम्पनी के लागत कटौति कार्यक्रम के आधार पर इन परिसम्पत्तियों से भविष्य में प्रतिफल प्राप्त होने की निश्चितता उपलब्ध होती है।

वर्ष के दौरान चालू एवं आस्थगित कर

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है जो कि अन्य व्यापक अथवा इकिवटी में सीधे स्वीकृत की गई मदों की समबद्धता होने के अलावा है जिनके मामले में चालू एवं आस्थगित कर की स्वीकृति भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा इकिवटी में सीधे की जाती है। किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होने पर कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल कर लिया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का तब समंजन कर दिया जाता है जब वे समान आय कर प्राधिकरण द्वारा लगाए आय करों से सम्बद्ध होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का समाधान निवल आधार पर करना चाहती है।

ट. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजी प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

- क) मापन के लिए पर्याप्त डिग्री के अनुमान लगाए जाने के प्रावधान तब स्वीकृत किए जाते हैं जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप विद्यमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हों तथा जिनसे संसाधनों का बहिंप्रवाह होने की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है तो प्रावधानों को देयता के विशिष्ट जोखिम को स्पष्ट करने वाली, जहां उचित हो, चालू कर पूर्व दर पर घटा दिया जाता है। ऐसे अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा प्रस्तुत चालू उत्तम अनुमानों का समायोजन कर लिया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय की प्रस्तुति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।
- ख) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि तुलन पत्र तिथि के किसी विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित उत्तम अनुमान होते हैं जो दायित्व से सम्बद्ध जोखिम एवं अनिश्चितताओं को विचार में लेकर निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए जब किसी प्रावधान का मापन रोकड़ प्रवाह अनुमानों के उपयोग से किया जाता है तो उसकी वहन राशि ऐसे रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती हैं (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है)।
- ग) जब किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों से ऐसे प्रावधान का समाधान किए जाने की अपेक्षा होती है जो किसी तृतीय



पक्षकार से प्राप्त वसूली से किया जाना है तो ऐसे प्राप्त को परिसम्पति की तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब पुनर्भुगतान की प्राप्ति निश्चित हो तथा प्राप्तों का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाना संभव हो।

- घ) आकस्मिक देयताओं, जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु जिनके आस्तित्व की पुष्टि ऐसी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृत्तियों अथवा गैर-आवृत्तियों से हो सकी है जो कम्पनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं हैं, का समाधान संभावित दायित्वों से संबंधित एक नोट में प्रकटीकरण करके किया जाता है।
- ड) आकस्मिक परिसम्पत्तियां वे संभावित परिसम्पत्तियों हैं जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृत्ति अथवा गैर-आवृत्ति से हो सकती है। जब इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो ऐसी आकस्मिक परिसम्पति का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

दुश्कर अनुबंध

- च) किसी अनुबंध को दुष्कर तब माना जाता है जब कम्पनी के किसी अनुबंध को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। दुश्कर अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विद्यमान दायित्वों की स्वीकृति की जाती है तथा प्रावधानों के रूप में उनका मापन किया जाता है।

ठ. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में प्रस्तुत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य बैंक तथा उपलब्ध रोकड़ एवं तीन माह अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्प-कालिक जमा हैं जिनके प्रति मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन से पर दी गई परिभाषा के अनुसार रोकड़ एवं अल्प-कालिक जमा से युक्त रोकड़ एवं समतुल्य, बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट के निवल, को कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न भाग माना गया है।

ड. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कर उपरांत लाभ / (हानि) से विभाजित करके किया गया है। वर्ष के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन राजकोश, बोनस शेयरों विद्यमान शेयरधारकों के राइट इश्यू के बोनस घटक, शेयर विखंडन तथा राजस्व शेयर विखंडन (शेयरों के समेकन) के साथ किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय का आकलन संभावित डायल्यूटिव इकिवटी शेयरों से सम्बद्ध लाभांश, ब्याज तथा व्यय एवं आय के अन्य प्रभारों (किन्हीं रोप्य करों का निवल) में समायोजित कर उपरांत लाभ / (हानि) को प्रति शेयर मूल आय उपार्जन के विचार धारित इकिवटी शेयरों की भारित औसत तथा उन इकिवटी शेयरों की भारित औसत से विभाजित किया जाता है जो डायल्यूटिव संभावना वाले इकिवटी शेयरों में परिवर्तन होने पर जारी किए गए हो सकते हैं तथा जिनमें कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के शेयर विकल्प की प्रक्रिया के लिए कोष शेयर शामिल हैं।

ढ. वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक प्रकार का अनुबंध होता है जिससे एक इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा वित्तीय उपकरण की उत्पत्ति होती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के लिए स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब इकाई उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहारों लागतों अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को जारी करने (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से संबंधित संव्यवहार लागतों को प्रारंभिक स्वीकृति के समय आनुपातिक स्वरूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के माध्यम से जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं से लाभ एवं माध्यम से उचित मूल्य पर प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत



संव्यवहारों को लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ण) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

क) वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन व्यवसाय माडल के लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं संविदागत रोकड़ प्रवाह की विशिष्टताओं के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल पर किया गया है।

ख) स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति उसके उचित मूल्य पर की जाती है तथा एफवीटीपीएल, उसके अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों पर नहीं की जाती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के क्रय एवं विक्रय के प्रति व्यवसाय की तिथि को की जाती है जो कि उपकरण के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी के पक्षकार बनने की तिथि है। यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों को लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो उनकी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से सम्बद्ध कर दिया है।

इसके अलावा, प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति को पदनामित किया जाता है जो अन्यथा स्थिति में परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई पर मापन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा ऐसा करके ऐसे लेखांकन के अनुपयुक्त मेल समाप्त कर दिए जाते हैं अथवा कम कर दिए जाते हैं जो ऐसा न करने पर हो सकते थे।

ग) अनुवर्ती मापन

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने तथा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है:-

- परिसम्पत्ति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पत्तियों का धारण करके संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।
- जिस सम्पत्ति की संविदागत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं व्याज के भुगतान के लिए है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का एफवीटीपीएल पर मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनःमापन के दौरान लाभ अथवा हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ किया जाता है। लाभ अथवा हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसम्पत्तियों पर प्राप्त किसी प्रकार के लाभांश एवं व्याज शामिल किए जाते हैं तथा इन्हें “अन्य आय” लाइन मद में शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के लाभांश पर एफवीटीपीएल की स्वीकृति तब होती है जब :

- जब कम्पनी का लाभांशों की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो;
- जब ऐसी संभावना व्याप्त हो कि लाभांश से सम्बद्ध आर्थिक लाभों का लाभ इकिवटी को प्राप्त होगा;
- लाभांश से निवेश की लागत के भाग वसूली की प्रस्तुति न हो तथा लाभांश की राशि का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रति स्वीकृति समाप्त की जाती है जब परिसम्पत्ति से संबद्ध रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा, जब वित्तीय परिसम्पत्ति का अंतरण कर दिया जाता है तथा परिसम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य पक्षों को अंतरित किए जाते हैं।

इ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी द्वारा परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों, एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों, प्राप्त पट्टों, प्राप्त व्यवसाय, रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति की प्राप्ति के अन्य संविदागत अधिकारों की



अक्षमता हानि का संज्ञान करने के लिए संभावित ऋण हानि प्रारूप का उपयोग किया जाता है।

संभावित केंडिट हानियां भारित औसत पर भारिता के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले संबद्ध चूक जोखिमों से युक्त केंडिट हानियां हैं। केंडिट हानि कम्पनी को अनुबंध के अंतर्गत देय सभी संविदागत रोकड़ प्रवाहों तथा उन रोकड़ प्रवाहों के मध्य का अंतर है जिनकी, मूल प्रभावी ब्याज दर (अथवा मूल केंडिट क्षति युक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों के क्रय अथवा उससे उत्पन्न केंडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) को घटाकर, (अर्थात् सभी रोकड़ न्यूनताएं) प्राप्त होने की प्रत्याशा कम्पनी को होती है। कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम वित्तीय उपकरणों (उदाहरण के तौर पर पुनर्भुगतान, विस्तार एवं समान प्रकार के विकल्प) के सभी संविदागत उपबंधों पर विचार करके रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मूल्यांकन, यदि ऐसे वित्तीय उपकरण के ऋण जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से अत्यधिक वृद्धि हुई है, उपयोज्यता काल की संभावित ऋण हानियों की समान राशि पर किया जाता है। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से वित्तीय उपकरण ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है तो कम्पनी द्वारा ऐसे वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मापन 12 माह की संभावित केंडिट हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। 12 माह की संभावित केंडिट हानियां संभावित उपयोज्यता काल का भाग होती हैं तथा इनसे उपयोज्यता काल की वे रोकड़ न्यूनताएं प्राप्त होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह की अवधि में किसी प्रकार की चूक घटित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं तथा इस प्रकार ये वे रोकड़ न्यूनताएं नहीं हैं जो अगले 12 माह के लिए संभावित हैं।

यदि कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के हानि अंश के लिए पिछले वर्ष की केंडिट हानि माडल के अनुसार मापन करके रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, पिछले वर्ष की तुलना में केंडिट गुणवत्ता में सुधार आने के कारण, प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से केंडिट जोखिम न बढ़ने के निर्धारण किए गए हैं, तो कम्पनी द्वारा हानि अंश का पुनः मापन 12 माह की संभावित केंडिट हानियों पर किया जाता है।

व्यवसाय प्राप्तीयों अथवा किर्हों संविदागत अधिकारों के अंतर्गत इंड एएस 115 के प्रक्रिया क्षेत्र के दायरे में किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा सदैव केंडिट हानि के संभावित उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर हानि अंश का मापन किया जाता है।

इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्तीयों के प्रति संभावित उपयोज्यता काल केंडिट हानि भत्ते के मापन के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत्त व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस संभावित केंडिट हानि अंश का आकलन मैट्रिक्स प्रावधान पर आधारित है जिसके अंतर्गत खाते को ऐतिहासिक केंडिट हानि अनुभव में लाकर प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

क्षति के अंतर्गत हानि अंश की स्वीकृति एवं मापन किया जाना अपेक्षित है जो हानि अंश की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में करने के अलावा समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के लिए उपयोग में लाया है तथा तुलन पत्र में इसे वहन राशि से कम नहीं किया जाता है।

च) प्रभावी ब्याज विधि

प्रभावी ब्याज विधि एक ऐसी विधि है जिससे ऋण उपकरण का परिशोधन लागत पर आकलन एवं सम्बद्ध वर्ष में ब्याज का आय का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों (सभी शुल्कों तथा चुकता अथवा प्राप्त ऐसे प्वाइंटों सहित जो प्रभावी ब्याज दर, संव्यवहार लागतों तथा अन्य प्रीमियमों एवं रियायतों का अभिन्न अंग हैं) को ऋण उपकरणों के संभावित काल अथवा, जहां यथोचित हो, अपूर्ण वर्ष, पर प्रारंभिक स्वीकृति की निवल वहन राशि में सटीक रूप में न्यूनता स्थापित करती हैं।

आय की स्वीकृति ऋण उपकरण पर प्रभावी ब्याज दर पर की जाती है जो एफवीटीपीएल में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा हैं। ब्याज आय की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है तथा इसे “अन्य आय” की लाइन मद में शामिल किया जाता है।

छ) बट्टा खाता

वित्तीय परिसम्पत्ति की सकल वहन राशि की वसूली का कोई उचित कारण न होने की स्थिति में उसे बट्टे खाते



(आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) में डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः ऐसे मामले में भी किया जाता है जब कम्पनी ऐसे निर्धारण करती हैं कि काउंटर पार्टी के पास परिसम्पत्तियां अथवा आय स्रोत नहीं हैं जिनसे बट्टा की जा रही राशि के भुगतान के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न हो सके। तथापि, बट्टा खाता में प्रभारित करने के बाद भी कम्पनी की धन की वसूली से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए प्रवर्तन कियाएं जारी रह सकती हैं।

(2) वित्तीय देयताएं

क) वर्गीकरण

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण “एफवीटीपीएल” अथवा “अन्य वित्तीय देयताओं” पर वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है।

ख) प्रारंभिक स्वीकृति तथा मापन

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। कम्पनी वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल करती है।

ग) अनुवर्ती मापन

अन्य वित्तीय देयताएं :

अन्य वित्तीय देयताओं (ऋण तथा व्यवसाय एवं अन्य देय सहित) का अनुवर्ती मापन प्रभावी व्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं की स्वीकृति समाप्त किए जाने तथा ईआईआर परिशोधन के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की रियायत अथवा प्रीमियत तथा फीस अथवा ऐसी लागतों को विचार में लेकर किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न भाग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

घ) स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा अपने वित्त दायित्वों के निर्वाह कर लिए जाने, रद्द किए जाने अथवा समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी वित्त देयताओं के प्रति तब स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। वित्तीय देयताओं के मध्य वहन राशि के अंतर समाप्त करके चुकता अथवा देय भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है।

ड.) वित्तीय उपकरणों का समंजन

तुलन पत्र में प्रीआरित निवल राशि के प्रति चालू प्रवर्तनयोग्य स्वीकृत राशियों के समंजन का विधिक अधिकार होने तथा उन्हें निवल आधार बिकी किए जाने की मंशा होने की स्थिति में परिसम्पत्तियों से प्रतिफल प्राप्त करने और साथ ही साथ देयताओं की बिकी के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का समंजन कर लिया जाता है।

छ) अनिश्चितता के अनुमानों के प्रमुख स्रोत

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकाल:

- प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल की समीक्षा की जाती है। ऐसे उपयोज्यता काल सम्बद्ध कार्यकुशलता एवं प्रचालन लागतों सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों के आधार पर परिसम्पत्तियों की तकनीकी उपयोज्यता एवं आर्थिक उपयोज्यता के दोनों मूल्यांकनों पर आश्रित होते हैं। पुनःमूल्यांकन से भावी अवधियों के मूल्यांकन एवं परिशोधन में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।
- आकस्मिकताएं
सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कम्पनी के कानूनी तथा अन्य दावों से अन्य देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी देयताएं संभावित होती हैं परन्तु उनसे फल प्राप्त होने अथवा आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार किए जाने के



विश्वसनीय कारण ज्ञात कर पाना कठिन होता है। ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण नोट के माध्यम से किया जाता तथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्पनी द्वारा अल्प संभावना के रूप में निर्धारित किए गए मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित नहीं है तो आकस्मिक परिस्थितियों की न तो स्वीकृति की गई है तथा न ही वित्तीय विवरणों के लिए उनका प्रकटीकरण किया गया है।

उचित मूल्य मापन:

जब वित्तीय विवरणों में रिकार्ड या प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रीय बाजारों में कोट किए गए मूल्यों पर नहीं किया जा सकता है तो उनका उचित मूल्य का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट संभव हो सकने वाले बाजारों से लिए गए हैं, किन्तु जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में एक स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं।

कर:

कॉर्पोरेट कर व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा के अनुसरण में, कंपनियों के पास यह विकल्प है कि वे नई कर व्यवस्था को अपनाएं या पुरानी व्यवस्था में बने रहें या उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के उपयोग सहित कंपनियों को उपलब्ध अन्य लाभों के साथ पुरानी कर संयरचना के अनुसार कर का भुगतान करते रहें। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन की आवश्यकता होती है कि किस वर्ष में कंपनी नए कर व्यवस्था के आधार पर भविष्य के करयोग्य लाभ को स्थानांतरित करेगी, जिसमें कंपनी की चालू योजनाओं का प्रभाव और उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का परिणामी उपयोग शामिल है। तदनुसार, इंड एएस-12 आयकर के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाना आवश्यक है, जो उस वर्ष पर लागू होंगी, जब संपत्ति से लाभ प्राप्त हो या देयता का निपटान किया गया हो और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर होगा, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि में नियमित या अधिनियमित किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने बकाया कर देयता का आकलन किया है, और लाभ और हानि के विवरण के लिए 310.01 लाख की राशि को बटटा खाते में डाला है। यह आस्थगित कर देयता के पुनः मापन से उत्पन्न हो रहा है जिसके भविष्य में रिवर्स होने की संभावना है, जब कंपनी नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएगी।

प. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय

नवीकरण और समाप्ति विकल्पों के साथ संविदाओं की पट्टा अवधि का निर्धारण – पट्टे के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टे के विस्तार के विकल्प द्वारा शामिल किसी अवधि, यदि युक्तिसंगत रूप से ऐसा करना संभव हो या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल किसी अवधि, यदि युक्तिसंगत रूप से ऐसा करना संभव हो, सहित पट्टे की गैर-रद्दीकरण अवधि के रूप में पट्टा अवधि का निर्धारित करती है। कंपनी के पास कई पट्टे संविदाएं हैं, जिनमें विस्तार और समाप्ति का विकल्प शामिल हैं। कंपनी यह मूल्यांकन करते समय विवेक का प्रयोग करती है कि क्या पट्टे के नवीकरण या समाप्त के विकल्प का प्रयोग करना या न करना कठिन है। इसका अर्थ है कि यह सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है जो उसे नवीकरण या समाप्त करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। आरंभिक तिथि के पश्चात, कंपनी पट्टा अवधि को फिर से बताती है यदि कोई महत्वपूर्ण घटना होती है या उसमें बदलाव होता है ऐसी परिस्थितियाँ जो इसके नियंत्रण में होती हैं और व्यायाम करने या नवीनीकरण करने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करती है।

फ. नया और संशोधित लेखांकन मानक:

इंड एएस-116 – पट्टे

इंड एएस-116 इंड एएस-17 को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें पट्टे के विधिक रूप से संबंधित संव्यवहारों के तत्व का मूल्यांकन शामिल है। ये मानक पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं और



एकल तुलन पत्र मॉडल के तहत सभी पट्टों के लिए खाते की आवश्यकता होती है। इंड एएस-116 के अंतर्गत पट्टादाता लेखांकन इंड एएस-17 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर अपरिवर्तित है। पट्टादाता को उसी तरह के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रचालन या वित्तीय पट्टों को वर्गीकृत करना जारी रहेगा जैसा कि इंड एएस-17 में है। कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल 2019 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को स्वीकृति की संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करके इंड एएस-116 को स्वीकार किया है। इस पद्धति के तहत, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि में मान्यता प्राप्त मानक को आरंभ में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 से कंपनी ने इंड एएस-116 “पट्टों” के स्वीकार किया है और प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2019 को मौजूदा सभी पट्टा संविदाओं के लिए मानक लागू किया है। कंपनी ने इंड एएस-116 के लिए संक्रमण हेतु संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि से तत्काल पूर्व तुलन पत्र तुरंत में मान्यता प्राप्त किसी भी पूर्व-भुगतान / प्रोटोकॉल के लिए समायोजित पट्टा देयता के बराबर राशि पर मान्यता प्राप्त अधिकार का उपयोग किया है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक रूप से पूर्वव्यापी आधार पर समायोजित नहीं किया गया है। इंड एएस-116 के रूप में स्वीकार करने पर, समूह ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू किया। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से आरंभ होने वाली लेखांकन नीति के लिए नोट 1 (पट) पट्टों का संदर्भ लें। मानक विशिष्ट पारगमन आवश्यकताओं और व्यावहारिक समीक्षकों को प्रदान करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

पूर्व में प्रचालनिक पट्टों के रूप में लेखांकित पट्टे

प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों को पट्टा देनदारियों के समान राशि के आधार पर मान्यता दी गई थी, जो पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी संबंधित पूर्व प्रदत्त और अर्जित पट्टा भुगतान के लिए समायोजित की गई थी। पट्टा देनदारियों को शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई है जिसमें आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करके रियायत प्रदान की गई थी।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया:

- यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर का उपयोग किया गया।
- उसके मूल्यांकन पर आश्रित रहना कि पट्टे प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि से तत्काल पूर्व समाप्त हो गए हैं।
- आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि से 12 महीने के भीतर समाप्त होने वाले पट्टा के लिए अल्पकालिक पट्टों की छूट लागू की गई है।
- आरंभिक अनुप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के मापन से आरंभिक में सही संपत्ति के उपयोग की माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।
- पट्टा अवधि के निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग, जहां जहां संविदा में पट्टे के विस्तार या समापन का विकल्प निहित हो।

अधिकांश संविदाओं, जिनमें दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति पर विस्तार अवधि शर्तें शामिल हैं और इसलिए इनके भावि किराये का आकलन नहीं किया जा सकता है। कतिपय संविदाओं जहां विस्तार शर्तें एकपक्षीय हैं, जो कैस संबंधित पक्षों की हैं तथा इसलिए वहां समाय विस्तार के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 को इंड एएस-116 के रूप में नई मान्यता प्राप्त पट्टा यताओं के लिए लागू वेटेड औसत वृद्धिशील उधार दर 8.96 प्रतिशत है। उपरोक्त के आधार पर, 252.74 मिलियन की प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति और चालू वर्ष के दौरान पट्टा करार में प्रवेश करने की तिथि पर 100.38 मिलियन की पट्टा देयता को मान्यता दी गई है और दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति की राशि 160.37 मिलियन और पट्टा देयता के 166.24 मिलियन रूपए को स्वीकार किया गया है।



नोट सं. 2

31 मार्च 2020 को संयत्र, मशीनरी और उपकरण

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | कार्यालय उपकरण | रैम्प उपकरण | फर्नीचर और फिक्सचर | विद्युतीय फिटनिगस | कम्यूटर | वर्कशाप उपकरण और उपस्कर | संयत्र और मशीनरी | वाहन | कुल |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 31 मार्च 2019 को संवर्धन निपटान/समायोजन' | 2.03 | 4,890.68 1,354.45 315.05 | 1.17 | 8.89 1.96 - | 7.26 1.28 - | 2.07 - | 0.07 - | 25.41 0.55 - | 4,937.57 1,358.24 315.05 |
| 31 मार्च 2020 को | 2.03 | 5,930.07 | 1.17 | 10.86 | 8.54 | 2.07 | 0.07 | 25.95 | 5,980.76 |
| मूल्यहास | | | | | | | | | |
| 1 अप्रैल 2019 को निपटान/समायोजन वर्ष हेतु परिवर्तन अनियोजित मूल्यहास | 1.31 | 2,377.88 270.60 | 0.28 | 3.16 - | 6.27 - | 0.47 - | 0.06 - | 6.47 - | 2,395.91 270.60 |
| 31 मार्च 2020 को | 0.24 | 285.64 | 0.12 | 0.92 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 3.03 | 290.91 |
| 31 मार्च 2020 को | 1.56 | 2,392.92 | 0.39 | 4.09 | 7.02 | 0.68 | 0.07 | 9.50 | 2,416.22 |
| निवल बही मूल्य | | | | | | | | | |
| 31 मार्च 2020 को | 0.48 | 3,537.16 | 0.77 | 6.77 | 1.52 | 1.39 | 0.01 | 16.45 | 3,564.54 |
| 31 मार्च 2019 को | 0.72 | 2,512.80 | 0.89 | 5.73 | 0.99 | 1.60 | 0.01 | 18.93 | 2,541.66 |

नोट 28 का संदर्भ लें।

31 मार्च 2019 को संयत्र, मशीनरी और उपकरण

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | कार्यालय उपकरण | रैम्प उपकरण | फर्नीचर और फिक्सचर | विद्युतीय फिटनिगस | कम्यूटर | वर्कशाप उपकरण और उपस्कर | संयत्र और मशीनरी | वाहन | कुल |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 31 मार्च 2018 को संवर्धन निपटान/समायोजन' | 2.03 | 4,741.20 188.68 39.19 | 1.17 | 8.75 0.15 - | 6.88 0.37 - | 2.07 - | 0.07 - | 25.41 - | 4,787.57 189.20 39.19 |
| 31 मार्च 2019 को | 2.03 | 4,890.68 | 1.17 | 8.89 | 7.26 | 2.07 | 0.07 | 25.41 | 4,937.57 |
| मूल्यहास | | | | | | | | | |
| 1 अप्रैल 2018 को निपटान/समायोजन वर्ष हेतु परिवर्तन | 0.85 | 2,110.92 32.21 | 0.18 | 2.32 - | 4.24 - | 0.28 - | 0.07 - | 3.46 - | 2,122.31 32.21 |
| 31 मार्च 2019 को | 0.46 | 299.17 | 0.10 | 0.84 | 2.03 | 0.19 | -0.00 | 3.02 | 305.81 |
| 31 मार्च 2019 को | 1.31 | 2,377.88 | 0.28 | 3.16 | 6.27 | 0.47 | 0.06 | 6.47 | 2,395.91 |
| निवल बही मूल्य | | | | | | | | | |
| 31 मार्च 2018 को | 1.18 | 2,630.28 | 0.99 | 6.42 | 2.65 | 1.79 | 0.01 | 21.95 | 2,664.26 |
| 31 मार्च 2019 को | 0.72 | 2,512.80 | 0.89 | 5.73 | 0.99 | 1.60 | 0.01 | 18.93 | 2,541.66 |



नोट सं. 3

31 मार्च 2020 को परिसंपत्तियों के प्रयोग अधिकार और पट्टा देयताएं

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | बसें | कुल |
|--|--------|--------|
| सकल ब्लॉक | - | - |
| संचित मूल्यहास | - | - |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 252.74 | 252.74 |
| वर्ष के अंत में शेष | 252.74 | 252.74 |
| 1 अप्रैल 2019 को आरंभिक स्वीकृति पर परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार | | |
| संवर्धन | 252.74 | 252.74 |
| कटौतियां | - | - |
| मूल्यहास व्यय | 92.37 | 92.37 |
| 31 मार्च 2020 को निवल वहन मूल्य | 160.37 | 160.37 |

पट्टा देयताएं

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| 1 अप्रैल 2019 को आरंभिक स्वीकृति पर पट्टा देयताएं | | |
| संवर्धन | 252.74 | - |
| संचित ब्याज | 13.88 | - |
| पट्टा मूल भुगतान | 86.50 | - |
| पट्टा ब्याज भुगतान | 13.88 | - |
| रिवर्सल | 100.38 | - |
| 31 मार्च 2020 को | | |
| चालू | 131.46 | - |
| गैर चालू | 34.78 | - |

नीचे प्रस्तुत तालिका गैर रियायती आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 को पट्टा देयताओं पर संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में व्यौरा प्रस्तुत करती है:

| विवरण | राशि |
|------------------|--------|
| 1 वर्ष से कम | 140.60 |
| 1–5 वर्ष | 35.15 |
| 5 वर्ष से अधिक | - |
| 31 मार्च 2020 को | 175.76 |

नोट:

- 3.1 कंपनी को अपने पट्टों की देनदारियों के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि मौजूदा परिसंपत्तियां पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं जब कभी वे देय होते हैं। इन राशियों को अन्य खर्चों के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है।



3.2 कंपनी ने उस वर्ष के दौरान किराए के खर्च के रूप में 246.93 मिलियन को स्वीकार किया है जो अल्पकालिक पट्टे से संबंधि त है जिसे वर्ष के दौरान दर्ज संपत्ति के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। (नोट नंबर 36 देखें)

3.3. पट्टादाताओं के साथ कंपनी ने जिन पट्टों में प्रवेश किया है, वे आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति में हैं और कोविड-19 के कारण उन पट्टों के संदर्भ में कोई बदलाव अपेक्षित नहीं है।

4. आयकर परिसंपत्तियाँ

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | गैर-चालू | | चालू | |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| आयकर –प्रावधान का निवल अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती (कर हेतु प्रावधान का निवल) | 261.46 | 150.75 | | |
| | 261.46 | 150.75 | . | . |

संदर्भ नोट 27

5. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)*

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) | |
|---|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | (रुपए) | (रुपए) | (रुपए) | (रुपए) |
| डीटीएल के कारण आस्थगित कर देयता मूल्यहास | (125.54) | | (124.76) | (124.76) |
| कुल आस्थगित कर देयता | | (125.54) | | |
| डीटीएल के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति अवशोधित मूल्यहास | | | - | |
| अन्य कर गैर-भत्ते | 895.36 | 895.36 | 1,202.41 | 1,202.41 |
| निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति | 769.82 | 769.82 | 1,077.65 | 1,077.65 |

'संदर्भ नोट सं. 39



6 अन्य परिसंपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | गैर-चालू | | चालू | |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| वेंडरों से अग्रिम (संदर्भ नोट 27) | - | - | 34.22 | 23.11 |
| सरकारी प्राधिकरणों के साथ बयाना जमा राशि स्टाफ दावा वसूली | 0.15 0.13 | 0.15 - | - | - |
| भारतीय योजना से सेवा निर्यात की पात्रता (संदर्भ नोट 33) | - | - | 104.51 | 88.39 |
| पूंजीगत क्रय से अग्रिम | 0.37 | 0.37 | - | - |
| कुल | 0.65 | 0.52 | 138.73 | 111.50 |

7. दरसूची

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| भंडारण व कलपुर्ज (लागत पर) | 86.77 | 89.81 |

*संदर्भ नोट सं. 29

8 व्यापार प्राप्य (निवल)*

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | चालू | |
|---|------------------|------------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| वसूली योग्य – रक्षित | - | - |
| वसूली योग्य – अरक्षित | 1,858.88 | 1,578.21 |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्य | 521.93 | 436.26 |
| व्यापार प्राप्य – ऋण हानि | - | - |
| | 2,380.81 | 2,014.47 |
| घटा रु संदिग्ध हेतु प्रावधान (संदर्भ नोट सं. 48(i)) | 521.93 | 436.26 |
| | 1,858.88 | 1,578.21 |
| समूह कंपनियों से देय राशियां | 3,855.08 | 2,408.94 |
| कुल | 5,713.96 | 3,987.15 |

*संदर्भ नोट सं. 27



अवधिको प्राप्त्यों की आयु :

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| समूह कंपनियों से देय | | |
| 1 वर्ष तक | 1,989.28 | 884.85 |
| 1 से 3 वर्ष | 1,865.80 | 1,524.09 |
| 3 वर्ष या अधिक | - | - |
| | 3,855.08 | 2,408.94 |
| अन्य कंपनियों से देय | | |
| 1 वर्ष तक | 838.87 | 727.72 |
| 1 से 3 वर्ष | 684.17 | 615.47 |
| 3 वर्ष या अधिक | 335.85 | 160.43 |
| | 1,858.88 | 1,503.62 |

सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि प्रतिभूति सहित या रहित 30 से 60 दिनों तक के लिए है।

किसी भी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी संभावित ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक बाहरी क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करती है और ग्राहक द्वारा क्रेडिट सीमा को परिभाषित करती है। ग्राहकों के लिए सीमाएं और स्कोरिंग की समीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है।

कंपनी आमतौर पर इन शेषों को कोलेटरल या अन्य ऋण संवर्धनों को धारित नहीं करती है और ना ही प्रतिपक्ष के प्रति कंपनी द्वारा धारित किसी राशि के प्रति ऑफसेट का विधिक अधिकार होता है।

व्यापार प्राप्ति के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन नोट 48 (i) में वर्णित किया गया है

नोट 42 में संबंधित पक्षों के व्यापार प्राप्त्यों का विवरण दिया गया है।

व्यापार प्राप्त्यों में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से कोई प्राप्य शामिल नहीं है।

9 रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
|---|---------------------|------------------------------------|
| रोकड़ और रोकड़ समतुल्य | | |
| उपलब्ध रोकड़ | 0.07 | 0.07 |
| बैंक शेष: | | |
| — चालू खाता | 160.77 | 139.31 |
| — 3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाता' | 0.18 | - |
| | कुल | 161.02 |
| | | 139.37 |

(निर्धारित शेष उपायुक्त वस्तु एवं सेवा कर के पास सावधि जमा राशियों को दर्शाते हैं)**



10. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य से इतर बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| निर्धारित शेष | | |
| - सावधि जमा ** | 1.50 | 0.17 |
| कुल | 1.50 | 0.17 |

निर्धारित शेष उपायुक्त वस्तु एवं सेवा कर के पास सावधि जमा राशियों को दर्शाते हैं)**

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

| विवरण | चालू | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| अरक्षित वसूली योग्य | | |
| स्टाफ से वसूलीयोग्य (संदर्भ सं.27) | 57.79 | 99.70 |
| अन्य वसूलीयोग्य | 19.06 | 18.33 |
| कुल | 76.85 | 118.03 |

12. इकिवटी शेयर पूँजी

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | | 31 मार्च, 2019 को | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रूपए मिलियन में) | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रूपए मिलियन में) |
| प्राधिकृत शेयर पूँजी | | | | |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के इकिवटी शेयर जारी व अंशदायी | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 10,000 |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त इकिवटी शेयर | 138.42 | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |
| | 138.42 | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |

कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

क. कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले शेयरधारक

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | | 31 मार्च, 2019 को | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रूपए मिलियन में) | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रूपए मिलियन में) |
| एअर इंडिया लिमिटेड – धारक कंपनी | 138.42 | 100.00 | 138.42 | 100.00 |

शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टरों सहित कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, उपर्युक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी स्वामित्व को दर्शाती है।



ख. वर्ष के आरंभ तथा अंत में बकाया इकिवटी शेयरों का समाधान

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को | | 31 मार्च, 2019 को | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रुपए मिलियन में) | शेयरों की सं. (मिलियन में) | राशि (रुपए मिलियन में) |
| वर्ष के आरंभ में | 138.42 | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |
| वर्ष के दौरान जारी | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया | 138.42 | 1,384.24 | 138.42 | 1,384.24 |

कंपनी ने केवल एक श्रेणी के शेयर जारी किए हैं जिन्हें इकिवटी शेयर कहते हैं और इनका प्रति शेयर मूल्य 10 रुपए है। इकिवटी शेयरों का प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इकिवटी शेयरों के द्वारा सभी बाहरी देयतों के भुगतान के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इन परिसंपत्तियों का संवितरण, सभी प्रेफरेंशियल राशियों, यदि कोई हो, के संवितरण के पश्चात शेयरधारकों द्वारा धारित इकिवटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए हैं और रोकड़ से इतर हेतु जारी किए जाने का कोई मामला नहीं है और कंपनी द्वारा किसी शयर को बाईबैक नहीं किया गया है।

13. अन्य इकिवटी

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को (रुपए) | 31 मार्च 2019 को (रुपए) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| लाभ हानि खाते में अतिरेक | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जमा: पूर्ववर्ती वर्षों की आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रभाव | 1,991.84 | 494.05 |
| वर्श हेतु लाभ | 655.69 | 558.42 |
| घटा: | | |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन | - | - |
| आरक्षित निधि में अंतरण | - | - |
| जमा: पूर्व अवधि समायोजन | - | - |
| घटा: पूर्व अवधि समायोजन | - | - |
| अंतरिम लाभांश | - | - |
| अंतरिम लाभांश पर कर | - | - |
| प्रस्तावित लाभांश | - | - |
| प्रस्तावित लाभांश पर कर | - | - |
| उप कुल | - | - |
| निवल अतिरेक | 655.69 | 558.42 |
| कुल आरक्षित निधि एवं अतिरेक | 2,647.53 | 1,991.84 |



(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|-----------------|------------------|------------------|
| प्रतिधारण आमदनी | 2,647.53 | 1,991.84 |
| कुल | 2,647.53 | 1,991.84 |

प्रतिधारण आमदनियाँ:

प्रतिधारित आमदनियाँ कंपनी के वे लाभ हैं जो आज की तिथि तक अर्जित लाभ घाटा आरक्षित निधि में अंतरित कोई राशि व शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश या अन्य संवितरण है। प्रतिधारित आमदनियों में शामिल हैं –निर्धारित लाभ योजनाओं पर घाटा/(लाभ) का पुनर्मापन, करों का निवल, जिन्हें लाभ व हानि खाते में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रतिधारित आमदनियाँ कंपनी के पास उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधियाँ हैं।

14. अन्य वित्तीय देयताएँ

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | गैर-चालू | | चालू | |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| कर्मचारियों को देय (संदर्भ नोट सं.27) | 0.11 | 1.44 | 352.30 | 74.18 |
| भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण उपकर के प्रति देय (संदर्भ नोट सं.27) | - | - | 922.99 | 1,073.67 |
| पूंजीगत क्य हेतु देय | - | - | 878.53 | - |
| कुल | 0.11 | 1.44 | 2,153.82 | 1,147.85 |

15. प्रावधान

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | गैर-चालू | | चालू | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान* | | | | |
| वेतन नकदीकरण हेतु प्रावधान | 347.23 | 351.34 | 92.10 | 85.75 |
| उपदान के लिए प्रावधान | 836.94 | 812.63 | 177.29 | 153.59 |
| चिकित्सा के लिए प्रावधान | 1,383.83 | 1,316.16 | 56.39 | 57.48 |
| अन्य प्रावधान | | | | |
| ब्याज सहित कर हेतु प्रावधान (निवल) | | | 200.49 | |
| एमएसएमई हेतु प्रावधान** | | | 0.03 | |
| कुल | 2,568.00 | 2,480.13 | 526.29 | 296.81 |

* संदर्भ नोट सं. 37

** संदर्भ नोट सं. 42



16 अन्य गैर चालू देयताएं

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | गैर-चालू | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| ग्राहकों से प्रतिभूति जमा राशियां | 20.88 | 9.07 |
| ग्राहकों से अग्रिम (संदर्भ नोट सं.49) | - | 0.35 |
| कुल | 20.88 | 9.42 |

17. व्यापार प्राप्य (निवल)*

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| व्यापार प्राप्य | | |
| - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम | 0.26 | 0.10 |
| - अन्य देय राशियां | 845.94 | 526.50 |
| कुल | 846.20 | 526.61 |

देय राशियों का निपटान सामान्य रूप से 30–60 दिनों के भीतर किया जाता है।

संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य का ब्यौरा नोट – 41.

18 .अन्य चालू देयताएं

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | चालू | |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| | 31 मार्च 2020 का | 31 मार्च 2019 का (पुनःलेखांकित) |
| सांविधिक देयताएं (नोट 27 का संदर्भ लें) | 590.45 | 335.84 |
| वेंडरों से जमा राशियां | 30.55 | 31.18 |
| ग्राहकों से प्रतिभूति जमा | 0.61 | 11.04 |
| ग्राहकों से अग्रिम (नोट 49 का संदर्भ लें) | 0.57 | 0.09 |
| अन्य चालू देयताएं | 0.16 | 0.15 |
| कुल | 622.35 | 378.30 |



19. प्रचालनों से राजस्व (सकल)*

(रूपए मिलियन में)

| | विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|---|--|---|--|
| क | ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व समूह कंपनियों से राजस्व तीसरा पक्ष हैंडलिंग से राजस्व सरकारी पक्षों से राजस्व सुरक्षा हैंडलिंग से राजस्व सामान्य हैंडलिंग से राजस्व | 3,837.76 1,712.45 46.08 0.00 112.86 | 3,775.80 1,976.05 41.18 0.00 257.94 |
| ख | घटा: धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी | 5,709.16 342.49 | 6,050.97 406.78 |
| | कुल (क) | 5,366.67 | 5,644.19 |
| ख | कार्गो हैंडलिंग से राजस्व – एपीईडीए से राजस्व – अन्य | 85.59 510.98 | 147.92 551.99 |
| | कुल (ख) | 596.57 | 699.91 |
| ग | उपकरणों को ऋण | 258.06 | 263.48 |
| | कुल (ग) | 258.06 | 263.48 |
| | कुल | 6,221.30 | 6,607.58 |

*संदर्भ नोट सं. 49

20. अन्य आय

(रूपए मिलियन में)

| | विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | भर्ती आवेदन राशि | 1.93 | 5.63 |
| | समूह कंपनियों पर ओवरड्रू भुगतानों पर ब्याज (संदर्भ नोट सं. 31) | 269.42 | 148.19 |
| | समूह कंपनियों से इतर पर ओवरड्रू भुगतानों पर ब्याज | 5.89 | 0.00 |
| | सावधि जमा पर ब्याज | 0.41 | 0.91 |
| | विदेशी विनिमय लाभ (निवल) | 258.19 | 149.65 |
| | एचएएल-जेडब्ल्यूजी की लाभ भागीदारी (संदर्भ नोट सं. 26) | 9.10 | 9.35 |
| | श्रमशक्ति लागत वसूली | 97.60 | 89.29 |
| | उपदान की वसूली (संदर्भ नोट सं. 35) | 86.47 | 0.00 |
| | प्रावधान के पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं (संदर्भ नोट सं. 34) | 101.03 | 10.66 |
| | एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रता (संदर्भ नोट सं. 33) | 25.32 | 0.00 |
| | अन्य आय | 11.34 | 28.83 |
| | कुल | 866.71 | 442.50 |



20ए. कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|--|-----------------------------------|---|
| वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस | 3,589.12 | 3,620.45 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान (नोट 37 का संदर्भ लें) | 359.37 | 399.68 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 68.27 | 9.34 |
| उपदान (नोट 37 का संदर्भ लें) | 203.92 | -22.73 |
| अवकाश नकदीकरण (नोट 37 का संदर्भ लें) | 52.88 | 39.17 |
| चिकित्सा लाभ व्यय (नोट 37 का संदर्भ लें) | 122.79 | 116.39 |
| कुल | 4,396.35 | 4,162.32 |

20बी. वित्तीय लागत

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | 13.88 | 0.00 |
| आयकर पर पर ब्याज | 49.05 | 0.00 |
| कुल | 62.93 | 0.00 |

20सी. अन्य व्यय

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|--|-----------------------------------|---|
| हैंडलिंग प्रभार | 47.67 | 127.82 |
| भर्ती व्यय | 0.07 | 1.51 |
| बीमा व्यय | 35.72 | 43.12 |
| टेलीफोन शुल्क | 0.71 | 0.94 |
| मरम्मत और रखरखाव | 53.40 | 51.47 |
| बिजली, हीटिंग और ईधन | 223.82 | 280.37 |
| जल प्रभार | 3.38 | 4.72 |
| स्टोर और स्पेयर खपत | 59.48 | 75.06 |
| परिवहन और उपकरणों का किराया | 9.07 | 24.33 |
| परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से घाटा | 21.15 | 6.99 |
| मुद्रण और स्टेशनरी | 4.46 | 3.27 |
| एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रता का व्युत्कम (नोट 33 का संदर्भ लें) | 0.00 | 96.98 |
| सामान्य कार्यालय व्यय | 13.81 | 22.91 |
| संभावित ऋण घाटा भत्ता (नोट 48(i) का संदर्भ लें) | 85.67 | 436.26 |



| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःलेखांकित) |
|---|-----------------------------------|---|
| किराया व्यय (नोट 36 का संदर्भ लें) | 246.93 | 145.59 |
| दरें और कर | 4.09 | 4.92 |
| यात्रा और वाहन व्यय | 43.23 | 35.12 |
| कानूनी और व्यावसायिक व्यय | 14.48 | 14.33 |
| बैंक प्रभार | 1.21 | 0.76 |
| यात्री बैगेज दावा व्यय | 0.77 | 0.56 |
| ब्याज प्रभार | 4.46 | 0.06 |
| निगमित सामाजि उत्तरदायित्व (नोट 43 का संदर्भ लें) | 10.37 | 19.24 |
| सांविधिक लेखापरीक्षक को परिलब्धि | | |
| —लेखा परीक्षा शुल्क | 1.00 | 0.40 |
| —आउट आफ पाकेट व्यय | 0.10 | 0.06 |
| विविध व्यय | 21.82 | 24.29 |
| कुल | 906.88 | 1,421.06 |

20डी. प्रति शेयर आमदनी

(रुपए मिलियन में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| कर पश्चात लाभ | 662.13 | 524.82 |
| बकाया शेयरों की औसत संख्या / संख्या | 138.42 | 138.42 |
| इकिवटी शेयरों का आंशिक मूल्य / रुपए | 10.00 | 10.00 |
| प्रति शेयर आमदनी / रुपए – मूल | 4.78 | 3.79 |
| प्रति शेयर आमदनियां / रुपए – विलयित | 4.78 | 3.79 |

वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की वेटेड औसत संख्या का समायोजन

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| वर्ष के आरंभ में बकाया इकिवटी शेयरों की कुल संख्या | 138.42 | 138.42 |
| जमा: राइट इश्यु के माध्यम से जारी शेयर (आवंटन की तिथि : 15 दिसंबर 2011) | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के अंत में बकाया इकिवटी शेयरों की कुल संख्या | 138.42 | 138.42 |
| वर्ष के अंत में इकिवटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या | 138.42 | 138.42 |

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुश्टि हेतु पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।



दिनांक 31 मार्च 2020 को तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

21. विनिवेश प्रक्रिया

भारत सरकार ने एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत सरकार ने स्वयं के मार्गदर्शन हेतु संव्यवहार सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसंपत्ति वेल्युवर की नियुक्ति की है और एअर इंडिया के नीतिगत विनिवेश में मार्गदर्शन हेतु विशिष्ट वैकल्पिक तत्र (एआईएसएएम) का गठन किया गया है।

एआईएसएएम ने निम्नलिखित चार सहायक कंपनियां नए रूप से निर्मित विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) में अविलियत और पार्क होंगी:

- i) एआई एअरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड(एआईएटीएसएल)
- ii) एलाइंस एयार एविएसन लिमिटेड (एएएएल)
- iii) एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)
- iv) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)

विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) का गठन चार सहायक कंपनियों यथा एआईएटीएसएल, एएएसएलप, एआईईएसएल, एचसीआई सहित किसी भी परिसंपत्ति द्वारा असमर्थिक संचित कार्यशील पूँजीगत ऋण, गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों, पैटिंग तथा कलाकृतियों और एअर इंडिया की अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के वेयरहाउसिंग संचयन के लिए किया गया है। तदनुसार, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का गठन किया गया था।

इस तथ्य के अनुसरण में कि मार्च 2018 में जारी किए गए उपरोक्त ईओआई में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) ने दिनांक 18 जून 2018 को हुई अपनी बैठक में अनेक निर्णय लिये जिनमें से एक निर्णय सहायक कंपनियों के निपटान के लिए अलग-अलग तरीके से निर्णय लिया जाए यथा एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, जिसे पहले एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएएल) के रूप में जाना जाता था।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, एअर इंडिया बोर्ड ने अपनी सहायक एआईएटीएसएल की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग एआईएचएल को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी, आवश्यक अनुमोदन के अध्याधीन और अंतरण के विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए एआईएसएल/एआईएचएल के साथ वार्ता आरंभ करने के लिए कंपनी को अधिकृत किया था। एआईएसएल से एआईएचएल को शेयर होल्डिंग के कानूनी हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

इस संबंध में आगे एआईएसएल के विनिवेश के लिए रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की बोलियों के आमंत्रण के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले ही जारी किया जा चुका है और जिसके विवरण निम्नानुसार हैं।

एआईएचएल ने दिनांक 12 फरवरी 2019 को एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री के लिए रुचि अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए पीआईएम जारी किया था, जिसके बाद तिथियों को आगे बढ़ाने के लिए 12 शुद्धपत्र जारी किए गए जिनमें अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2019 थी। तथापि यह सूचित किया गया था कि एआईएटीएसएल के नीतिगत विनिवेश को रद्द कर दिया गया है और एआईएचएल एआईएटीएसएल की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री की प्रक्रिया को यथोचित रूप से पुनः आरंभ करेगी।

22. आकस्मिक देयताएं:

- क. विवादित दावे/शुल्क (ब्याज सहित, यदि कोई हो):
 - कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कतिपय मामलों में ब्याद और दंड को छोड़कर) और इंड एस-37 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:



रूपए मिलियन में

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2020 को शेष | 31 मार्च 2019 को शेष |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|
| (i) | कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस, जो अपीलाधीन हैं (*) | 20.10 | 23.29 |
| (ii) | हवाईअड्डा प्रचालकों / अन्यों के दावे (**) | 30.57 | 30.57 |
| (iii) | कर प्राधिकरणों द्वारा मांग की गई सेवा कर (***) | - | 1.10 |
| (iv) | स्टाफ / सिविल / मध्यस्थता मामलों में अन्य दावे जो न्यायालयों में लिंबित हैं | 13.96 | 4.10 |
| | कुल | 64.63 | 59.06 |

अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में विवरणात्मक नोट

1. कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस, जो अपीलाधीन हैं (')

- क. उपदान अस्वीकृति: ज्ञानी आयकर उपायुक्त ने त्रुटिवश दिनांक 07.01.2015 को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधित आयकर रिटर्न को अस्वीकार किया है और आगे त्रुटिवश लेखापरीक्षा रिपोर्ट और दिनांक 07.01.2015 को दायर संशोधित रिपोर्ट के अनुसार धारा 40क(7) के अंतर्गत 2.60 मिलियन रूप के रूप में निर्धारित सही राशि के स्थान पर धारा 40क(7) के अंतर्गत 16.67 मिलियन रूपए को अस्वीकार किया है।
- ख. भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान: ज्ञानी डीसीआईटी ने त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(24) (ग) के साथ पठित धार 36 (प)(वीए) के तहत भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता अंशदान के संबंध में अपीलकर्ता की कुल आय में 9.06 मिलियन रूपए का संवर्धन किया है।

2. हवाईअड्डा प्रचालकों के दावों में शामिल हैं; “द्व”

- (i) कतर एयरवेस ने क्षति/दावों के प्रति सहायक साक्षों को प्रस्तुत किए बिना अपने विमान को क्षति के विरुद्ध 14.2 मिलियन रूपए की मांग प्रस्तुत की थी। तथापि, कंपनी ने इस दावे को बीमक के पास अग्रेषित कर दिया है, जिसने इस दावे के निपटान के लिए इसे अगे रीइंश्योरर को अग्रेषित कर दिया है। रीइंश्योरर ने किए गए दावे के संबंध में सहायक दस्तावेजों को अग्रेषित करने का अनुरोध किया है। दावे या क्षति के लिए साक्ष्य/सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए यह मामला कतर एयरवेस के साथ अभी भी लंबित है। इसलिए, उक्त दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।
- (ii) मैसर्स एसले काले ने 8.77 मिलियन रूपए की राशि के बिल प्रस्तुत किए थे जो कंपनी द्वारा हैंडल किए गए तीसरे पक्ष एयरलाइन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) बिलिंग के लिए कंपनी द्वारा उनके साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए किसी औपचारिक संविदा के अभाव में, इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।
- (iii) नेहा एविएशन मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जयपुर हवाईअड्डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग, विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.9 मिलियन रूपए (पीनल ब्याज और उसपर जीएसटी सहित) की मांग प्रस्तुत की थी। कंपनी को उनके सभी बकाया प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने पाया कि वेंडर द्वारा प्राप्त प्रस्तुत बिल सही नहीं था और प्रत्येक एक सेवा के लिए दोहरा बिल प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, इस दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

23. एअर इंडिया में इक्विटी सहायता

कंपनी और एअर इंडिया लिमिटेड, के बीच दिनांक 19 अप्रैल 2013 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के भागे के रूप में भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता के आधार पर एअर इंडिया ने



वित्तीय वर्ष 2023 तक पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षित 393 करोड रुपए की इकिवटी एआईएसएल को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, एमओयू के अनुसार, 393 करोड रुपये की कुल इकिवटी में से एआईएसएल की पूंजीगत आवश्यकता के लिए एआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 150 करोड रुपये का उपयोग किया जाएगा। इकिवटी के रूप में 243 करोड रुपए की शेष राशि एआईएसएल की पूंजी आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 तक की अवधि के दौरान एआई द्वारा एआईएसएल को इकिवटी के रूप में प्रदान किए जाएंगी।

उपरोक्त के प्रति, एअर इंडिया ने आज की तिथि तक 138.42 करोड रुपए की सहायता प्रदान की है।

24. पूंजी एवं अन्य दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएः:

पूंजी संविदागत प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएं दिनांक 31 मार्च 2020 को 83.75 करोड रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) हैं।

25. इंड एएस-8 “लेखांकन नीति, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन” के अनुसार पूर्व अवधि त्रुटियों में सुधार

वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक शेषों का विस्तृत समीक्षा की है और पाया कि वित्तीय विवरण के नीचे उल्लिखित लाइन मद्दें पूर्व वर्ष में सही रूप में लेखांकित/प्रकट नहीं हैं।

इन अशुद्धियों को निम्नानुसार पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन मद्दों को पुनर्निर्धारित करके सही किया गया है:

रूपए मिलियन में

| तुलन पत्र (सार) | 31 मार्च 2019 को (पूर्व में रिपोर्टिङ अनुसार) | वृद्धि / (कमी) | 31 मार्च 2019 को (पुनर्निर्धारित) |
|--|--|----------------|--------------------------------------|
| अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 5 का संदर्भ लें) | 111.87 | (0.37) | 111.50 |
| रोकड़ और रोकड़ समतुल्य से इतर बैंक शेष | 0.17 | 0.01 | 0.18 |
| व्यापार प्राप्य (नोट 7 का संदर्भ लें) | 4,008.71 | (21.56) | 3,987.15 |
| दरसूचियां (नोट 6 का संदर्भ लें) | 89.81 | - | 89.81 |
| व्यापार प्राप्य (नोट 15 का संदर्भ लें) | 434.85 | 91.75 | 526.60 |
| अन्य चालू वित्तीय देयताएं (नोट 13 का संदर्भ लें) | 1,148.30 | - | 1,148.30 |
| अन्य चालू देयताएं (नोट 16 का संदर्भ लें) | 378.30 | - | 378.30 |
| निवल परिसंपत्तियां | 2249.11 | (113.67) | 2135.44 |
| प्रतिधारित आमदनियां (नोट 12 का संदर्भ लें) | 2105.13 | (113.31) | 1991.84 |
| कुल इकिवटी | 3489.37 | (113.31) | 3,376.08 |

रूपए मिलियन में

| लाभ एवं हानि विवरण (सार) | 31 मार्च 2019 को (पूर्व में रिपोर्टिङ अनुसार) | वृद्धि / (कमी) | 31 मार्च 2019 को (पुनर्निर्धारित) |
|--|---|----------------|--------------------------------------|
| प्रचालनों से राजस्व (नोट 17 का संदर्भ लें) | 6,629.13 | (21.55) | 6607.58 |
| अन्य आय –निवल (नोट 18 का संदर्भ लें) | 442.51 | (0.01) | 442.50 |
| कुल राजस्व | 7,071.64 | (21.56) | 7050.08 |



| लाभ एवं हानि विवरण (सार) | 31 मार्च 2019 को (पूर्व में रिपोर्टिंग अनुसार) | वृद्धि / (कमी) | 31 मार्च 2019 को (पुनःनिर्धारित) |
|---|--|----------------|----------------------------------|
| व्यय कर्मचारी लाभ व्यय (नोट 19 का संदर्भ लें) | 4,164.88 | (2.56) | 4162.32 |
| अन्य व्यय (नोट 20 का संदर्भ लें) | 1,326.77 | 94.31 | 1421.06 |
| कुल व्यय | 5,797.46 | 91.75 | 5889.19 |
| कर पूर्व लाभ | 1,274.18 | (113.31) | 1160.89 |
| वर्ष के लिए लाभ | 638.11 | (113.31) | 524.82 |
| अन्य वृहत आय | | | |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःनिर्धारण | 51.64 | 0 | 51.64 |
| वर्ष के लिए कुल वृहत आय | 671.71 | (113.31) | 558.42 |

वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल आमदनियों को भी पुनःनिर्धारित किया गया है। प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए शुद्धि राशि को प्रति शेयर 0.82 रूपए कम किया गया था।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

26. संयुक्त कार्य समूह के संबंध में प्रकटन

एचएएल बंगलोर हवाईअड्डा हिन्दुस्तार एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अधिकारक्षेत्र में है और यहां ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं एचएएल द्वारा प्रदान की जा रहीं थीं। तथापि, कंपनी ने एचएएल बंगलोर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कंपनी की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एचएएल के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2016 को करार के तहत एक व्यवस्था में प्रवेश किया है। ऐसी व्यवस्था के अनुसार, कंपनी उस हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एचएएल की सभी अवसंरचनाओं का प्रयोग करेगी और इस करार की शर्तों के अनुसार कर पश्चात एचएएल के निवल लाभ को समान अनुपात में एचएएल और कंपनी के बीच साझा किया जाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए एचएएल के निवल लाभ के 50 प्रतिशत भाग यथा 9.10 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

रूपए मिलियन में

| संयुक्त कार्य दल का नाम | एआईजे डब्ल्यूजी | |
|--|------------------|------------------|
| | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
| कंपनी का भाग/स्वामित्व हित | 50% | 50% |
| आय – कंपनी का भाग | 22.25 | 24.70 |
| व्यय – कंपनी का भाग | 4.05 | 6.00 |
| लाभ/ (हानि) – कंपनी का शेयर | 18.20 | 18.80 |
| एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूह से आय का भाग: | 9.10 | 9.35 |
| आकस्मिक देयता | - | - |

27. समामलेन/पुष्टि

- क) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्तियों के लिए शेष राशि की पुष्टि हेतु मांग की है और कंपनी ने धारक कंपनी, धारक कंपनी की सहायक कंपनी और कुछ निजी पक्षों शेष राशि प्राप्तियों हेतु पुष्टि प्राप्त की है, जिसमें कंपनी को प्राप्त



युक्तिसंगत राशि शामिल है और समायोजन का कार्य पूरा कर लिया गा है तथा शेष पुष्टियां प्राप्त हो रही हैं।

- ख) व्यापार के भुगतान के मामले में कुछ पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और जहां भी पक्षों का शेष बहियों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतरों के लिए समायोजन किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।
- ग) ग्राहकों से वसूल की गई और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व एमआईएएल को देय रॉयलटी का समायोजन किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।
- घ) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक बकाया राशियों का समायोजन दायर रिटर्न और कंपनी के विधिक रिकार्डों के साथ किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।
- ड.) कुछ नियंत्रण बहियों सहित देय राशियों और कर्मचारियों से प्राप्त/वसूलीयोग्य मिलान रहित करिपय राशियों का समायोजन और मिलान किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

28. परिसंपत्तियां, संयत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था और दिनांक 13 अगस्त 2019 को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्य पूरा हो गया था, और कंपनी ने अपनी पहुंच परिवर्तियों के लिए लेखा बिहयों में सभी लेखांकन प्रभावों को लेखांकित किया है और इनके लिए 1427 संख्या की सरप्लस परिसंपत्तियों को 1 रूपए की दर से बहियों में समायोजित किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2019 को 20.08 मिलियन रूपए मूल्य की 1203 परिसंपत्तियों की कमी के संबंध में इनका पूर्ण रूप से मूल्यहास किया गया है ताकि उपलब्ध परिसंपत्तियों के भौति शेष का मिलान किया जा सके।

तथापि, कंपनी की नीति के अनुसार, वर्ष 2018–20 की अवधि के लिए पीपीई के भौतिक सत्यापन की द्विवार्षिक प्रक्रिया, जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरा किया जाना था, को कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण पूरी नहीं किया जा सका। वर्ष 2020–21 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

29. दरसूचियां

जून 2017 में ग्राउंड सपोर्ट उपकरण कलपुर्जों को एअर इंडिया द्वारा हस्तांतरित किया गया था और वर्तमान में उपयोग में आने वाले पुराने उपकरणों के संबंध में इन कलपुर्जों की आवश्यकता है। संदर्भित कलपुर्ज बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और महंगे भी हैं। इन दरसूचियों का स्टॉक संचलन धीमा है क्योंकि कंपनी नए ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों की खरीद के कारण पुराने और अप्रचलित उपकरणों का चरणबद्ध आधार पर निपटान करने की प्रक्रिया में है। यहां कोई पुनःपूर्ति नहीं है और कंपनी बिक्री के लिए समीक्षा करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में है।

कोविड-19 के कारण चार स्थानों पर आंतरिक रूप से इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया, जहां इन्वेंटरी भंडारित थी वहां कंपनी के अधिकारी द्वारा इनका सत्यापन किया गया है और विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है। भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2020 और एक स्थान पर लॉकडाउन के कारण यह सत्यापन सितंबर, 2020 के महीने में किया गया है। दरसूची का उपयोग संचालन में कमी के कारण नहीं हुआ है। दिनांक 14 जून 2019 की समिति रिपोर्ट के तहत चिह्नित एआई/एआईईएसएल की 14.99 मिलियन रूपये की इंजीनियरिंग और कंटेनर कलपुर्जों से संबंधित कुछ इन्वेंटरी वस्तुएं हैं, जो वर्ष 2020–2021 के दौरान एआई/एआईईएसएल को वापस कर दी जाएंगी।

30. रोकड़ एवं बैंक शेष

उपलब्ध रोकड़ का वर्ष समाप्ति पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और रोकड़ शेष प्रमाण अपत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है। बैंक शेषों का पूर्ण रूप से समाधान किया गया है



और सभी बैंक खातों के संबंध में बैंकों से पुष्टि प्राप्त की गई है।

31. एअर इंडिया समूह पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज:

पूर्व पद्धति के अनुसार एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में औसत शेष विधि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया है। तथापि, एलायंस एयर के संबंध में क्रेडिट अवधि के बाद ब्याज 9 प्रतिशत लगाया गया है।

एअर इंडिया समूह की कंपनियों के लिए प्रभारित ब्याज निम्नानुसार है:

मिलियन में रूपए

| | |
|---|--------|
| एयर इंडिया लिमिटेड | 105.04 |
| एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड | 18.73 |
| एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड | 90.78 |
| एलाइंड एयरलाइंस सर्विसेज लिमिटेड | 54.86 |
| कुल | 269.41 |

32. आंतरिक नियंत्रण:

कंपनी ने प्रणाली में सुधार, यदि अपेक्षित हो, के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा समय समय पर की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोक्ता विभागों में भी कुशल आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित किया जा सके और सेप में संव्यवहार की समरूपी और सम पर लेखांकन प्रविष्टियों हेतु प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

33. “भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसएफआईएस) की पात्रता”:

कंपनी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आधार पर भारतीय योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र है। लाइसेंस/स्क्रिप के रूप में उक्त लाभ विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के लिए दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। दावों के लंबित होने के कारण, चालू वर्ष में ऐसे वित्तीय वर्षों के लिए किसी निर्यात पात्रता को स्वीकार नहीं किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी को डीजीएफटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मंजूरी दी गई है, जबकि अन्य आय के रूप में 25.32 मिलियन रुपये की राशि को मान्यता दी गई है।

34. प्रावधान जिसे अब बट्टा खाता डालने की आवश्यकता नहीं है:

कंपनी ने 01.03 मिलियन रुपए के प्रावधान खाते का संचालन किया है, जिसकी अब आवश्यक नहीं है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016–17 के एसएफआईएस प्रावधान के संबंध में 96.98 मिलियनों के प्रमुख भाग को अब वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित लेखों के रूप में प्रतिक्रिया कर दिया गया था, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को आवंटित किया गया था।

35. उपदान और अन्य कर्मचारियों की वसूली की प्राप्ति:

एअर इंडिया द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों के संबंध में, एअर इंडिया द्वारा वह की जाने वाली वेतन लागत को मासिक आधार पर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआई एपीएस) को डेबिट किया जाता है। पेरोल को संसाधित करते समय उपदान भुगतान पेरोल के माध्यम से एअर इंडिया द्वारा संसाधित किया जाता है और तदनुसार इस राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में एआई एपीएस के नामे किया गया था। चूंकि उपदान के निपटान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता यथा एअर इंडिया



पर होगी, इसलिए 77.57 मिलियन रुपये की उपदान की राशि इस वसूली को एआई एपीएस की बहियों में पिछले वर्ष नामे किया गया था, जो एअर इंडिया को देय नहीं थी और इसलिए इसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में अन्य आय माना गया है।

36. इंड एएस–116 पट्टा देयता के लिए हवाइअड्डा कपलुर्जों पर विचार न किए जाने संबंधी स्पष्टीकरण नोट:

- (क) लघु अवधि के पट्टों, कम मूल्य की परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों, जो पूर्ववर्ती इंड एस–17 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के संबंध में इंड एएस–116 के अंतर्गत उपलब्ध स्वीकृति रियायत के अनुसरण में कंपनी ने नए इंड एएस–116 के क्रियान्वयन के लिए समान छूट का लाभ प्राप्त किया है।
- (ख) विभिन्न व्यावसायिक परिसरों के लिए अन्य पट्टों के संबंध में (खरीद / नवीकरण के विकल्प के साथ लेकिन उसके टाइटल को स्थानांतरित किया भी जा सकता है और नहीं भी), जो विभिन्न स्थानों / स्टेशनों / क्षेत्रों में फैले हुए हैं, प्रबंधन पट्टा मानक की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी को एकत्र करने की प्रक्रिया में है। इन पट्टों को दोनों ओर से 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके रद्द किया जा सकता है।

इन मूल्यांकनों के लंबित होने के कारण कंपनी ने इंड–116 के अंतर्गत आरओ के रूप में स्वीकार नहीं किया है और उसके क्रियाए को पट्टे की अवधि के भीतर लाभ और हानि खाते हेतु सुव्यवस्थित रूप से प्रभारित किया गया है। प्रबंधन का मत है कि इसके को महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

लघु अवधि के पट्टों, कम मूल्य की संपत्ति और उन परिसंपत्तियों, जो पूर्ववर्ती इंड एआई–117 के तहत शामिल नहीं हैं, के संबंध में, कंपनी ने नए इंड–116 के क्रियान्वयन के लिए समान छूट का लाभ प्राप्त किया है।

37. कर्मचारी लाभ योजना:

(क) निर्धारित अंशदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधि: कंपनी में स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को शासित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों के अनुसार अंशदान करते हैं, जिनमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

“कर्मचारी लाभों” पर इंड एएस 19 के अनुसार, कार्मिक द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को निर्धारित लाभ योजना माना जाता है, क्योंकि कंपनी इस योजना में शामिल कर्मचारियों के संबंध में ब्याज में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए बाध्य है। निर्धारित लाभ दायित्व के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में छूट प्राप्त भविष्य निधि पर गारंटित औसत ब्याज दर 9.35 प्रतिशत है और इसलिए, अधिसूचित कर दरों के लिए दी गई गारंटी के प्रति लेखा बहियों में किसी प्रकार का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि के प्रति कंपनी का अंशदान 302.31 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष: 3030.91 मिलियन रुपए) (नोट सं. 20ए का संदर्भ लें)।

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान का परिकलन करते समय समाहित किए जाने वाले वेतन संरचना के घटकों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय उपस्थित है। इसमें निर्णय के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि सहित वर्णनात्मक पहलु विद्यमान हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों पर परिणामों, यदि कोई हो, के लिए इस मुद्दे में किसी भावी गतिविधि का आकलन करती रहेगी।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएः

क. **उपदान:** उपदान अधिनियम के भुगतान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपदान अधिवर्षता, मृत्यु, या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को देय होगा। कंपनी के पास भारत में निर्धारित लाभ उपदान योजना (अनिधित) विद्यमान है। कंपनी द्वारा उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब वह देय होती है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है।



संविदागत कर्मचारियों के मामले में, पिछले वर्ष तक, उपदान और अवकाश नकदीकरण के बीमांकक मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन और वेतन के विशेष भत्ता घटकों को वेतन के रूप में स्वीकार किया जाता था। वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू कानून के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए केवल वेतन के मूल वेतन घटक को ही स्वीकार किया है।

(i) उपदान के लिए इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|--|---|---|
| लाभ का प्रकार | उपदान | उपदान |
| राष्ट्र | भारत | भारत |
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01-04-19 | 01-04-18 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31-03-20 | 31-03-19 |
| रिपोर्टिंग अवधि 12 महीने | 12 महीने | 12 महीने |
| अनुमान (पूर्व अवधि) | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.64% | 7.80% |
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अनुमान (वर्तमान अवधि) | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.56% | 7.64% |
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 966.11 | 1,124.19 |
| ब्याज लागत | 73.81 | 75.58 |
| चालू सेवा लागत | 60.08 | 56.88 |
| पूर्व सेवा लागत | - | (155.18) |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ) | (109.88) | (122.09) |
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ) / हानियां–वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 46.66 | 6.83 |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|--|---------------|---------------|
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ) / हानियां— व्यय के कारण | (22.66) | (20.10) |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1014.12 | 966.11 |
| तुलन पत्र में लेखांकित राशि | | |
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | (1014.12) | (966.11) |
| वित्तपोषण रिथिति (अतिरेक / (घाटा)) | (1014.12) | (966.11) |
| तुलन पत्र में लेखांकित (दायित्व) / परिसंपत्ति | (1014.12) | (966.1) |
| चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 966.11 | 1124.19 |
| आरंभ में दायित्व / (परिसंपत्ति) | 966.11 | 1124.19 |
| ब्याज लागत | 73.81 | 75.58 |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | 73.81 | 75.58 |
| चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय | | |
| चालू सेवा लागत | 60.08 | 56.88 |
| निवल ब्याज लागत | 73.81 | 75.58 |
| पूर्व सेवा लागत | - | (155.18) |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | | - |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ) / हानियां | | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | | - |
| स्वीकृत व्यय | 133.89 | (22.72) |
| चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय | | |
| अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ) / हानियां | 23.99 | (13.27) |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | - | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय | 23.99 | (13.27) |
| तुलनपत्र समाधान | | |
| आरंभिक निवल देयता | 966.11 | 1124.19 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | 133.89 | (22.72) |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | 23.99 | (13.27) |
| अंतरित निवल देयता / (परिसंपत्ति) –इन | | - |
| निवल (देयता) / परिसंपत्ति– आउट | | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ) | (109.88) | (122.09) |
| (कर्मचारी अंशदान) | | - |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता / (परिसंपत्ति) | 1014.12 | 966.11 |
| अन्य विवरण | | |
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | 14,278 | 13,370 |
| सक्रीय सदस्यों का प्रति माह वेतन | 153.27 | 154.64 |
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान वेटिड औसत अवधि | 6 | 8 |
| औसत संभावित भावी सेवा | 8 | 8 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | 1014.12 | 966.11 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1014.12 | 966.11 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता / (परिसंपत्ति) | 1014.12 | 966.11 |
| ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| अगले वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | | |
| चालू सेवा लागत | 63.89 | 60.08 |
| निवल ब्याज लागत | 66.53 | 73.81 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | | - |
| स्वीकृत व्यय | 130.42 | 133.89 |
| लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा | | |
| रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय | | |
| 1 आगामी वर्ष | 177.29 | 153.59 |
| 2 आगामी वर्ष | 75.47 | 93.14 |
| 3 आगामी वर्ष | 148.92 | 123.24 |
| 4 आगामी वर्ष | 122.51 | 145.17 |
| 5 आगामी वर्ष | 122.92 | 113.30 |
| वर्ष 6 से 10 का योग | 483.57 | 491.98 |
| संवेदी विश्लेषण: वृद्धि / (कमी) | | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | 1014.12 | 966.11 |
| छूट की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | (43.36) | (41.09) |
| छूट की दर में -1% परिवर्तन का प्रभाव | 47.71 | 45.09 |
| वेतन वृद्धि की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | 46.55 | 44.38 |
| वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का प्रभाव | (43.12) | (41.17) |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | 1.72 | 4.20 |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव . | (1.96) | (4.64) |
| संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है। | | |
| इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है। | | |
| पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। | | |
| नोट: उपदान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृत्ति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंग आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं। लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर-रियायती रोकड़ प्रवाह है। औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व। | | |

(ख) सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ: कंपनी में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारियों व उनके पति-पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इंड एस के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ संबंधी प्रकटन विवरण

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|--|--|--|
| लाभ का प्रकार | चिकित्सा | चिकित्सा |
| राष्ट्र | भारत | भारत |
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01-04-19 | 01-04-18 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31-03-20 | 31-03-19 |
| रिपोर्टिंग अवधि 12 महीने | 12 महीने | 12 महीने |
| अनुमान (पूर्व अवधि) | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.78% | 7.76% |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|--|---|---|
| चिकित्सा लागत संवर्धन | 4.00% | 4.00% |
| कर्मचारी वृद्धि की दर | 2.00% | 2.00% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| अनुमान (वर्तमान अवधि) | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 6.81% | 7.78% |
| चिकित्सा लागत संवर्धन | 4.00% | 4.00% |
| कर्मचारी वृद्धि की दर | 2.00% | 2.00% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1373.64 | 1,343.50 |
| ब्याज लागत | 106.87 | 104.26 |
| चालू सेवा लागत | 12.75 | 14.70 |
| पूर्व सेवा लागत | - | - |
| ली गई अंतरित देयता / अधिग्रहण | - | - |
| (दी गई अंतरित देयता / विनिवेश) | - | - |
| (लाभ) / हानियों में कमी | - | - |
| (निपटान पर समाप्त देयताएं) | - | - |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदात किए गए लाभ) | (37.66) | (50.43) |
| (निधियों के भुगतान किए गए लाभ) | - | - |
| विदेशी विनियमित दर में परिवर्तनों के प्रभाव | - | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ) / हानियां : जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ) / हानियां : वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | 147.83 | (3.04) |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ) / हानियां : अनुभव के कारण | (163.21) | (35.33) |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1440.22 | 1,373.64 |
| योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका | | |
| अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| ब्याज आय | - | - |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|--|---------------|---------------|
| नियोक्ता द्वारा अंशदान | - | - |
| नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान | - | - |
| ली गई अंतरित परिसंपत्तियां / अधिग्रहण | - | - |
| (दी गई अंतरित परिसंपत्तियां / विनिवेश) | - | - |
| (निधि से प्रदत्त लाभ) | - | - |
| (निपटान पर संवितरित परिसंपत्तिया) | - | - |
| परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव | - | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव | - | - |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत राशि | | |
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | (1440.22) | (1373.64) |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - |
| वत्तपोषण स्थिति (अतिरेक / घाटा) | (1440.22) | (1373.64) |
| तुलनपत्र में स्वीकृत निवल (देयता) / परिसंपत्ति | (1440.22) | (1373.64) |
| चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1373.64 | 1,343.50 |
| (अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | | - |
| आरंभ में निवल दायित्व / (परिसंपत्ति) | 1373.64 | 1,343.50 |
| ब्याज लागत | 106.87 | 104.26 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | 106.87 | 104.26 |
| चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय | | |
| चालू सेवा लागत | 12..75 | 14.70 |
| निवल ब्याज लागत | 106.87 | 104.26 |
| पूर्व सेवा लागत | | |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ) / हानियां | - | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | - | - |
| स्वीकृत व्यय | 119.62 | 118.95 |
| चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय | | |
| अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ) / हानियां | (15.83) | (38.38) |



| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | - | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | - | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय | (15.83) | (38.38) |
| तुलनपत्र समाधान | | |
| आरंभिक निवल देयता | 1373.68 | 1,343.50 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | 119.62 | 118.95 |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | (15.38) | (38.38) |
| अंतरित निवल देयता / (परिसंपत्ति) –इन | - | - |
| निवल (देयता) / परिसंपत्ति – आउट | - | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ) | (37.65) | (50.43) |
| (कमर्चारी अंशदान) | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता / (परिसंपत्ति) | 1440.21 | 1,373.64 |

| अन्य विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|---|---------------|---------------|
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | 1190 | 1,327 |
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत अवधि | 30 | 30 |
| औसत भावी अवधि | 30 | 30 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | 1440.22 | 1,373.64 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | | . |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1440.21 | 1,373.64 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | - | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता / (परिसंपत्ति) | 1449.21 | 1,373.64 |
| ब्याज लागत | 98.07 | 106.87 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | 98.07 | 106.87 |
| अगले वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | | |
| चालू सेवा लागत | 13.18 | 12.75 |
| निवल ब्याज लागत | 98.08 | 106.87 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| स्वीकृत व्यय | 111.07 | 119.62 |
| लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा | | |
| रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय | | |
| 1 आगामी वर्ष | 53.67 | 53.73 |
| 2 आगामी वर्ष | 70.35 | 70.42 |
| 3 आगामी वर्ष | 89.32 | 89.39 |
| 4 आगामी वर्ष | 110.34 | 110.43 |
| 5 आगामी वर्ष | 130.69 | 130.79 |



| | | |
|--|----------|----------|
| वर्ष 6 से 10 का योग | 729.89 | 730.40 |
| संवेदी विश्लेषण: | | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | 1440.21 | 1373.64 |
| छूट की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | (151.97) | (138.10) |
| छूट की दर में -1% परिवर्तन का प्रभाव | 186.25 | 167.95 |
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | 189.82 | 172.87 |
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में -1% परिवर्तन का प्रभाव | (157.04) | (143.90) |
| संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वार्तविक परिवर्तनों को संभवत प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है। | | |
| इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है। | | |
| पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। | | |
| नोट: | | |
| चिकित्सा सुविधा कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृत्ति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंग आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं। लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर-रियायती रोकड़ प्रवाह है। औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व | | |

(ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूरक अनुपस्थिति

कंपनी में रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारी द्वारा संचयन और नकदीकरण के प्रावधान सहित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर नीति विद्यमान है। क्षतिपूरक अनुपस्थिति की संभावित लागत का निर्धारण प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

ii. बोनस

बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस देय होता है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

38. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनर्निर्धारित) |
|--|-----------------------------------|--|
| कंपनी के इकिवटी धारकों को देय कर पूर्व लाभ | 662.13 | 524.82 |
| इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 138.42 | 138.42 |



| | | |
|------------------------------|------|------|
| कर पश्चात ईपीएस (प्रति शेयर) | 4.78 | 3.79 |
| – मूल ईपीएस | 4.78 | 3.79 |
| – विलियत ईपीएस | | |

39. आयकर

भारतीय कंपनियों के लिए स्टेंडेलोन आधार पर आयकर का भुगतान करना अपेक्षित है। प्रत्येक कंपनी 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करयोग्य लाभों पर कर के लिए आकलित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी का लाभ या होनि नियमित आय कर देय या न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') के मद्देनजर होता है।

सांविधिक आय कर का आकलन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों (भारतीय) के अनुसार समायोजित भारत के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अंतर्गत तैयार बही लाभों के आधार पर किया जाता है। सामान्य रूप से ऐसे समायोजन स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, कतिपय प्रावधानों और बीमांककों की अस्वीकृति, कर हॉलीडे के लिए कटौती, कर घाटे के लिए व्यवस्था तथा अग्रणीत मूल्यहास और सेवानिवृत्ति लाभ लागतों से संबंधित है। सांविधिक आय कर को 22 प्रतिशत जमा उपकर और शिक्षा शुल्क पर प्रभारित किया जाता है। एमएटी का आकलन सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत नियमित आयकर के आंकलन हेतु अनुसरण किए गए समायोजनों की तुलना में कतिपय मदों हेतु समायोजित बही लाभों पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर 21.549 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान नियमित आयकर के अतिरिक्त प्रदत्त एमएटी को उस वित्तीय वर्ष से अगले पंद्रह वर्षों की अवधि के भीतर नियमित आय करों के प्रति समायोजित किया जा सकता है, जिस वर्ष एमएटी नामे किया गया है, जो निर्धारित सीमा के मद्देनजर होगा।

कंपनी तभी और केवल तभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है जब चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देयताओं के लिए क्षतिपूर्ति विधि रूप से हेतु ऐसा करना विधि रूप से प्रवर्तनीय हो और यह समान कर प्राधिकरण द्वारा वसूले गए आयकर से संबंधित हो।

(क) आयकर व्यय

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| चलू कर | | |
| चलू कर | 393.60 | 600.00 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के कर का अल्प प्रावधान* | -27.16 | 186.62 |
| कुल | 366.44 | 786.62 |
| आस्थिगित कर | | |
| आस्थिगित कर | 310.01 | (132.51) |
| कुल | 674.27 | 654.11 |

*यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

दर्शाए गए वर्ष के लिए आयकर व्यय को स्वीकृत करने के लिए सांविधिक आयकर दर पर कर पूर्व लाभ के लेखांकन के लिए लागू आयकर व्यय का समाधा निम्नानुसार है:



रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनर्निर्धारित) |
|---|-----------------------------------|--|
| करपूर्व लाभ | 1,338.58 | 1,160.89 |
| भारत में निर्धारित कर दर | 25.16% | 34.94% |
| सांविधिक कर दर पर संभावित कर व्यय (क) | 336.89 | 405.61 |
| निम्न का कर प्रभावरूप | | |
| कर लाभों के निर्धारण में कटौती न किए गए व्यय | 16.08 | 132.51 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान' | (27.16) | 186.62 |
| अन्य | 40.74 | 22.23 |
| अन्य : समाधान हेतु लंबित | (0.11) | 39.65 |
| लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर | 366.44 | 786.62 |

'यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों / (देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार है:

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|--------------------------|------------------|------------------|
| आस्थगित कर देयताएं | (125.54) | (124.75) |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 895.36 | 1202.41 |
| कुल | 769.82 | 1077.65 |

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों / (देयताओं) तथा संचलनों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | | | 31 मार्च 2020 को |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत | ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत | प्रतिधारित आमदनियों के माध्यम से स्वीकृत | |
| निम्न के संबंध में आस्थगत कर शेष | | | | | |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 939.37 | - | - | - | 939.37 |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | (124.75) | (0.79) | - | - | (125.54) |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | 90.67 | (282.47) | 2.17 | - | (189.63) |



| | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| संभावित ऋण घाटा | 152.45 | (21.09) | - | - | 131.36 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(पक) के अंतर्गत अस्वीकृति | 19.92 | (7.14) | - | - | 12.78 |
| | - | 1.48 | - | - | 1.48 |
| कुल | 1,077.66 | (310.01) | 2.17 | - | 769.82 |
| विवरण | 31 मार्च 2018 को | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत | ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत | प्रतिधारित आमदनियों के माध्यम से स्वीकृत |
| निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष | | | | | |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थिगत कर परिसंपत्तियां | - | - | - | 939.37 | 939.37 |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | (97.52) | (27.23) | - | - | (124.75) |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | 103.30 | 5.41 | (18.04) | - | 90.67 |
| संभावित ऋण घाटा | - | 152.45 | - | - | 152.45 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(पक) के अंतर्गत अस्वीकृति | - | 19.92 | - | - | 19.92 |
| कुल | (5.78) | 150.55 | 18.04 | 939.37 | 1,077.66 |

रिपोर्टिंग पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक वित्तीय सूचना पर इस त्रुटि के अवधि विशिष्ट प्रभाव का निर्धारण अव्यवहारिक है और इसलिए, कंपनी 01 अप्रैल, 2018 को परिसंपत्तियों और अन्य इकिवटी के आरंभिक शेष के पुनर्निधारण द्वारा पूर्वगामी रूप से त्रुटि के संचयी प्रभाव को प्रस्तुत करती है और इसलिए पिछले वर्ष की प्रस्तुत वित्तीय सूचना विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं है।

40. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से दावे:

कंपनी ने मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल / रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 25.018 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 16.61 करोड़ रुपए को स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्तियों के ईसीएल के 100 प्रतिशत हेतु प्रावधान किया गया है।

41. सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

एसएपी प्रणाली में एक फील्ड है, जो वेंडर मास्टर में अल्पसंख्यक सूचक है, जिसे एमएसएमई के रूप में वेंडरों की पहचान करने के लिए अद्यतन किया गया है। एआई वेंडरों का और अधिक ब्यौरा प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को संवर्धित किया जा रहा है, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता एजेंसी, वैधीकरण, आदि। तथापि, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने वाले ऐसे उपकरणों को भुगतान आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत निर्धारित समयसीमा / तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए, विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आगे की कार्रवाई के दौरान आवश्यक अनुपालन / प्रकटन सुनिश्चित किया जाएगा।



| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|--|------------------|------------------|
| वर्ष के अंत में बकाया देय मूल राशि | 0.25 | 0.10 |
| 45 दिनों से अधिक की अवधि हेतु ओवरड्रू मूल राशि | 0.25 | 0.10 |
| वर्ष के अंत में उपर्युक्त-1 पर देय और अप्रदत्त ब्याज | 0.02 | 0.00 |
| आपूर्तिकर्ता को प्रदत्त ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान नियुक्ति तिथि के आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान | 0.24 | 0.00 |
| विलंब वर्ष हेतु दे और भुगतानयोग्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के अंत में संचित और शेष अप्रदत्त ब्याज | 0.02 | 0.00 |
| आगामी वर्ष में देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि | 0.02 | 0.00 |

42. संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष 2019–20 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस-24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन।

क. संबंधित पक्षों की सूची:

- i- इंड एएस-24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|--------|--------------------|------------|
| 1 | एयर इंडिया लिमिटेड | धारक कंपनी |

ii. सहयोगी अनुषंगी कंपनियों की सूची:

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|--------|---|----------------------|
| 1 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 2 | एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 3 | एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 4 | एयरलाइन एलाइंड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 5 | एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित सरकारी इकाइयों से इतर) | सहयोगी संयुक्त उद्यम |

iii. अन्य:

| क्र.सं | कंपनी का नाम | संबंध |
|--------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | सरकार द्वारा समान |
| 2 | रक्षा मंत्रालय | नियंत्रणाधीन निकाय |



ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| क्र.सं. | प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम | पदनाम |
|---------|-----------------------------|---|
| 1 | श्री राजीव बंसल | अध्यक्ष (14 फरवरी 2020 को सीएमडी के रूप में नियुक्त) |
| 2 | श्री ए.लोहानी | अध्यक्ष (14 फरवरी 2019 को सीएमडी के रूप में नियुक्त) |
| 3 | श्री प्रदीप सिंह खरोला | अध्यक्ष (14 फरवरी 2019 को सीएमडी के रूप में कार्यमुक्त) |
| 4 | केप्टन ए.के.शर्मा | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 5 | श्री जे.वी. रवि कुमार | मुख्य वित्त अधिकारी |
| 6 | श्रीमती शशि बडोला | कंपनी सचिव (25 फरवरी 2020 से) |
| 7 | श्रीमती वंदना बत्रा | कंपनी सचिव (25 फरवरी 2020 तक) |

घ. संबंधित पक्ष संव्यवहार

- i- वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों के साथ कोई ऋण या जमा लेनदेन अतिदेय थे।
- ii- एएस-24 के संदर्भ में सरकार से संबंधित अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार) और सरकार संबंधित पक्षों के अलावा कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित अपेक्षाओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

रूपए करोड़ में

| क्र.सं | निकाय का नाम और संव्यवहार की प्रकृति | निम्न तिथि को व इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु | |
|--------|---|---|---------------|
| | | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
| 1 | एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) | | |
| | प्रचालनों से राजस्व : | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 3463.81 | 3,215.87 |
| | श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति | 1029.07 | 824.62 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 105.04 | 20.54 |
| | अन्य सेवाएं | 102.91 | 82.46 |
| | | 4700.83 | 4,143.49 |
| | व्यय | | |
| | परिसरों पर किराया | 31.99 | 70.82 |
| | आईटी प्रभार | 11.80 | 25.62 |
| | बीमा प्रभार | 35.69 | 42.95 |
| | बिजली प्रभारों की वसूली | 37.79 | 96.14 |
| | स्टाफ यात्रा व्यय | 10.57 | 9.09 |
| | स्टाफ कल्याण व्यय | 33.87 | 4.64 |
| | चिकित्सा व्यय | 40.39 | 42.59 |
| | सामग्री प्रबंधन सेवाएं | 00.00 | 00.00 |
| | धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी | 342.91 | 406.78 |
| | व्यापार प्राप्त का अंतिम शेष (जमा / (नामे)) | 1833.03 | 606.18 |
| 2 | एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड | | |
| | राजस्व | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 364.31 | 329.12 |
| | श्रमशक्ति सेवा | 1.46 | 1.83 |



| क्र.सं | निकाय का नाम और संव्यवहार की प्रकृति | निम्न तिथि को व इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु | |
|--------|---|---|---------------|
| | | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
| | एपीईडीए / कार्टिंग राजस्व | 0.55 | 1.10 |
| | वसूली योग्य बकाया राशि पर ब्याज | 18.73 | 14.44 |
| | व्यापार प्राप्तों पर अंतिम शेष (नामे) | 156.25 | 278.67 |
| 3 | एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड | | |
| | राजस्व | | |
| | श्रमशक्ति सेवा / केबिन किलनिंग | 85.71 | 33.13 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 90.78 | 86.28 |
| | व्यय | | |
| | हैडसेट सेवाएं | 13.91 | 77.48 |
| | व्यापार प्राप्तों पर अंतिम शेष (नामे) | 1014.70 | 1,002.77 |
| 4 | एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एलायंस एयर) | | |
| | प्रचालनों से राजस्व : | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 243.60 | 219.87 |
| | श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति | 0.15 | 1.46 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 54.86 | 26.91 |
| | व्यय | | |
| | ड्यूटी पर स्टाफ संबंधी व्यय | 1.08 | 0.99 |
| | व्यापार प्राप्तों पर अंतिम शेष (नामे) | 851.10 | 521.32 |
| 5 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआईएल-सेंट्रूर) | | |
| | स्टाफ होटल व्यय | 1.03 | 00.95 |
| | व्यापार प्राप्तों पर अंतिम शेष (जमा) | 1.03 | (00.95) |
| 6 | एअर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस (एआईएसएटीएस) | | |
| | व्यापार प्राप्तों पर अंतिम शेष (जमा) | 02.58 | 02.58 |

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को क्षतिपूर्ति

रूपए मिलियन में

| संव्यवहारों की प्रकृति | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| अत्यकालीन कर्मचारी लाभ | 0.81 | 3.01 |
| रोजगार पश्चात लाभ | शून्य | शून्य |
| अन्य दीर्घकालीन लाभ | शून्य | शून्य |
| अंतिम लाभ | शून्य | शून्य |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को कुल क्षतिपूर्ति | 0.81 | 3.01 |

सेवा पश्चात भावी देयताओं के रूप में अन्य दीर्घकालीन तथा अंतिम लाभों के लिए प्रावधान समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकक आधार पर किया जाता है और व्यक्तियों से संबंधित राशि निर्धारणीय नहीं है और इसलिए, इन्हें उपर शामिल नहीं किया गया है।



सरकार संबंधी निकायों के साथ प्रमुख संव्यवहार

रूपए मिलियन में

| निकाय का नाम | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| व्यय: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वसूली | 128.10 | 238.41 |
| राजस्व : ग्राउंड हैंडलिंग के लिए भारतीय वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/भारतीय नौ सेना | 46.18 | 41.18 |

नोट: सरकार/सरकार संबंधी निकायों के साथ उपर्युक्त संव्यवहारों में वे संव्यवहार शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से तथा समग्र रूप में महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य विभिन्न सरकार संबंधी निकायों के साथ अन्य संव्यवहार भी किए हैं, तथापि, ये संव्यवहार व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

43. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि | 20.74 | 19.24 |
| (ख) निम्न पर खर्च की गई राशि: | | |
| (i) परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण | शून्य | शून्य |
| (ii) उपर्युक्त (प) इतर प्रयोजनों पर (सीएसआर परियोजनाओं हेतु) | 10-37 | शून्य |

44. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और संविधित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| विदेशी मुद्रा आमदनियां | 1,275.50 | 1,686.09 |
| संविधित विदेशी विनियम (आयात भुगतानों हेतु) | (1,179.02) | - |
| निवल विदेशी विनियम आमदनियां | 96.48 | 1,686.09 |

45. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के अध्यक्ष को इंड एएस 108, प्रचालन सेगमेंटों द्वारा मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में निर्धारित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथापि, कंपनी प्राथमिक रूप से केवल एक सेगमेंट से संबंधित है यथा “ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं” और इसके सभी प्रचालन भारत के अंतर होते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मान 108 “प्रचालन सेगमेंट” के अनुसार कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है।

क. राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक वाले ग्राहकों का प्रकटन

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| एअर इंडिया और इसकी समूह कंपनियां | 3837.76 | 3775.79 |



46. लेखापरीक्षकों को परिलक्षियां

लेखापरीक्षकों का लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय निम्नानुसार हैं:

रूपए मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| लेखापरीक्षा शुल्क : वर्ष हेतु | 1.00 | 0.56 |
| आउट ऑफ पॉकेट व्यय | 0.10 | 0.06 |
| कुल | 1.10 | 0.62 |

47. उचित मूल्य मापन और वित्तीय लिखत

क. वित्तीय लिखत— श्रेणी और उचित मूल्य अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित तालिका आगे ले जाई गई राशि और वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के साथ उचित मूल्य क्रम में उनका स्तर दर्शाता है।

(प) 31 मार्च 2020 को

रूपए मिलियन में

| विवरण | वहन मूल्य | | | | उचित मूल्य मापन | | |
|----------------------------|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|--------|--------|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | मुद्रीकरण लागत | कुल | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| वित्तीय संपत्ति | | | | | | | |
| चालू | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य' | . | . | 5,713.95 | 5,713.95 | - | - | - |
| नकद और नकद समकक्ष ' | . | . | 162.52 | 162.52 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | . | . | 76.85 | 76.85 | - | - | - |
| कुल | | | 5,953.32 | 5,953.32 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| वित्तीय देयताएं | | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | . | . | 0.11 | 0.11 | - | - | - |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं' | . | . | 846.20 | 846.20 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | . | . | 2,153.82 | 2,153.82 | | | |
| कुल | . | . | 3,000.13 | 3,000.13 | - | - | - |

(ii) 31 मार्च 2019 को



| विवरण | एफवीटीपीएल | वहन मूल्य | | कुल | उचित मूल्य मापन | | |
|----------------------------|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|--------|--------|
| | | एफवीटीओसीआई | मुद्रीकरण लागत | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| वित्तीय संपत्ति | | | | | | | |
| चालू | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य' | | | 3,987.15 | 3,987.15 | | | |
| नकद और नकद समकक्ष ' | | | 139.55 | 139.55 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | . | . | 118.03 | 118.03 | - | - | - |
| कुल | . | . | 4,244.73 | 4,244.73 | - | - | - |
| | . | . | | | - | - | - |
| वित्तीय देयताएं | . | . | | | - | - | - |
| गैर चालू | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | | | 1.44 | 1.44 | | | |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं' | . | . | 526.61 | 526.61 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | . | . | 1,147.85 | 1,147.85 | - | - | - |
| कुल | . | . | 1,675.89 | 1,675.89 | - | - | - |

* कारोबार प्राप्य, कारोबार देय, नकद और नकद समतुल्य और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति, उचित मूल्य का अनुमान अपने अल्पावधिक प्रकृति के कारण देय हैं।

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नहीं और इसमें निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

48. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता हैं

- i- ऋण जोखिम
- ii- नकदी जोखिम
- iii- बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से उत्पन्न



होता है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमों का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है और यह ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित स्थापना नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अध्याधीन है। आकलन के अनुसार परिभाषित व्यक्तिगत ऋण सीमाओं के आधार पर ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यतः गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इसक समूह कंपनियों से है (यथा 60 प्रतिशत) और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्य राशियां पूर्ण रूप से वसूलीयोग्य मानी गई हैं और इसलिए ऐसी प्राप्य राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोखिम का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें। जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल हैं। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे ऐतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों को वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है।

नीति के अनुसार प्राप्य राशियों को ओवरड्रू अवधि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है यथा 6 माह : एक वर्ष से एक वर्ष से अधिक और एक से दो वर्ष।

कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता है:

| बकेट | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को ## |
|--------------|------------------|---------------------|
| सरकारी कंपनी | 0.00% | 0.00 % |



| | | |
|--|----------|----------|
| समूह कंपनी | 0.00 % | 0.00 % |
| तीन वर्षों तक के बकाया वाले अन्य पक्ष | 8.73% | 8.81 % |
| तीन वर्षों से अधिक के बकाया वाले अन्य पक्ष | 100.00 % | 100.00 % |
| व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | 100.00 % | 100.00 % |

संभावित ऋण घाटे के लिए स्वीकृति संचलन निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को ## |
|---|------------------|---------------------|
| वर्ष के आरंभ में शेष | 436.26 | - |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्तों को स्वीकृति | 85.67 | 191.58 |
| युक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | - | 244.68 |
| वर्ष के अंत में शेष | 521.93 | 436.26 |

कंपनी ने इंड एएस-109 "वित्तीय इंस्ट्रूमेंट" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्तों) के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 521.93 मिलियन रुपए की राशि के समूह कंपनियों से इतर के पक्षों से व्यापार एवं अन्य संविदागत प्राप्त राशियों के लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके 31 मार्च 2020 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभावों का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्त राशियों के संबंध में शून्य ऋण घाटे की संभावना की है।

कंपनी कोविड-19 वैशिक महामारी के मद्देजनर प्राप्त राशियों की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार के विश्लेषण के होने तक, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 के प्रभाव का निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ii) नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (31 मार्च 2019 शून्य रुपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओं, भारमुक्त परिसंपत्तियों के मूल्य प्राप्त करके चालू पूँजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।
- विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में हैं। संविदागत नकदी प्रवाह राशि सकल डिस्काउंट रहित है तथा इसमें भारित ब्याज जो देय नहीं है, शामिल है।



नकदी जोखिम प्रभाव

31 मार्च 2020 को

मिलियन रुपए में

| विवरण | प्रतिधारण राशि | संविदागत नकदी प्रवाह | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------|
| | | 1 वर्ष तक | 1-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| चालू | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 5,713.96 | 2,828.14 | 2,885.82 | - | 5,713.96 |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 162.52 | 162.52 | - | - | 162.52 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 76.85 | 76.85 | - | - | 76.85 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| गैर चालू | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 |
| चालू | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 846.20 | 846.20 | - | - | 846.20 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 2,153.82 | 2,153.82 | - | - | 2,153.82 |

31 मार्च 2019 को

मिलियन रुपए में

| विवरण | प्रतिधारण राशि | संविदागत नकदी प्रवाह | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------|
| | | 1 वर्ष तक | 1-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| चालू | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 3,987.15 | 1,612.58 | 2,999.98 | - | 3,987.15 |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 139.55 | 139.55 | - | - | 139.55 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 118.03 | 118.03 | - | - | 118.03 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | |
| गैर चालू | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1.44 | - | 1.44 | - | 1.44 |
| चालू | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 526.61 | 526.61 | - | - | 526.61 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1,147.85 | 1,147.85 | - | - | 1,147.85 |



(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रभाव

31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया है:

विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा

31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को भारतीय रूपए में अभिव्यक्त मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के खतरे के संबंध में मात्रात्मक आंकड़ों का सार निम्नानुसार है:

आंकड़े मिलियन में

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | | | 31 मार्च 2019 को | | |
|----------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| | यूएसडी | भारतीय रु. | कुल | यूएसडी | भारतीय रु. | कुल |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | . | . | . | . | . | . |
| व्यापार प्राप्य | 0.59 | 5,713.37 | 5,713.96 | 129.48 | 3,857.67 | 3,987.15 |
| नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक शेष | - | 162.52 | 162.52 | - | 139.55 | 139.55 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | 76.85 | 76.85 | - | 118.02 | 118.02 |
| कुल वित्तीय परिसंपत्तियां | 0.59 | 5,952.74 | 5,953.33 | 129.48 | 4,115.24 | 4,244.73 |
| वित्तीय देयताएं | . | . | . | . | . | . |
| गैर चालू | . | . | . | . | . | . |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 0.11 | 0.11 | - | 1.44 | 1.44 |
| चालू | . | . | . | . | . | . |
| व्यापार प्राप्य | . | 846.20 | 846.20 | - | 526.61 | 526.61 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | . | 2,153.82 | 2,153.82 | - | 1,147.85 | 1,147.85 |
| कुल वित्तीय देयताएं | . | 3,000.13 | 3,000.13 | - | 1,675.89 | 1,675.89 |



संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका संगत विदेशी मुद्राओं के प्रति भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए कंपनी की संवेदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। 5 प्रतिशत की संवेदी दर का प्रयोग तब किया जाता है, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी विनिमय दरों में युक्तिसंगत स्तर तक संभव परिवर्तन के प्रबंधन आकलन को दर्शाते हैं। संवेदी विश्लेषण में केवल वे बकाया विदेशी मुद्रा शामिल हैं जो मौद्रिक मदों को दर्शाती हैं और सभी अन्य परिवर्ती कारकों के स्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा दरों में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए वर्ष के अंत में उनके अंतरण को समायोजित करते हैं। एक घनात्मक संख्या लाभ या इकिवटी में वृद्धि को दर्शाती है, जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में 5 प्रतिशत कम हो जाता है। संगत मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत की कमी के लिए, लाभ या इकिवटी में तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे कम शेष ऋणात्मक होता है।

रूपए मिलियन में

| विवरण | वृद्धि | | (कमी) | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
| प्राप्य राशि | | | | |
| यूएसडी / रु. | 5.91 | 6.71 | (5.91) | (6.71) |

49. इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

| विवरण | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (मिलियम में) | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (मिलियम में) |
|----------------------------------|--|--|
| ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व | 6,221.30 | 6,607.58 |
| अन्य प्रचालनिक राजस्व | 0 | 0 |
| प्रचालनों से कुल राजस्व | 6,221.30 | 6,607.58 |
| राजस्व स्वीकृति का समय | | |
| समय बिंदु पर | 6,221.30 | 6,607.58 |
| प्रचालनों से कुल राजस्व | 6,221.30 | 6,607.58 |

| विवरण | 31 मार्च 2020 को | 31 मार्च 2019 को |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| व्यापार प्राप्य ;संदर्भ नोट 8द्व | 5,713.96 | 3,987.15 |
| संविदा देयता | | |
| ग्राहकों से अग्रिम | | |
| आरंभिक | 0.44 | 0.090 |
| वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व | | |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | 0.13 | 0.35 |
| अंतिम शेष ;संदर्भ नोट सं. 16 व 18द्व | 0.57 | 0.44 |

50. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 24 का संदर्भ लेते हैं; जहां पूर्व अवधि के निर्धारित आंकड़ों को आवश्यक शुद्धयों के समायोजन हेतु पुनःनिर्धारित किया गया है। तथापि, कुछ त्रुटियों की अवधि विशिष्ट प्रभावों को निर्धारित करने की अव्यवहारिकता के कारण, कंपनी ने चालू वर्ष के आरंभिक शेष में संचयी प्रभाव दिया है। इसलिए, पिछले वर्ष की प्रस्तुत किए गए वित्तीय आंकड़े



विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं हैं।

51. वित्तीय विवरणों पर कोविड का प्रभाव

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली परिसंपत्तियों, दरसूचियों, प्राप्तियों आदि के वहन मूल्य में कमी पर कोविड-19 के प्रभाव का भी आकलन किया है। महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित मान्यताओं और अनुमानों को निर्धारित करने में, कंपनी ने विभिन्न अंतरिक और बाहरी सूचना स्रोतों पर विश्वास किया है। भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, प्रबंधन को आशा है कि वह अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को पूरी तरह से वसूल कर लेगी। तथापि, इन अनिश्चितताओं को देखते हुए, कंपनी के वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह पर अंतिम प्रभाव का पूर्वानुमान इस समय नहीं की जा सकता है और भविष्य यह प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाव का आकलन निरंतर आधार पर प्रचालनरत रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

चूंकि प्रमुख बकाया राशियां एअर इंडिया समूह की हैं, इसलिए, कंपनी वर्ष 2020–21 के दौरानप एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस से ब्याज सहित दियनांक 31.03.2020 को बकाया राशि की वसूली करने में सफल रही है। कंपनी निरंतर प्रयास कर रही है और अन्य समूह कंपनियों, एलायंस एयर और एअर इंडिया इंजीनियरिंग के साथ निरंतर वार्ता कर रही है और हमें आशा है कि बकाया राशियां की वसूली हो जाएगी। इसी तरह हम बकाया राशि की वसूली के लिए सभी तीसरे पक्ष ग्राहक के साथ भी अनुबर्ती प्रयास कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, व्यय के क्षेत्र में, हमने वेतन के भत्ते में कटौती के रूप में लागत में कटौती को भी लागू किया है और हमारी विभिन्न नीतियों के कार्य की प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है।

कंपनी कोविड अवधि के दौरान भारत के विभिन्न भागों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने वाली विभिन्न उड़ानों की व्यवस्था द्वारा प्रचालन और संभलाई का कार्य कर रही थी तथा इसके अतिरिक्त चार्टर उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, उपकरणों का ऋण पर प्रदान करने आदि का कार्य भी कर रही थी।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

राजीव बंसल

अध्यक्ष

डिन: 00245460

विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन

निदेशक

डिन: 08701559

विपुल के.चोकसी

साझेदार

स.सं: 037606

यूडीआईएन 20037606AAAADM6320

स्थान : नई दिल्ली / मुंबई

दिनांक: 18 दिसंबर, 2020

जे.वी.रवी कुमार

मुख्य वित्त अधिकारी

केप्टन ए.के.शर्मा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीमती शशी भदूला

कंपनी सचिव